# लखनऊ विकास प्राधिकरण की 132 वीं बैठक

# 06 सितम्बर, 2008

# में विचारणीय विषयों की

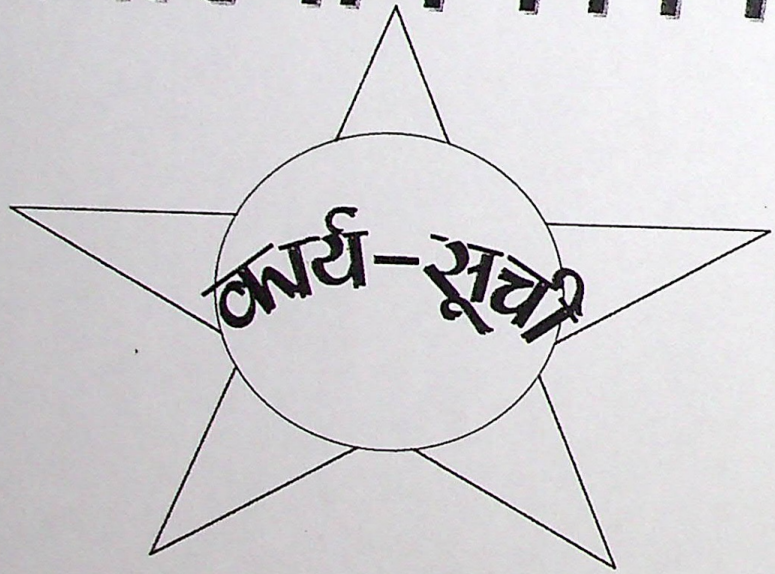

# लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 06 सितम्बर, 2008 में विचारणीय विषयों की कार्य सूची


| विषय संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण । | 1–10 |
| 2. | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या । | 11–18 |
| 3. | मा0 मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के दृष्टिगत हैलीपैड के निर्माण हेतु कोठी मार्टिन साहब खसरा सं0 258 मौजा रमना दिलकुशा स्टेशन गनेशगंज की गाटा संख्या–11 की भूमि अधिग्रहण किये जाने की योजना । | 19 |
| 4. | लालबहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव। | 20–21 |
| 5. | लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना एवं गोमती नगर विस्तार योजना तथा हरदोई रोड योजना के बसन्त कुंज आवासीय योजना एवं प्रबन्ध नगर आवासीय योजना की बाढ़ से सुरक्षा हेतु गोमती नदी के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में बन्धे के निर्माण के सम्बन्ध में । | 22–23 |
| 6. | लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण करने के लिए अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपालों को संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में । | 24–25 |
| 7. | हरदोई रोड आवासीय योजना (बसन्त कुंज)के अन्तर्गत ग्राम बरीकलां एवं बरावनखुर्द की 117.80 एकड़ नजूल भूमि के विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में । | 26–30 |
| 8. | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत लैण्ड फिल साइट हेतु भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में । | 31–33 |
| 9. | श्री गम्भीर सिंह खनका भारत पाक युद्ध 1971 के विकलांग सैनिक की भूमि ग्राम मकदूमपुर स्थित खसरा संख्या–219 रकबा 0–1–12–2 बीघा भूमि के बदले गोमती नगर विस्तार योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आबंटित करने के सम्बन्ध में । | 34–35 |
| 10. | लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में । | 36–38 |
| 11. | लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में व्यवसायिक/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी की शर्तो में संशोधन किया जाना । | 39–40 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी शहीद ले0 कर्नल एम0सी0 शर्मा को पेट्रोल पम्प हेतु आबंटित भूखण्ड को शासनादेश के अनुपालन में रियायती दरों पर दिये जाने के बाद ही घनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध मे । | 41–42 |
| 13. | लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड (नेहरुइन्क्लेव)के भूखण्डों की योजना समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में । | 43–45 |
| 14. | अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित निर्माणों के एवज में प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड देने तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन तैयार कराकर निर्माण प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध मे । | 46–96 |
| 15. | बिना आबंटन पत्र निर्गत किये भवन/भूखण्ड का परिवर्तन, अनुबन्ध/निबन्धन/कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में । | 97 |
| 16. | मुथमिज संगम (तमिल समाज) को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर योजना के अन्तर्गत कम्युनिटी डेवलपमेन्ट हेतु आडीटोरियम निर्माण के लिए आबंटित भूमि के स्थान पर गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में समायोजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में । | 98–101 |
| 17. | विकास प्राधिकरण के स्वामित्व/प्रबन्ध में संचालित सामुदायिक केन्द्र एवं खुले क्षेत्र के आबंटन शुल्क में वृद्धि एवं नियम/शर्तो में संशोधन के सम्बन्ध मे । | 102–105 |
| 18. | उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 (गंगोत्री) द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु प्रदर्शन कक्ष की स्थापना हेतु व्यवसायिक भूखण्ड आबंटित करने के सम्बन्ध मे । | 106 |
| 19. | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में "इनफार्मल मार्केट" के अन्तर्गत फल/सब्जी की दुकानों हेतु चबूतरा एवं शेड का निर्माण करके गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को उनका आबंटन करने एवं ऐसे चबूतरे/शेड की लागत का निर्धारण करने के सम्बन्ध मे । | 107–108 |
| 20. | कानपुर रोड योजना स्थित सेक्टर 'बी'(बाराबिरवा) के फल एवं सब्जी आदि विक्रेताओं के सम्बन्ध में चबूतरों के आबंटन का प्रस्ताव। | 109–111 |
| 21. | रिट याचिका सं0–1228(एम0बी0)/2008 सैय्यद नैय्यर अब्बास बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय पारित आदेश दिनांक 04.08.2000 के क्रम में भवन | 112–116 |

| | | |
|---|---|---|
| | सं0–108 (पुराना भवन सं0–70) जगत नारायण रोड के भू–उपयोग को "हरित पट्टी" से "आवासीय" में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे । | |
| 22. | रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम– औरंगाबाद खालसा की कुल 7.50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधायें, उपयोगिताएवं सेवायें' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे । | 117–118 |
| 23. | गोमती नगर योजना में नदी के बायें तटबन्ध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बन्धा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क के ऑशिक भाग क्षेत्रफल क्रमशः 2565 वर्ग मीटर व 5220 वर्ग मीटर हैं, का भू–उपयोग "यातायात एवं परिवहन वर्तमान सड़क" से मनोरंजात्मक पार्क एवं खुला स्थल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे । | 119–120 |
| 24. | मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधायें, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में । | 121–122 |
| 25. | हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में "यातायात परिवहन, बस अड्डा" भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे । | 123–124 |

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 30 जून, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

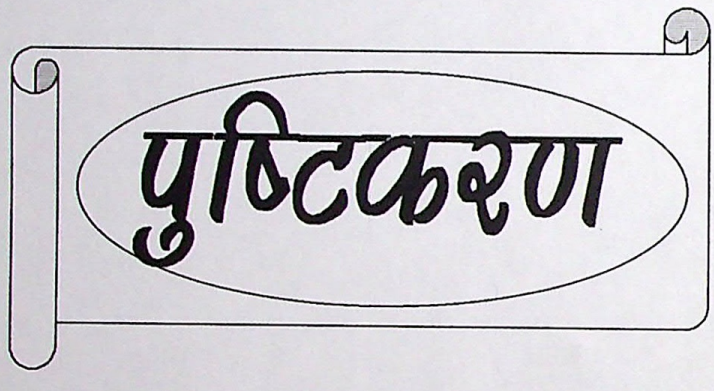


लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 30 जून, 2008 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है ।

# लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री विजय शंकर पाण्डेय | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री मुकेश कुमार मेश्राम | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. | श्री चन्द्रभानु | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 4. | श्री ओम नारायण | निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश। |
| 5. | श्री मार्कन्डेय शाही (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त) | अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 6. | श्री एन0आर0 वर्मा | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश। |
| 7. | श्री गोविन्द पाण्डेय | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |
| 8. | श्री सुरेश कुमार रावत | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |
| 9. | श्री राम कृष्ण यादव | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |

अन्य उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 10. | श्री मणि प्रसाद मिश्र | सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ। |
| 11. | श्री अवधेश कुमार | वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0। |
| 12. | श्री आर0के0 सिंह | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |
| 13. | श्री जी0एस0 गोयल | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |
| 14. | श्री एस0बी0 मिश्र | संयुक्त निदेशक (भूमि एवं विकास), ल0वि0प्रा0। |

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। माननीय पार्षद एवं सदस्य श्री गोविन्द पाण्डेय द्वारा कहा गया कि कार्यवृत्त में उनके कथनों का समावेश नहीं किया गया है। उन्होनें यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी सदस्य की असहमति को उल्लिखित किया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा उनकी पूर्व बैठक से सम्बन्धित आशंका का निवारण किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि किसी भी सदस्य की असहमति को कार्यवृत्त में अवश्यमेव उल्लिखित किया जाये।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च एवं 11 मार्च, 2008 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : अनुपालन नोट किया गया।

विषय संख्या : 3 वित्तीय वर्ष 2008–09 में आय–व्ययक के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श किया गया, विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 4 मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति

करते हुए प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 5 हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 6 सम्पत्ति की धनराशि समय से जमा न करने के फलस्वरूप लगने वाले दण्ड ब्याज को रू0 25,000.00 माफ किये जाने वाले प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 7 लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग (एनेक्सी भवन के सामने) से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु भूमि अर्जन की योजना।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए अर्जन की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 8 सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम–सेमरागौढ़ी, मोहिबुल्लापुर खलीलाबाद, बटहासबौली, सिकन्दरपुर इनायतअली व आकिलपुर की अर्जित भूमि का समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि 30 सितम्बर, 2008 तक अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान प्रत्येक दशा में कर दिया जाये तथा उक्त अवधि तक कार्यवाही पूर्ण कर प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।

विषय संख्या : 9

उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड एसेम्बली एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी) के अन्तर्गत विभिन्न विकासकर्ताओं के पंजीकरण तथा उन्हें निर्गत किये गये लाइसेन्स के सम्बन्ध में प्राधिकरण की दिनांक 01.03.08 की बैठक में विषय संख्या–10 पर पारित निर्णय के क्रम में कुल 06 विकासकर्ताओं के पंजीकरण एवं उनके लाइसेन्स प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 5873/आठ–1–05–34विविध/03 टीसी–1 दिनांक 12.01.08 के द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 06.05.08 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय :

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार के समय निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए :–

1. शासन द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत कन्सोर्शियम को कम्पनियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार कन्सोर्शियम के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करने की स्थिति में केवल कम्पनी ही सदस्य हो सकते हैं, जब कि मेसर्स ओमेक्स लि0 तथा मेसर्स ए0एन0एस0 कान्सट्रक्शन प्रा0लि0 के द्वारा प्रस्तुत किये गये कंसोर्शियम में क्रमशः 02 एवँ 07 निजी व्यक्तियों को कन्सोर्शियम का सदस्य बनाया गया है।
2. शासन द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत रीयल इस्टेट क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जब कि मेसर्स विराज कांस्ट्रक्शन लि0 व मेसर्स के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 को रीयल इस्टेट क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है।

3. शासन द्वारा लाइसेन्स हेतु निर्धारित अर्हताओं एवॅ मापदण्डों के अन्तर्गत प्राधिकरण की अधिगृहीत भूमि को लाइसेन्स प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, जब कि मेसर्स ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0लि0 एवम् ओमेक्स लि0 द्वारा प्राधिकरण की क्रमशः 53 एकड़ एवम् 13 एकड़ अधिगृहीत भूमि लाइसेन्स प्रस्ताव में सम्मिलित की गयी है।
4. शासन द्वारा लाइसेन्स हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत लाइसेन्स हेतु आवेदन करते समय विकासकर्ता के स्वामित्व में प्रस्तावित योजना की न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि होना आवश्यक है, जब कि मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा0लि0 के स्वामित्व में मात्र 24.30 प्रतिशत भूमि ही थी।
5. मेसर्स ए0एन0एस0 कांस्ट्रक्शन प्रा0लि0 के लाइसेन्स प्रस्ताव में उनके स्वामित्व की भूमि तारतम्यता (कन्टीग्यूटी) में नहीं है एवम् लाइसेन्स क्षेत्र का एक बड़ा भाग महायोजना 2021 के अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट हेतु निर्दिष्ट भूमि पर स्थित है।

इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं एवम् मापदण्डों की पूर्ति न करने के कारण मे0 ओमेक्स लि0,ए0एन0एस0 कान्सट्रक्शन प्रा0लि0, विराज कान्सट्रक्शन लि0 तथा मे0 के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स के पंजीकरण तथा मे0 ओमेक्स लि0,ए0एन0एस0 कान्सट्रक्शन प्रा0लि0, विराज कान्सट्रक्शन लि0 तथा मे0 के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स, एल्डिको सिटी प्रा0लि0 एवम् ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0लि0 के लाइसेन्स को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया एवॅम् मापदण्डों के आधार पर पंजीकरण/लाइसेन्स प्रस्तावों का परीक्षण न करते हुए उनकी स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने के कारण संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 10 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के अनुरक्षण एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर यह निर्देश प्रदान किये गये कि प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के लखनऊ

नगर निगम को हस्तांतरित हो जाने के फलस्वरूप अधिसंख्य हुए कर्मियों को ही रमाबाई अम्बेडकर मैदान के अनुरक्षण एवं प्रबंधन में तैनात किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इस प्रयोजन हेतु किसी दशा में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाये। मैदान के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा ही वहन किये जाने का निर्णय लिया गया। मैदान के आबंटन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि अग्रतर आदेशों तक इस मैदान का आबंटन डा0 अम्बेडकर मैदान के आबंटन की प्रक्रिया/शर्तों के अनुरूप किया जाये।

विषय संख्या : 11 लखनऊ नगर महानगर क्षेत्र में गोल मार्केट के पास स्थित पार्क में पी0पी0पी0 माडल पर भूमिगत पार्किंग काम्प्लेक्स का निर्माण।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पी0पी0पी0 माडल पर भूमिगत पार्किंग काम्प्लेक्स बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इसी के साथ–साथ लखनऊ नगर के अन्य क्षेत्रों में भी पार्किंग की आवश्यकता का आंकलन करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 12 गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर निर्मित भवन को समायोजित करने से सम्बन्धित आश्वासन संख्या 523–38–2001 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त समायोजन का कोई औचित्य न पाये जाने के कारण अस्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 13 लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय : लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया तथा शासन को स्वीकृति की अनुशंसा सहित अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि लखनऊ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (लीडा) व लखनऊ

विकास प्राधिकरण की सीमा में ओवरलैपिंग के सम्बन्ध में शासन से अनुरोध कर लिया जाये, जिससे दोनों संस्थाओं की महायोजना में एकरूपता बनी रहे।

विषय संख्या : 14 लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/सीवेज फार्म के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

विषय संख्या : 15 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में आवश्यक संशोधन किये जाने विषयक।

निर्णय : रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुक्रम में विचार–विमर्श के उपरान्त भवन उपविधि व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 16 लखनऊ नगर में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम सरोसा–भरोसा एवं सलेमपुर पतौरा की लगभग 86 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "कृषि" एवं "पार्क"/खुले स्थल व हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधाएं, शिक्षण संस्थाएं, में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन की संस्तुति प्रदान करते हुए प्रस्ताव को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0 विषय सं0: 1 गोमती नगर योजना में नदी के बायें तटबंध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बंधा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क, के आंशिक भाग जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 2665 वर्गमीटर व 5220 वर्गमीटर है, का

भू–उपयोग 'यातायात एवं परिवहन, वर्तमान सड़क' से 'मनोरंजनात्मक, पार्क एवं खुला स्थल' में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0 विषय सं0: 2 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा की कुल 7.50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0 विषय सं0: 3 लखनऊ में प्रस्तावित/विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप योजना से सम्बन्धित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट।

निर्णय : प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

1. सहारा इण्डिया द्वारा तीन वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक हाईटेक टाउनशिप परियोजना के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है, अतः हाईटेक टाउनशिप हेतु इनके चयन को निरस्त करने की संस्तुति के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।
2. अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित/विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में इंगित कमियों एवम् अनियमितताओं के दृष्टिगत पूर्व में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये डी0पी0आर0 तथा ले–आउट प्लान को निरस्त किया जाये। इन

कमियों एवम् अनियमितताओं की गम्भीरता के दृष्टिगत हाईटेक टाउनशिप हेतु इनके चयन को निरस्त करने की संस्तुति के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

3. जिन अधिकारियों द्वारा इंगित कमियों एवम् अनियमितताओं के साथ डी0पी0आर0 तथा ले–आउट प्लान की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं विकास अनुबन्ध किया गया है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

अनु0 विषय सं0: 4 लखनऊ महायोजना–2021 को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रचलित महायोजना–2021 में कमियों का भली–भांति परीक्षण कर लिया जाये तथा परीक्षणोपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्तमान में महायोजना का संशोधन आवश्यक है, अतएव वर्तमान में प्रभावी महायोजना के आधार पर जोनल प्लान बनाये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण वर्तमान में बनाये जा रहे जोनल प्लानों के कार्य को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाये।

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

## लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 30 जून, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

| | |
|---|---|
| विषय संख्याः 01 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। |
| लिया गया निर्णयः | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। |
| विषय संख्याः 02 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या । |
| लिया गया निर्णयः | अनुपालन नोट किया गया । |
| विषय संख्याः 03 | वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुमोदन के सम्बन्ध मे । |
| लिया गया निर्णयः | वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श किया गया, विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया । |
| अनुपालनः | उक्त अनुमोदन का अनुपालन किया जा रहा है । |
| विषय संख्याः 04 | मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार । |
| लिया गया निर्णयः | मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान'' में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। |

अनुपालनः — प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को पत्र. संख्याः 629/वी0सी0/सी.टी.पी./08, दिनांक 22.07.2008 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।

विषय संख्याः 05 — हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में "यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा" भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णय : — विचारोपरान्त हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में "यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा" भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णण लिया गया ।

अनुपालनः — प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को पत्र. संख्याः 623/वी0सी0/सी.टी.पी/08, दिनांक 22.07.2008 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है ।

विषय संख्याः 06 — सम्पत्ति की धनराशि समय से जमा न करने के फलस्वरुप लगने वाले दण्ड ब्याज को रु0 25,000.00 माफ किये जाने वाले प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अनुपालनः — अनुपालन सुनिश्चित किया गया ।

विषय संख्याः 07 — लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का पार्किंग स्थल के रुप में विकसित किये जाने हेतु भूमि अर्जन की योजना ।

लिया गया निर्णय : — विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए अर्जन की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने के निर्देश दिये गये ।

अनुपालनः — भूमि अधिग्रहण हेतु धारा 4/17 की अधिसूचना प्रकाशित कराई जा चुकी है।

विषय संख्याः 08 — सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम–सेमरागौढ़ी, मोहिबल्लपुर खलीलाबाद, बटहासबौली, सिकन्दरपुर इनायतअली व आकिलपुर के अर्जित भूमि का समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

लिया गया निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि 30 सितम्बर,2008 तक अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान

प्रत्येक दशा में कर दिया जाये तथा उक्त अवधि तक कार्यवाही पूर्ण कर प्राधिकरण को अवगत कराया जाये ।

अनुपालनः निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्याः 09 उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड एसेम्बली एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी) के अन्तर्गत विभिन्न विकासकर्ताओं के पंजीकरण तथा उन्हें निर्गत किये गये लाइसेन्स के सम्बन्ध में प्राधिकरण की दिनांक 01.03.2008 की बैठक में विषय संख्या–10 पर पारित निर्णय के क्रम में कुल 06 विकासकर्ताओं के पंजीकरण एवं उनके लाइसेन्स प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 5873/आठ–1–05–34 विविध/03टीसी–1 दिनांक 12 जनवरी,2008 के द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 06.05.2008 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार ।

लिया गया निर्णय : उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की सस्तुतियों पर विचार के समय निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. शासन द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत कन्सोर्शियम को कम्पनियों के समूह के रुप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार कन्सोर्शियम के रुप में पंजीकरण हेतु आवेदन करने की स्थिति में केवल कम्पनी ही सदस्य हो सकते हैं, जबकि मेसर्स ओमेक्स लि0 तथा मेसर्स ए0एन0एस0 कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 के द्वारा प्रस्तुत किये गये कन्सोर्शियम में क्रमशः 02 एवं 07 निजी व्यक्तियों को कन्सोर्शियम का सदस्य बनाया गया है ।

2. शासन द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत रीयल इस्टेट क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जबकि मेसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन लि0 व मेसर्स के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 को रीयल इस्टेट क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है।

3. शासन द्वारा लाइसेन्स हेतु निर्धारित अर्हताओं एवं मापदण्डों के अन्तर्गत प्राधिकरण की अधिगृहीत भूमि को लाइसेन्स प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, जब कि मेसर्स ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0लि0 एवं ओमेक्स लि0 द्वारा प्राधिकरण की क्रमशः 53 एकड़ एवं 13 एकड़ अधिगृहीत भूमि लाइसेन्स प्रस्ताव में सम्मिलित की गयी है।

4. शासन द्वारा लाइसेन्स हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत लाइसेन्स हेतु आवेदन करते समय विकासकर्ता के स्वामित्व में प्रस्तावित योजना की न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि होना आवश्यक है, जबकि मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा0लि0 के स्वामित्व में मात्र 24.30 प्रतिशत भूमि ही थी ।

5. मेसर्स ए0एन0एस0 कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 के लाइसेन्स प्रस्ताव में उनके स्वामित्व की भूमि तारतम्यता (कन्टीग्यूटी)में नहीं है एवं लाइसेन्स क्षेत्र का एक बड़ा भाग महायोजना 2021 के अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट हेतु निर्दिष्ट भूमि पर स्थित है। इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं एवं मापदण्डों की पूर्ति न करने के कारण मे0 ओमेक्स लि0, ए0एन0एस0 कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, विराज कान्स्ट्रक्शन लि0 तथा मे0 के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स के पंजीकरण तथा

मे0 ओमेक्स लि0, ए0एन0एस0 कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, विराज कान्स्ट्रक्शन लि0 तथा मे0 के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स, एल्डिको सिटी प्रा0लि0 एवं ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0लि0 के लाइसेन्स को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मापदण्डों के आधार पर पंजीकरण/लाइसेन्स प्रस्तावों का परीक्षण न करते हुए उनकी स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने के कारण संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवगत कराने के निर्देश दिये गये ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार सम्बन्धित विकासकर्ता कम्पनी के पंजीकरण एवं लाइसेन्स के निरस्तीकरण का पत्र दिनांक 11.07.2008 को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण मे सम्मिलित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

विषय संख्याः10 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के अनुरक्षण एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर यह निर्देश प्रदान किये गये कि प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के लखनऊ नगर को हस्तांतरित हो जाने के फलस्वरुप अधिसंख्य हुए कर्मियों को ही रमाबाई अम्बेडकर मैदान के अनुरक्षण एवं प्रबन्धन में तैनात किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इस प्रयोजन हेतु किसी दशा में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाये। मैदान के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा ही वहन किये जाने का निर्णय लिया गया। मैदान के आवंटन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि अग्रेतर आदेशों तक इस मैदान का आवंटन डा0 अम्बेडकर मैदान के आवंटन की प्रकिया/शर्तो के अनुरुप किया जाये ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार रमाबाई अम्बेडकर मैदान की सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी गार्ड लगाये जा चुके हैं। अन्य वॉछित कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

विषय संख्याः11 लखनऊ नगर महानगर क्षेत्र में गोल मार्केट के पास स्थित पार्क में पी.पी.पी. माडल पर भूमिगत पार्किंग काम्पलेक्स का निर्माण ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पी0पी0पी0 मॉडल पर भूमिगत पार्किंग काम्पलेक्सा बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इसी के साथ–साथ लखनऊ नगर के अन्य क्षेत्रों में भी पार्किंग की आवश्यकता का आंकलन करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

अनुपालनः आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु कन्सलटेंट का चयन किया गया है। प्रश्नगत परियोजना बायबिलिटी हेतु कन्सलटेंट को संदर्भित किया जा रहा है ।

| | |
|---|---|
| विषय संख्याः12 | गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर निर्मित भवन को समायोजित करने से सम्बन्धित आश्वासन संख्या–523–38–2001 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में । |
| लिया गया निर्णयः | प्रस्तुत प्रस्ताव सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त समायोजन का कोई औचित्य न पाये जाने के कारण अस्वीकृत किया गया । |
| अनुपालनः | निर्णय के अनुसार आश्वासन समिति को आगामी बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना प्रस्तावित है । |
| विषय संख्याः13 | लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में । |
| लिया गया निर्णयः | लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया तथा शासन को स्वीकृति की अनुशंसा सहित अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया ।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि लखनऊ इण्ड्स्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (लीडा) व लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में ओवरलैपिंग के सम्बन्ध में शासन से अनुरोध कर लिया जाये, जिससे दोनों संस्थाओं की महायोजना में एकरुपता बनी रहे । |
| अनुपालनः | लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा विस्तार से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को पत्र. संख्याः 608/वी0सी0/सी.टी.पी/08, दिनांक 16.07.2008 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। |
| विषय संख्याः14 | लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/सीवेज फार्म के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध मे । |
| लिया गया निर्णयः | प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया । |
| अनुपालनः | अनुपालन सुनिश्चित किया गया । |
| विषय संख्याः15 | रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में आवश्यक संशोधन किये जाने विषयक। |
| लिया गया निर्णयः | रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुक्रम में विचार–विमर्श के उपरान्त भवन उपविधि व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया । |
| अनुपालनः | प्राधिकरण के निर्देशानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग के कियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में |

संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव पत्र संख्याः 603/वी0सी0/सी0टी0पी0/08, दिनांकः 14.07.2008 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।

विषय संख्याः16 — लखनऊ नगर में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम सरोसा–भरोसा एवं सलेमपुर पतौरा की लगभग 86 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को ''कृषि'' एवं ''पार्क''/खुले स्थल व हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधाएं, शिक्षण संस्थाएं, में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः — सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन की संस्तुति प्रदान करते हुए प्रस्ताव को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः — 1.नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक–भू0/वि0 द्वारा विकलांग कल्याण निदेशालय से आवश्यक विवरण प्राप्त किया जा रहा है। उक्त विवरण प्राप्त होने पर प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

2.संयुक्त निदेशक–भूमि एवं विकास द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय द्वारा विकलांग विश्वविद्यालय के लिए हस्तांतरित भूमि की सूची उपलब्ध करायी गई है। उपलब्ध कराई गयी सूची के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को संस्तुति नियोजन विभाग के माध्यम से प्रेषित की जा रही है ।

अनु0विषय सं0:01 — गोमती नगर योजना में नदी के बायें तटबंध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बंधा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा0 भीमराव अम्बेडकरसामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क, के आंशिक भाग जिसका क्षेत्रफल कमशः 2665 वर्गमीटर व 5220 वर्गमीटर है, का भू–उपयोग 'यातायात एवं परिवहन' वर्तमान सड़क से 'मनोरंजनात्मक', पार्क एवं खुला स्थल में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः — भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः — 1.नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को पत्र. संख्याः 625/वी0सी0/सी.टी.पी/08, दिनांक 22.07.2008 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।

2.संयुक्त निदेशक–भूमि एवं विकास द्वारा अवगत कराया गया कि निर्णय के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जा चुकी है एवं शासन द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2008 को आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

अनु0विषय सं0:02 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा की कुल 7.50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं8 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः 1. नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को पत्र. संख्याः 624/वी0सी0/सी.टी.पी/08, दिनांक 22.07.2008 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।

2.संयुक्त निदेशक–भूमि एवं विकास द्वारा अवगत कराया गया कि निर्णय के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जा चुकी है एव शासन द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2008 को आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

अनु0विषय सं0:03 लखनऊ में प्रस्तावित/विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप योजना से सम्बन्धित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः–

1. सहारा इण्डिया द्वारा तीन वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक हाईटेक टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है, अतः हाईटेक टाउनशिप हेतु इनके चयन को निरस्त करने की संस्तुति के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।
2. अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित/विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप परियोजना के सम्बंध में इंगित कमियों एवं अनियमितताओं के दृष्टिगत पूर्व में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये डी0पी0आर0 तथा ले–आउट प्लान को निरस्त किया जाये । इन कमियों एवं अनियमितताओं की गम्भीरता के दृष्टिगत हाइटेक टाउनशिप हेतु इनके चयन को निरस्त करने की संस्तुति के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा जाये ।
3. जिन अधिकारियों द्वारा इंगित कमियों एवं अनियमितताओं के साथ डी0पी0आर0 तथा ले–आउट प्लान की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं विकास अनुबन्ध किया गया है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार अंसल की हाईटेक ठाउनशिप का डी.पी.आर. व ले–आउट निरस्तीकरण का पत्र दिनांक 31.07.2008 को विकासकर्ता कम्पनी को प्रेषित किया जा चुका है। अंसल तथा सहारा के हाईटेक टाउनशिप के चयन को निरस्त करने हेतु शासन को दिनांक 31.07.2008 को संस्तुति हेतु भेजा जा चुका

है । इंगित कमियों/अनियमितताओं के साथ डी.पी.आर. एवं ले–आउट की स्वीकृति प्रदान करने में सम्मिलित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है ।

अनु0विषय सं0:04 लखनऊ महायोजना– 2021 को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रचलित महायोजना–2021 में कमियों का भली–भॉति परीक्षण कर लिया जाये तथा परीक्षणोपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि वर्तमान में महायोजना का संशोधन आवश्यक है, अतएव वर्तमान में प्रभावी महायोजना के आधार पर जोनल प्लान बनाये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण वर्तमान में बनाये जा रहे जोनल प्लानों के कार्य को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाये ।

अनुपालनः प्राधिकरण के निर्देशानुसार जोन संख्याः 3,15,16 व 22 के जोनल प्लान के निरस्तीकरण सम्बन्धी सूचना कन्सलटेंट फर्मो को कमशः पत्र संख्याः 632/टी0पी0/08, दिनांक 23.07.2008, पत्र संख्याः 633/टी0पी0/08, दिनांकः 23.07.2008, पत्र संख्याः 634/टी0पी0/08, दिनांकः 23.07.2008 एवं पत्र संख्याः 635/टी0पी0/06, दिनांकः 23.07.2008 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

विषय संख्याः 03 पृष्ठ संख्याः 19

**विषयः- मा0 मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा के दृष्टिगत हैलीपैड के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने की योजना।**

राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2734/32-4-8-6-2008 दिनांक 22.05.08 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री आवास-05 कालीदास मार्ग के सामने ट्रस्टीज आफ दी लखनऊ मार्टिन चैरिटीज की गाटा सं0 258 मौजा कोठी मार्टिन साहब स्टैशन गनेशगंज लखनऊ व मौजा रमना दिलकुशा स्टेशन गनेशगंज की गाटा सं0 11 व 13 का जुज भाग 47880 वर्गफुट अर्थात 4449.81 वर्ग मी0 भूमि को मा0 मुख्यमंत्री जी के उपयोगार्थ हेलीपैड हेतु अधिग्रहीत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त चयनित भूमि का नजरी नक्शा संलग्न कर अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही शीर्ष प्राथमिक्ता के आधार पर कराने का निर्देश दिया गया है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र मे हेलीपैड के निर्माण हेतु ग्राम कोठी मार्टिन साहब स्टैशन गनेशगंज लखनऊ के खसरा सं0 258 क्षेत्रफल 0.152 हे0 व रमना दिलकुशा स्टेशन गनेशगंज लखनऊ के खसरा सं0 11 क्षेत्रफल 0.294 हे0 भूमि को प्रस्तावित योजना मे सम्मिलित किया गया है। शासन द्वारा प्रेषित नजरी नक्शे में जो मापें अंकित की गई है, उसके अनुसार खसरा सं0 13 ग्राम रमना दिलकुशा स्टेशन गनेशगंज की भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से काफी दूर है एवं प्रस्तावित योजना से प्रभावित नही है। इस प्रकार प्रस्तावित हेलीपैड के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की योजना में कुल 0.446 हे0 भूमि सम्मिलित करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 की अधिसूचना प्रकाशित कराया जाना प्रस्तावित है। धारा 4/17 की अधिसूचना प्रकाशित कराने हेतु जिलाधिकारी,लखनऊ को दिनांक 18.06.08 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

**<u>प्रस्तावः-</u>**

उपरोक्त के दृष्टिगत कोठी मार्टिन साहब स्टैशन गनेशगंज के खसरा सं0 258 व मौजा रमना दिलकुशा स्टेशन गनेशगंज की गाटा सं0 11 तहसील, परगना व जिला लखनऊ की लगभग 0.446 हे0 भूमि को भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 17 के प्राविधान के साथ अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(एस0 के0 [illegible])
संयुक्त निदेशक (पू0/वि0)
ल0 वि0 प्रा0, लखनऊ

martin yojna

विषयः लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुयी पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव।

राज्य सम्पत्ति विभाग, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या–50/32–यो.को.–2008 दिनांक 28.02.2008 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री भवन के सामने स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुयी पश्चिम दिशा की भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग हेतु अधिग्रहण करने और उस पर पार्किंग स्थल का विकास तथा उसका संचालन एवं अनुरक्षण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार भूमि अधिग्रहण एवं पार्किंग स्थल को विकसित करने पर होने वाले व्यय हेतु वित्तीय संसाधन राज्य सम्पत्ति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र में पार्किंग के विकास एवं निर्माण हेतु मोहल्ला कन्धारी बाजार की कुल 1.555 हेक्टेअर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 0.439 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1982 में यातायात के निर्बाध संचालन और जनता की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु सरोजनी नायडू मार्ग को चौड़ा करने के लिए किया गया था। इस हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/17 व 6/17 के अन्तर्गत शासन द्वारा दिनांक 15.06.1982 को अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 18.04.1984, 31.03.1986 व 23.09.1986 को घोषित किया गया था तथा अर्जित की जाने वाली भूमि में खसरा संख्या–509पी में से 14464 वर्गफुट भूमि का कब्जा दिनांक 31.07.1982 को तथा 1536 वर्गफुट भूमि का कब्जा दिनांक 23.08.1984 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार कुल 16000 वर्गफुट अर्थात् 0.149 हेक्टेअर भूमि का कब्जा लिया जा चुका है। अवशेष भूमि का कब्जा अभी तक अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध नही कराया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित पार्किंग की योजना हेतु कुल 1.555 हेक्टेअर भूमि में से 0.439 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1982 में किया जा चुका है, अवशेष 1.116 हेक्टेअर भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य से धारा–4/17 की अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को पत्र संख्या–682/सं.नि./08 दिनांक 11.06.2008 के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है।

3. लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुयी पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु 1.116 हेक्टेअर भूमि पर योजना प्रस्तावित की गयी थी। राज्य सम्पत्ति विभाग, उ.प्र. शासन में दिनांक 17.06.2008 को प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में बैठक आहूत हुई थी, जिसमें प्रस्तावित योजना का संशोधित नजरी

नक्शा उपलब्ध कराया गया था, जिसमें सचिवालय के विस्तारीकरण हेतु कुछ और भूमि प्रस्ताव में सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस क्रम में प्रस्ताव संशोधित किया गया है। संशोधित प्रस्ताव में कुल 1.798 हेक्टेअर भूमि सम्मिलित की गयी है, जिसमें सरोजनी नायडू मार्ग के चौड़ीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982 में विज्ञप्ति की गयी 0.439 हेक्टेअर भूमि व 0.474 हेक्टेअर नजूल भूमि भी सम्मिलित है। इस प्रकार प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्तावित पार्किंग की योजना हेतु अवशेष 0.885 हेक्टेअर भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा–4/17 की अधिसूचना प्रकाशित कराने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया था। शासन द्वारा धारा–4/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 08.08.2008 को किया जा चुका है। प्रस्तावित योजना हेतु धारा–6/17 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 26.08.2008 को प्रेषित किया गया है।

4. लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग एवं सचिवालय विस्तारीकरण भाग–2 योजना हेतु 2.899 हेक्टेअर भूमि सम्मिलित की गयी है, जिसमें 0.907 हेक्टेअर भूमि राज्य सरकार की, 0.572 हेक्टेअर नजूल भूमि व 1.420 हेक्टेअर निजी भूमि सम्मिलित है। प्रस्तावित फेज–2 की योजना हेतु प्राधिकरण की स्वीकृत की प्रत्याशा में धारा–4/17 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 18.08.2008 को प्रेषित किया गया है।

5. प्राधिकरण की दिनांक 30.06.2008 की बैठक में लाल बहादुर शास्त्री भवन के सम्मुख पार्किंग हेतु कुल 0.885 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में पार्किंग के साथ–साथ सचिवालय के विस्तारीकरण तथा फेज–2 के अन्तर्गत विधानसभा मार्ग एवं लाल बहादुर शास्त्री भवन के मध्य अवशेष भूमि (बापू भवन एवं रायल होटल को छोड़कर) के अधिग्रहण का भी निर्णय लिया गया है, अतः संशोधित प्रस्ताव के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग एवं सचिवालय विस्तारीकरण भाग–1 के अन्तर्गत मोहल्ला कन्धारी बाजार तहसील, परगना एवं जिला लखनऊ की 0.885 हेक्टेअर भूमि तथा भाग–2 के अन्तर्गत कुल 1.420 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण धारा–17 के प्राविधानों के साथ किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार योजना तथा हरदोई रोड योजना के बसंत कुंज आवासीय योजना एवं प्रबन्ध नगर आवासीय योजना को बाढ़ सुरक्षा हेतु गोमती नदी के अप स्ट्रीम में तथा डाउन स्ट्रीम में बन्धे के निर्माण के सम्बन्ध में।

गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार योजना की बाढ़ सुरक्षा के लिए लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाईन से अमर शहीद पथ तक नदी के बांये तटबन्ध पर 5.95 किलोमीटर लम्बे बंधे का निर्माण सिचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है जिस हेतु रू0 78 करोड़ लागत की परियोजना स्वीकृत है एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बन्धे के निर्माण हेतु रू0 12 करोड़ की धनराशि सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है। बन्धे के एलाइनमेन्ट की कुछ भूमि अनार्जित है तथा कुछ भूमि पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश है, जिसके कारण एलाइनमेन्ट के कुछ भाग पर निर्माण बाधित है। अनार्जित भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है एवं शीघ्र ही अनार्जित भूमि क अर्जन हेतु धारा–4/17 की अधिसूचना प्रकाशित कराने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा जाएगा। इसी क्षेत्र मे एक सहकारी आवास समिति व एक अन्य व्यक्ति द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गयी है, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा याची की भूमि पर यथस्थित बनाए रखने का आदेश दिया गया है। याची की कुछ भूमि बन्धे के एलाइनमेन्ट को प्रभावित कर रही है। अतः स्थगन आदेश होने के कारण बन्धे का निर्माण बाधित है। मा0 उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. की शीघ्र सुनवाई एवं स्थगनादेश को 'वैकेट' कराने हेतु दिनांक 02.09.08 को एक अन्तरिम प्रार्थना पत्र दाखिल कराया गया है।

रेलवे लाइन से अमर शहीद पथ तक नदी के दांहिने तटबन्ध पर प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस क्षेत्र में दो विकासकर्ताओं द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप प्रस्तावित की गयी है। इसी प्रकार अमर शहीद पथ के डाउन स्ट्रीम में नदी के दोनों ओर महायोजना के अनुसार विकास प्रस्तावित है। इसे दृष्टिगत रखते हुए रेलवे लाइन से अमर शहीद पथ तक नदी के दांये तटबंध पर एवं अमर शहीद पथ के डाउन स्ट्रीम में नदी के दोनों तटबन्धों पर बन्धे के निर्माण हेतु एलाइन्मेन्ट को अंतिम रूप देने एवं बंधे के निर्माण का आगणन तथा परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु सिचॉई विभाग से अनुरोध किया गया है। सिचाई विभाग द्वारा दिनांक

15.09.2008 तक बन्धे का एलाइनमेन्ट निर्धारित करने एवं आगणन व परियोजना रिपार्ट प्राधिकरण को उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

2. सिंचाई विभाग द्वारा कैटिल कालोनी से हरदोई रोड एवं सीतापुर रोड को मिलाने वाली बाईपास रोड तक 3.65 किलोंमीटर लम्बे नदी के दाहिने तटबन्ध पर बंधे के निर्माण हेतु रु0 27.00 करोड़ की परियोजना स्वीकृत करायी जा चुकी है एवं प्राधिकरण द्वारा रु0 1.00 करोड़ की धनराशि सिचॉई विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है। बंधे के एलाइनमेन्ट में कुछ भूमि अनार्जित होने के कारण तथा कैटिल कालोनी के कुछ भूखण्ड बंधे से प्रभावित होने के कारण बंधे का निर्माण नहीं प्रारम्भ हो सका है।लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कैटिल कालोनी के जो भूखण्ड/निर्माण बंधे के एलाइनमेन्ट में आ रहे हैं, उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। एलाइनमेन्ट के अनार्जित भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4/17 की अधिसूचना प्रकाशित करने का प्रस्ताव ज़िलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 29.05.08 को प्रेषित किया जा चुका है। नदी के बांये तटबन्ध पर प्रबन्ध नगर योजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। प्रबन्ध नगर योजना भाग–1 के अन्तर्गत 470.044 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा–6 की अधिसूचना दिनांक 25.08.08 को प्रकाशित हो चुकी है तथा प्रबन्ध नगर भाग–2 के अन्तर्गत 330.172 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा–6 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा भूमि अध्याप्ति निदेशालय को दिनांक 26.08.08 को भेजा जा चुका है। अतः इस क्षेत्र को भी बाढ़ से सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 15.09.08 तक नदी के बांये तटबन्ध पर बन्धे के एलाइनमेन्ट को अंतिम रूप देने तथा बंधे के निर्माण हेतु आगणन व परियोजना रिपोर्ट, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उलपब्ध कराने की सहमति दी गयी है।

<u>प्रस्तावः</u>

उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार योजना के बाढ़ सुरक्षा के लिए अमर शहीद पथ तक नदी के दॉये तटबन्ध पर तथा अमर शहीद पंथ के डाउन स्ट्रीम में नदी के दोनो तटबन्धो पर बन्धे का निर्माण कराने एवं इसी प्रकार बसंत कुंज एवं प्रबन्ध नगर योजना को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टि से हरदोई रोड व सीतापुर रोड को मिलाने वाले बाईपास से कैटिल कालोनी तक नदी के बॉये तटबन्ध पर बन्धे का निर्माण किये जाने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। सिंचाई विभाग द्वारा बन्धे के एलाइनमेन्ट को अन्तिम रूप देने एवं आगणन व परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

(एस० बी० सिंह)
संयुक्त निदेशक (मू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने के लिए अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपालों को संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव तैयार कराने हेतु अधिग्रहण से सम्बन्धित अन्य कार्यो के लिए कुल 08 लेखपाल तथा 02 कानूनगो को 6 माह के लिए संविदा के आधार पर लेने हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 11.01.2008 में अनुमोदन प्रदान किया गया था। अनुमोदनोपरान्त विचार–विमर्श के क्रम में 02 कानूनगो एवं 8 लेखपाल के साथ एक तहसीलदार को भी कार्य पर रखने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए 'हिन्दुस्तान टाइम्स के लखनऊ संस्करण में दिनॉक 20.01.2008 को सूचना प्रकाशित करायी गई थी, जिसमें कुल 13 व्यक्तियों द्वारा आवेदन किये गये थे। प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा दिनांक 12.02.2008 को बैठक की गयी थी, जिसमे प्राप्त आवेदनो पर विचार करते हुये उपयुक्त के चयन पर विचार किया गया। समिति की संस्तुति के क्रम में अवकाश प्राप्त कुल दो नायब तहसीलदार, दो कानूनगो तथा 6 लेखपालो का चयन करके उन्हें भूमि अर्जन से सम्बन्धित कार्यो हेतु 06 माह के लिए संविदा पर रखा गया था। एक लेखपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया गया है। इस प्रकार अवकाश प्राप्त दो नायब तहसीलदार, दो कानूनगो तथा 5 लेखपाल संविदा के आधार पर कार्य कर रहे है। प्राधिकरण बोर्ड बैठक मे 6 माह के लिये इनकी सेवाये लिये जाने का अनुमोदन हुआ था। यह अवधि दिनांक 15.08.08 को समाप्त हो चुकी है। इन कर्मचारियो द्वारा पिछले 6 माह मे काफी लगन एवं परिश्रम से कार्य किया गया है जिसके फलस्वरूप कई भू–अधिग्रहण' योजनाऐ एवं शासन की कई वरीयता प्राप्त परियोजनाओ के प्रस्ताव तैयार कर धारा–4/17 व 6/17 की अधिसूचना के लिये जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके है, जिन योजनाओ के अधिग्रहण हेतु धारा–4/17 व 6/17 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित किये गये है उनमें प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग–1 एव 2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के सामने पार्किंग एवं सचिवालय विस्तारीकरण, मा. मुख्यमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिगत हैलीपैड के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना, ग्राम बिजनौर में एस.टी.पी. के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना आदि मुख्य है।



संयुक्त निदेशक (मु०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

2. वर्तमान मे प्राधिकरण के अन्य कई महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण योजनाऐ तथा शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओ के लिये भी धारा–4/17 व 6/17 का प्रस्ताव तैयार करके वरीयता पर जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया जाना है। अर्जन अनुभाग मे स्टाफ की कमी है। इसे दृष्टिगत रखते हुये इन कर्मचारियो को कम से कम एक वर्ष के लिये आगे भी लगाया जाना आवश्यक है। इनकी परफार्मेन्स रिव्यूव की गयी है। कुल 9 कर्मचारियो मे से कुल 5(दो नायब तहसीलदार, एक कानूनगो व दो लेखपाल) कर्मचारियो का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक रहा है। ऐसी स्थिति मे पूर्व मे स्वीकृत 9 कर्मचारियो के स्थान पर 05 कर्मचारियो (दो नायब तहसीलदार, एक कानूनगो व दो लेखपाल) को दिनांक 16.08.2008 से एक वर्ष के लिये पूर्व की शर्तो पर संविदा के आधार पर जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत अवकाश प्राप्त दो नायब तहसीलदार, एक कानूनगो व दो लेखपाल को दिनांक 31.07.09 तक पूर्व नियम व शर्तों पर भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यों हेतु संविदा पर लागए रखने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। यदि इनके कार्य व आचरण के विषय में काई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अवधि के पूर्व भी इन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है।

विषयः हरदोई रोड आवासीय योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत ग्राम बरीकला एवं बरावन खुर्द की 117.80 एकड़ नजूल भूमि के विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में।

सुनियोजित विकास के उद्देश्य से शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत 1355 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4/17 एवं 6/17 की अधिसूचना क्रमशः दिनॉक 12.11.1981 एवं 30.07.1983 को प्रकाशित की गई थी। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्ष 1987 में हस्तगत किया गया एवं दिनॉक 1986 को अभिनिर्णय घोषित किया गया था। अभिनिर्णय में भूमि की दर रु0 0.04 पैसे से 0.17 पैसे प्रति फुट निर्धारित की गई थी। हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा भूमि का प्रतिकर कम होने के आधार पर कई वर्षो तक योजना में विकास कार्य नहीं होने दिया गया। इसके दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा अपने पत्र संख्याः 1973/9–आ–3–97–56एल.ए/96 दिनॉक 09.06.1997 के माध्यम से योजना के हितबद्ध व्यक्तियों को समतल भूमि हेतु रु0 1,25,000/– तथा गड्ढ़े की भूमि हेतु रु0 75,000/– प्रति बीघे का प्रतिकर दिनॉक 01.10.1991 से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज जोड़ते हुए समझौते के आधार पर भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के क्रम में योजना के हितबद्ध व्यक्तियों को समझौते के आधार पर अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) के माध्यम से प्रतिकर का वितरण कराया जा रहा है।

2. हरदोई रोड योजना (बसंत कुंज) मे दिनॉक 12.11.1981 एवं 30.07.1983 को प्रकाशित की गयी धारा 4/17 व 6/17 की अधिसूचना मे अन्य ग्रामो की भूमि के साथ–साथ ग्राम बरीकला की 421 एकड़ भूमि तथा ग्राम बरावन खुर्द की 511.48 एकड़ भूमि सम्मिलित थी एवं अन्य ग्रामों की भूमि के साथ ग्राम बरीकला एवं बरावन खुर्द की भूमि का कब्जा वर्ष 1987 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया था एवं वर्ष 1986 में अभिनिर्णय घोषित किया गया था। वर्ष 1997 में स्थल पर कैम्प लगाकर उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 09.06.1997 द्वारा निर्धारित दर से समझौते के आधार पर प्रतिकर की धनराशि का वितरण प्रारम्भ किया गया था।



(पी० के० मिश्रा)
संयुक्त निदेशक (पू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

वर्ष 1997 मे कुल 13 व्यक्तियों को रु0 38,79,200.62 लाख समझौते की धनराशि का वितरण स्थल पर कैम्प के माध्यम से किया गया था। इसके उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया कि जिन 13 व्यक्तियों को समझौते के आधार पर प्रतिकर का भुगतान किया गया था, उसमें कुछ भूमि नजूल की थी। यह तथ्य संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रकरण की जॉच हेतु संदर्भित किया गया था। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्याः 165/आठ–अ.जि.अ./न.म.प.–प्रथम दिनॉक 7.06.2000 के माध्यम से प्रकरण की जॉच रिपोर्ट, जो कि उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा तैयार की गई थी, प्राधिकरण को प्रेषित की गई थी।

3. इसी बीच नजूल विभाग द्वारा भी प्रकरण की छानबीन की गई एवं यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम बरीकला की 105.03 एकड़ तथा बरावन खुर्द की 12.05 एकड़ भूमि नजूल की है। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रेषित की गई जॉच टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1959 से 1963 के मध्य यह नजूल की भूमि विभिन्न भूस्वामियों के नाम पहले सीरदारी फिर भूमिधरी के रूप मे अनियमित रूप से दर्ज हो गई। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1997 में कुल 13 व्यक्तियों को किये गये भुगतान पर डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट के माध्यम से वसूली की कार्यवाही का सर्टीफिकेट जारी कराया गया, जिसके विरूद्व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके स्थगनादेश प्राप्त किया गया है।

4. ग्राम बरीकला तथा बरावन खुर्द के लिए धारा 4/17 की अधिसूचना दिनॉक 12.11.1981 को जारी की गई थी। अधिसूचना जारी होने के उपरान्त चकबन्दी की कार्यवाही रोकने की व्यवस्था है, परन्तु ग्राम बरीकला में 1987 से 1995 तक चकबन्दी होती रही। अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) द्वारा अधिग्रहीत भूमि का अभिनिर्णय धारा 4/17 की अधिसूचना के आधार पर घोषित किया गया। अभिनिर्णय में यह अंकित है कि तत्समय चकबन्दी चल रही थी। वर्ष 1987 से 1995 तक चकबन्दी चल रही थी एवं चूॅकि धारा–4/17 की अधिसूचना एवं तदोपरान्त अभिनिर्णय विभिन्न भूमि के चकबन्दी के पूर्व की स्थिति मे था, अतः चकबन्दी के उपरान्त विभिन्न भूमियों की स्थिति एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। वर्तमान में विभिन्न भूस्वामी अवैध रूप से चकबन्दी के उपरान्त की स्थिति के अनुसार मौके पर काबिज हैं। चकबन्दी से उत्पन्न हुई समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है कि चकबन्दी के पश्चात् वास्तविक स्थिति एवं वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न हितबद्व व्यक्तियों को समझौते की धनराशि का भुगतान कर दिया जाए एवं तद्नुसार अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) द्वारा भुगतान की

कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार इस समस्या का निराकरण हो चुका है।

5. भूमि अधिग्रहण के समय ग्राम बरीकला एवं बरावन खुर्द की उपरोक्त नजूल की भूमि जिन विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधरी के रूप में दर्ज थी एवं इसे भूमिधरी मानकर अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) द्वारा अभिनिर्णय घोषित किया गया था ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी समझौते के आधार पर देय प्रतिकर की मॉग की जा रही है एवं भुगतान न होने के कारण इस क्षेत्र मे विकास/निर्माण कार्य नही होने दे रहे है। चूँकि यह भूमि पूर्व में नजूल की थी अतः उन्हें प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप यह व्यक्ति हरदोई रोड योजना के सेक्टर डी, ओ, आई जहॉ पर नजूल की भूमि स्थित है, पर विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं एवं जिस दर पर अन्य भूमि हेतु समझौते के आधार पर प्रतिकर का वितरण किया जा रहा है, उसी दर पर यह भी प्रतिकर की मॉग कर रहे हैं।

6. नजूल भूमि अवैध एवं अनियमित रूप से विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधरी के रूप में दर्ज हो जाने के कारण प्राधिकरण के नजूल विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों में पृविष्टियॉ नियोजित करने हेतु यू.पी.एल.आर. एक्ट की धारा 33/39 के अन्तर्गत एस.डी.एम., सदर, लखनऊ के न्यायालय में वाद दायर किया गया था, परन्तु अभी तक पृविष्टि के संशोधन हेतु कोई आदेश पारित नहीं हो सका है।

7. ग्राम बरीकला व बरावन में नजूल की भूमि हरदोई रोड योजना के सेक्टर डी, ओ, आई में पड़ती है। हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा विकास कार्य न होने देने के कारण योजना के अन्य क्षेत्रों में डाली गई सीवर एवं जलापूर्ति लाईन, नाली आदि की कनेक्टीविटी नहीं हा पा रही है एवं नजूल भूमि के इस क्षेत्र पर विकास कार्य न होने के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में जो विकास कार्य कराये गये हैं, उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है।

8. ग्राम बरीकला की 105.03 एकड़ तथा बरावन खुर्द की 12.05 एकड़ भूमि जो कि नजूल के अभिलेखों मे नजूल दर्ज है से कुल 78 काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं। जिलाधिकारी, लखनऊ की जॉच रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि यह काश्तकार वर्ष 1963 से सीरदारी/भूमिधरी के रूप में काबिज हैं। यू.पी.एल.आर.ए. की धारा–33/39 के अन्तर्गत प्रविष्टियॉ नियोजित करने हेतु वाद दायर किया जा चुका है परन्तु उनके नाम लगभग 50 वर्षों से पृविष्टि अंकित होने के कारण विवाद के निस्तारण में काफी समय लगने की सम्भावना है। विवाद के निस्तारण हेतु अत्यधिक समय लगने से जहाँ एक ओर

प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना के सेक्टर–डी, ओ एवं आई, जिसमें यह विवादित भूमि पडती है, के आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा पा रहा है, वहीं विकास कार्य अवरूद्ध होने से विकास कार्य की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अतः बृहतर प्राधिकरण एवं जनहित में समस्या का निराकरण यथाशीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

9. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि के लिए समतल भूमि हेतु रू0 1.25 लाख तथा गढ्ढ़े की भूमि के लिए 0.75 लाख प्रति बीघे की दर से तथा भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत ब्याज की धनराशि समझौते के रूप में भुगतान की जा रही है। इन काश्तकारों से स्थल पर विचार विमर्श किया गया है। वे अपने को प्रश्नगत भूमि के लिए भूमिधरी के रूप में मानते हैं। उनका यह कहना है कि वे 50 वर्षों से भूमिधरी के रूप में काबिज़ हैं तथा राजस्व अभिलेखों में उनका स्वामित्व संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। विचार विमर्श के समय इन लोगों द्वारा यह कहा गया है कि जिस दर से योजना के अन्य किसानों को समझौते के आधार पर भुगतान किया जा रहा है, उसी दर से उनको भी भुगतान किया जाए। इससे कम भुगतान पर वे सहमत नहीं है। ये व्यक्ति लगभग 50 वर्षों से भूमि पर काबिज है अतः यदि इन्हें भी उपरोक्त धनराशि अनुतोष के रूप में भुगतान कर दिया जाए तो इस समस्या का निराकरण निकल सकता है।

10. यदि ग्राम बरीकला एवं बरावनखुर्द की कुल 117.08 एकड़ भूमि के लिए इसी दर (समतल–1.25 लाख एवं असमतल 0.75 लाख प्रति बीघा एवं भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत ब्याज) से भुगतान पर विचार किया जाए तो दिनांक 31.10.08 की तिथि तक कुल लगभग रू0 8.25 करोड का भुगतान प्राधिकरण को करना होगा। यदि रू0 8.25 करोड को 117.08 एकड़ भूमि की 50 प्रतिशत बिक्री योग्य भूमि पर भारित किया जाए तो प्रति वर्ग मीटर रू0 350.00 का भार पड़ेगा। यह अवगत कराना है कि हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत वर्तमान में आवासीय, कामर्शियल तथा संस्थागत भूमि उपलब्ध है। अतः यह सम्भावित रू0 8.25 करोड की अतिरिक्त धनराशि हरदोई रोड योजना की अनिस्तारित भूमि पर भारित करते हुए भुगतान पर विचार किया जा सकता है। इससे समस्या का स्थायी निराकरण होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–डी, ओ एव आई की विवादग्रस्त भूमि पर आवंटियों को विकास व निर्माण करके कब्जा दिया जा सकेगा है।

<u>प्रस्ताव</u>

हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकला एवं बरावन खुर्द की कुल 117.87 एकड़ भूमि जो कि नजूल की है एवं जिस पर विभिन्न

व्यक्ति पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से भूमिधरी के रूप में काबिज रहे हैं, को योजना की अन्य भूमि की भाँति अनुतोष के रूप में समतल भूमि हेतु रू0 1.25 लाख तथा गढ़ढे की भूमि हेतु रू0 75 हजार प्रति बीघा एवं दिनांक 01.10.1991 से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचरार्थ प्रस्तुत है। राजस्व अभिलेखों में पृविष्टियों को संशोधित करने के सम्बन्ध में अथवा यदि कोई अन्य कार्यवाही प्रचलित है तो वह जारी रहेगा।

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
वि० प्रा०, लखनऊ

विषयः सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत लैण्ड फिल साइट हेतु भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में।

शासन द्वारा लखनऊ नगर में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर लैण्ड फिल साईट के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ.प्र. .राज्य सलाहाकार परिषद द्वारा भी लैण्डफिल साइट के लिए प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण करके लैण्ड लैण्डफिल साइट नगर निगम, लखनऊ/कान्सट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम को शीर्ष वरीयता पर उपलब्ध कराने की आपेक्षा की गयी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ महायोजना 2021 में निम्न स्थल पर लैण्ड फिल साईट प्रस्तावित किया गया है। :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | लखनऊ–हरदोई रोड पर रेलवे लाईन एवं आउटर रिंग रोड के पास। | 35.405 हेक्टेयर |
| 2. | लखनऊ–देवा रोड पर आउटर रिंगरोड के पास। | 23.716 हेक्टेयर |
| 3. | लखनऊ–सीतापुर रोड पर बक्शी का तालाब एवं आउटर रिंग रोड के पास। | 35.413 हेक्टेयर |
| 4. | लखनऊ–रायबरेली रोड पर पी.जी.आई. से लगभग 2 किमी आगे। | 35.00 हेक्टेयर |

2. सॉलिड वेस्ट के लिए लैण्डफिल साइट के सम्बन्ध में उ.प्र. राज्य सलाहकार परिषद की बैठक में विचार विमर्श हुआ था। यह तथ्य प्रकाश में आया कि लखनऊ रायबरेली रोड पर तथा लखनऊ सीतापुर रोड पर जिस स्थल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए लैण्ड फिल साइट हेतु भूमि चिन्हित की गयी है, उसके पास तक नगर विकसित हो चुका है एवं ये दोनों स्थल नगर की आबादी के पास आ चुके हैं। अतः यह तय किया गया था कि इन दोनों क्षेत्रों में इससे आगे किसी स्थल पर 'लैण्डफिल साइट' का चयन किया जाए एवं उसके आधार पर भूमि प्राप्त करके उपलब्ध करायी जाए। यह भी तय किया गया था कि इन दोनों क्षेत्र में यदि ग्राम समाज की भूमि एक्जाई रूप में उपलब्ध है तो उसका पुर्नग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में करके भूमि उपलब्ध कराया जा



(एस० सी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

सकता है । इसे दृष्टिगत रखते हुए हरदोई रोड तथा देवा रोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लैण्ड फिल साइट हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव भेजने की अपेक्षा की गयी थी।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत लखनऊ हरदोई रेलवे लाइन के पास ग्राम दशहरी, सिक्रोरी, रायपुर व सलेमपुर पत्तौरा में 38.672 हेक्टेयर भूमि का चयन लैण्डफिल साइट हेतु किया गया, जिसमें 33.405 हेक्टेयर कृषक भूमि व 3.267 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि स्थित है, जिसमें 35.405 हेक्टेयर कृषक भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करके धारा 4/17 की सूचना प्रकाशित करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 13.08.08 को प्रेषित कर दिया गया है। इसी प्रकार लखनऊ देवा रोड पर ग्राम गोइला में 24.660 हेक्टेयर भूमि का चयन लैण्डफिल साइट हेतु किया गया है, जिसमें 23.716 हेक्टेयर कृषक भूमि व 0.944 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि स्थिति है, जिसमें 23.716 हेक्टेयर कृषक भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को धारा 4/17 की सूचना प्रकाशित करने हेतु दिनांक 12.08.08 को प्रेषित कर दिया गया है।

4. प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त देवा रोड ग्राम गोइला में प्रस्तावित लैण्ड फिल साइट के सम्बन्ध में जिलाधिकारी तथा प्राधिकरण कार्यालय में स्थानीय लोगों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने यह अगवत कराया है कि यह स्थान गाँव की आबादी से सटा होने के कारण इस स्थल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए फिलिंग किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। स्थानीय लोगों ने माँग थी कि अन्य स्थान पर यह प्रस्ताव तैयार किया जाए। कुछ स्थानीय लोगों के साथ अपर जिलाधिकारी (भू.अ.), नगर निगम तथा प्रांधिकरण के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया गया था एवं ग्राम नौबस्ता व ग्राम धांवा में दो स्थानों को देखा गया था। बाद में जानकारी हुयी कि ग्राम धांवा पर टेल्को का विस्तारीकरण प्रस्तावित है। इसे दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ देवा रोड पर ग्राम गोइला की भूमि के अधिग्रहण के स्थान पर ग्राम नौबस्ता की लगभग 25.00 हेक्टेयर भूमि लैण्ड फिल साइट हेतु अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम गोइला की भूमि महायोजना 2021 में 'गारवेज़' के रूप में आरक्षित है, जबकि ग्राम नौबस्ता की भूमि का भूउपयोग महायोजना 2021 में आवासीय है। अतः ग्राम नौबस्ता में अधिग्रहण के साथ साथ महायोजना में इस भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव

उपरोक्त के दृष्टगत निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है:–

1. लैण्ड फिल साइट हेतु लखनऊ हरदोई रेलवे लाइन के पास ग्राम दसहरी, सिकरोरी, रायपुर एवं सलेमपुर पत्तौरा की कुल 35.405 हेक्टेयर तथा लखनऊ–देवा रोड पर ग्राम नौबस्ता की 25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–17 के प्राविधानों के साथ करने के साथ साथ जिलाधिकारी, लखनऊ को धारा 4/17 की अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति।
2. ग्राम नौबस्ता की भूमि का भू–उपयोग महायोजना 2021 में आवासीय है, अतः इसका भू–उपयोग आवासीय से लैण्ड फिल साइट के रूप में परिवर्तित करने हेतु शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में ग्राम नौबस्ता की 25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण लैण्ड फिल साइट हेतु करने की।

विषयः श्री गम्भीर सिंह खनका भारत–पाक युद्ध 1971 के विकलांग सैनिक की भूमि ग्राम मकदूमपुर स्थित खसरा संख्या 219 रकबा 0–1–12–2 बीघा भूमि के बदले गोमती नगर विस्तार योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

श्री गम्भीर सिंह खनका द्वारा ग्राम मकदूमपुर के खसरा संख्या 219 में से 0–1–12–2 बीघा भूमि वर्ष 1985 में क्रय किया गया था। उक्त भूमि अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 में अधिग्रहीत किया जा चुका है। अर्जनीय कार्यवाही पूर्ण होने के फलस्वरूप भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित हो चुका है।

2. शासन की नीति के अनुसार अधिग्रहीत भूमि के एवज में नियमानुसार प्रतिकर देय है। श्री गम्भीर सिंह खनका को गोमती नगर विस्तार में 200 वर्ग मीटर का भूखण्ड नियमानुसार पंजीकरण कराने के पश्चात आवंटित करने का निर्णय लिया जा चुका है, जिसकी सूचना श्री खनका को पत्र दिनॉक 17.04.2002 के पत्र द्वारा दी जा चुकी है, परन्तु श्री खनका द्वारा रु0 50,000/– का पंजीकरण नहीं कराया गया है, जिसके कारण अतः आवंटन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी है।

3. श्री खनका 12 कुमाऊँ रेजीमेन्ट के पूर्व सिपाही भारतीय सेना के भारत–पाक युद्ध 1971 के विकलांग सैनिक हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि (200 वर्ग मीटर) भूखण्ड निःशुल्क आवंटन किया जाये। प्राधिकरण स्तर पर श्री खनका द्वारा नियमानुसार पंजीकरण कराने के उपरान्त 200 वर्ग मीटर भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया जा चुका है, परन्तु इनके द्वारा पंजीकरण धनराशि नहीं जमा की गई है एवं निःशुल्क भूखण्ड आवंटित करने का अनुरोध किया जा रहा है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में युद्ध में शहीद हुए व्यक्तियों के आश्रितों को आवासीय सम्पत्तियों में छूट देने हेतु निर्णय लिया जा चुका है, परन्तु विकलांग सैनिकों के सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी दशा में श्री खनका को गोमती नगर विस्तार में उनकी भारतीय सेना में प्रदान की गई सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान दर पर 200 वर्ग मीटर के भूखण्ड का आवंटन किया जाना उचित होगा।

C:\Documents and Settings\abc\Desktop\Board meeting.doc

(एस० बी० [illegible])
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

प्रस्ताव

उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत श्री गम्भीर सिंह खनका द्वारा देश के प्रति की गई सेवा एवं वर्ष 1971 में भारत–पाक युद्ध में दिये गये बलिदान के दृष्टिगत गोमती नगर विस्तार योजना में 200 वर्ग मीटर का भूखण्ड वर्तमान दरों पर 'आउट आफ टर्न' आवंटित करने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

132
6/9/2008

विषय संख्याः 10 पृष्ठ संख्याः 36

विषयः-लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के संबंध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में संस्थागत भूखण्ड़ों का प्राविधान किया जाता है परन्तु संस्थागत भूखण्ड़ों के विक्रय की दर के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नही है। राज्य/केन्द्र सरकार के सरकारी/अर्धसरकारी/निगमों/सहकारी विभागों द्वारा प्राधिकरण से समय-समय पर अपने कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु भूखण्डों के आवंटन की मॉग की जाती है परन्तु इन संस्थाओं के भूखण्ड़ों का विक्रय मूल्य निर्धारित न होने के कारण मॉग पत्र निर्गत करने मे असुविधा होती है और शासन/केन्द्र सरकार के विभाग विक्रय मूल्य पर आपत्ति दर्ज करते हुये छूट की मॉग करते है।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय आदेश सं0-346/ स0प्र0-3/119 -2005/2226 दिनांक 26.4.2006 (छाया प्रति संलग्न) मे संस्थागत भूखण्डों के आवंटन हेतु आरक्षित मूल्य योजना की आवासीय दर का 1.5 गुना निर्धारित किये जाने का उल्लेख किया गया है। तद्नुसार ही लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी संस्थागत भूखण्ड़ों के आवंटन हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाना उचित होगा।

प्रस्तावः-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में संस्थागत उपयोग हेतु चिन्हित भूखण्ड़ों का विक्रय मूल्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी दर आवासीय का 1.5 गुना की ही भॉति निर्धारित करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

A.O.

2.9.08

04/09

संलग्नक



उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग)
104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक 346 /सं0प्र0–3/ 119–2005/2226 दिनांक 26.4.06

## कार्यालय आदेश

परिषद की अनेकों योजनाओं में संस्थागत भूखण्डों का प्राविधान किया गया है परन्तु इस प्रकार के भूखण्डों पर अनुमन्य गतिविधियों की जानकारी वर्तमान में सम्यक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस पृष्ठभूमि में उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी जोनिंग रेगुलेशन्स में कार्यालय उपयोग तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के समतुल्य मानते हुए इस प्रकार के भूखण्डों में निम्नलिखित गतिविधियॉ अनुमन्य की जा सकती है:–

राजकीय,अर्द्ध–राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, अनुसंधान/विकास/शोध केन्द्र,राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के जोनल/रीजनल कार्यालय ( एक ब्रॉच सहित), बारात घर/बैंकेट हाल, उच्च तकनीकी संस्थान,प्रबंधन संस्थान,उच्च माध्यमिक/इंटर कालेज, महाविद्यालय,पालीटेक्निक,मेडिकल/डेंटल–कालेज,अस्पताल,स्वास्थय केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र,टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र, टेलीवीजन केन्द्र, सभा भवन, योग–मनन–प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन, धार्मिक भवन, सामाजिक एवं सॉस्कृतिक संस्थान/ केन्द्र, आडीटोरियम, नाट्यशाला/ थियेटर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी/प्रदर्शनी केन्द्र, संगीत/नृत्य–नाट्य प्रशिक्षण/ कला केन्द्र, पुस्तकालय, क्लब,खेलकूद केन्द्र, साईबर कैफे आदि वह सभी उपयोग जो आवासीय तथा व्यावसायिक श्रेणी के अन्तर्गत न आते हों।

2. उक्त समस्त संस्थागत भूखण्डों का आरक्षित मूल्य प्रचलित आवासीय दर का 1.5 गुना निर्धारित किया जायेगा। संस्थागत भूखण्डों का निस्तारण लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर खुली नीलामी द्वारा किया जायेगा। शासकीय/ अर्द्ध शासकीय संस्थाओं द्वारा आवेदन किये जाने पर अपर/संयुक्त आवास आयुक्त ( जोन) एवं अधीक्षण अभियन्ता(वृत्त) के संयुक्त प्रस्ताव/संस्तुति पर गुण–दोष के आधार पर परिषद हित में आवास आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इन भूखण्डों की भुगतान पद्वति व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी नियमों/विनियमों/प्राविधानों के अनुसार ही रहेगीं। नियमानुसार कार्नर शुल्क लिया जायेगा।

3. संस्थागत भूखण्डों के अन्तर्गत आवंटित होने वाले स्कूल/कालेज, तकनीकी संस्थाओं आदि को भूमि मूल्य में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी तथा आरक्षित दर उपरोक्त अनुसार प्रचलित आवासीय दर की 1.5 गुना निर्धारित की जायेगी।भुगतान पद्वति व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी नियमों/विनियमों/प्राविधानों के अनुसार ही होगी। नियमानुसार कार्नर शुल्क अनुमन्य होगा।

4. इन भूखण्डों के निर्माण माप–दण्डों के संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त प्रयोजनों में जिनके लिए निर्माण पैरामीटर्स भवन निर्माण उपविधि /सुसंगत शासनादेशों में पहले से ही

....2

निर्धारित हो, तब वह यथावत मान्य होंगे परन्तु यदि किसी प्रयोजन हेतु वर्तमान में कोई माप–दण्ड निर्धारित न हो तब उनके लिए सामुदायिक सुविधा के अनुरूप 1.5 का एफ0 ए0 आर0 तथा 35 प्रतिशत भू–आच्छादन अनुमन्य होगा।

5. उपरोक्त उपयोगों तथा प्रकिया की जानकारी संस्थागत / कार्यालय भूखण्डों के निस्तारण हेतु विज्ञापित कराने वाले विज्ञापनों में अनिवार्य रूप से करायी जायेगी जिससे कि इच्छुक आवेदकों को पहले से ही पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।

( गंगादीन यादव )
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. अपर आवास आयुक्त(आगरा जोन),उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता / मुख्य वास्तुविद नियोजक / वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. संयुक्त आवास आयुक्त(जोन) / अधीक्षण अभियन्ता(वृत्त), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,.....
4. उप आवास आयुक्त / अधिशासी अभियन्ता / सहायक आवास आयुक्त / सम्पत्ति प्रबन्धक,उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,.....।
5. निजी सचिव,मा0 अध्यक्ष(म0) / आवास आयुक्त(म0) / अपर आवास आयुक्त एवं सचिव।

( शहाबुद्दीन मोहम्मद )
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में व्यवसायिक/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी की शर्तो में संशोधन किया जाना.

विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के व्यवसायिक/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग हेतु सृजित भूखण्डों का निस्तारण नीलामी द्वारा किया जाता है। शासनादेश संख्या 4982/9—आ—1—99—79बैठक/99 दिनांक 17.12.1999 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के आवेदकों को नीलामी में आरक्षण दिये जाने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार नीलामी की शर्तो में आरक्षण दिये जाने का प्राविधान कर दिया गया है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होता है।

विगत दिनांक 16.06.08 को अन्य भूखण्डों के साथ गोमती नगर योजना स्थित विराम खण्ड—5 के सामुदायिक सुविधाओं के भूखण्ड संख्या सीएफ—01, क्षेत्रफल 1960व0मी0 की नीलामी आयोजित की गयी थी। नीलामी में भूखण्ड के आरक्षित दर रू0 4400/—प्रति वर्गमीटर निर्धारित थी तथा यह भूखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी हेतु आरक्षित था। नीलामी में कुल 05व्यक्तियों ने टेण्डर/टोकेन मनी जमा करके भाग लिया, जिसमें सर्वोच्च बोली/निविदा मात्र रू0 5113/— प्रति वर्गमीटर की प्राप्त हुई। बोली दाताओं के मध्य पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, जिससे निम्न दरें प्राप्त हुई। अतः नीलामी समिति की संस्तुति पर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 24.06.08 द्वारा इस भूखण्ड की नीलामी अस्वीकृत कर दी गई। इस भूखण्ड के सर्वोच्च बोलीदाता श्री सुरेश कुमार कनौजिया ने अस्वीकृत आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 7373/एम0बी0/08 प्रस्तुत किया। याचिका में सुनवाई करते हुये मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.08 को याची के पूरक शपथ पत्र में अपने वास्तविक शिक्षा, जीवन स्तर के माध्यम एवं आय के श्रोत आयकर दाता है अथवा नहीं यदि है तो कब से आयकर उनके द्वारा जमा किया जाता रहा है, से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समुचित स्पष्टीकरण न होने के कारण मा0 न्यायालय ने एक सप्ताह में याची से उक्त बिन्दुओं पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है तथा इसी तारतम्य में विकास प्राधिकरण से भी यह अपेक्षा किया है कि आरक्षित श्रेणी के भूखण्ड वास्तव में आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को ही प्राप्त हों तथा उनके नाम से Proxy Transaction न होने पाये, के सम्बन्ध में न्यायालय से हस्तक्षेप को उचित मानते हुये नीलामी में ऐसा प्राविधान किये जाने की अपेक्षा किया है, जिससे आरक्षण का लाभ वास्तव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही प्राप्त हो और किसी अन्य को उसका लाभ लेने का मौका न मिलें। इस निर्देश के साथ उक्त याचिका में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.08 की तिथि निर्धारित की गई है।

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के दृष्टिगत् आरक्षित श्रेणी के भूखण्डों हेतु नीलामी की शर्तो में निम्न प्राविधान किया जाना प्रस्तावित हैः—

क्रमशः.....2

( विद्या प्रसाद )
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

( राकेश सिंह )
सचिव उपाधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रस्ताव

1. टेण्डर फार्म के साथ आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को सक्षम अधिकारी से गत 06 माह के अन्दर निर्गत आरक्षित श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हो।

2. नीलामी की शर्तो में 10प्रतिशत धनराशि टोकेन मनी के रूप में जमा करके तथा सफल बोलीदाता/आवंटी को 35प्रतिशत धनराशि सात दिन के अन्दर 15प्रतिशत धनराशि एक माह में तथा अवशेष 50प्रतिशत धनराशि एक वर्ष की 04 तिमाही किश्तों में ब्याज सहित जमा कराये जाने का प्राविधान है। समस्त धनराशियां केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। बोलीदाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि ड्राफ्ट उसके बैंक एकाउण्ट से ही बनाया गया है तथा PAN Number का उल्लेख करना होगा किसी भी दशा में थर्ड पार्टी Transaction Accept नहीं किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण बोर्ड कृपया आरक्षित श्रेणी के भूखण्डों हेतु तथा समान्य श्रेणी के भूखण्डों हेतु नीलामी की शर्तो में उपरोक्त प्राविधानों का समावेश किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ताकि तदनुसार शर्ते संशोधित की जा सके एवं मा0 उच्च न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 11.09.08 में प्राधिकरण की ओर से समुचित उत्तर दिया जा सके।

( विद्या प्रसाद )
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(राहुल सिंह)
विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषयः—श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी शहीद ले0 कर्नल एम0सी0शर्मा को पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड को रियायती दरों पर दिये जाने एवं निशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ।

श्रीमती कल्याणी शर्मा के पक्ष में शहीद पत्नी कोटे के अन्तर्गत जनवरी—2005 में व्यवसायिक भूखण्ड सं0—सीपी—7, विक्रान्त खंड, (पेट्रोल पम्प) गोमती नगर योजना के अन्तर्गत आवंटित किया गया था। भूखण्ड का आवंटन वरीयता के अधार पर तत्कालीन व्यवसायिक दर रू0—5600/—प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किया गया था। इन्होने भूखण्ड को निशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी, जिसे अस्वीकृत करते हुये आवंटन पत्र दिनांक 25.01.05 को जारी किया गया। शासनादेश सं0—वीआईपी—15/आठ—1—08—290एलडीए/04 दिनांक 12 फरवरी, 2008 के अनुसार शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेता की विधवा को 90प्रतिशत की रियायती दर पर व्यवसायिक भूखण्ड उपलब्ध कराया जाये।''

श्रीमती शर्मा के पत्र में अंकित किया गया है कि इनके पति स्व0 एम0सी0शर्मा को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। शासनादेश का विषय मात्र श्रीमती कल्याणी शर्मा के सम्बन्ध में है, किन्तु रियायती दर लागू करने का निर्णय नीतिगत है, जिसके अनुसार परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र एवं शौर्य चक्र विजेता शहीदों की पत्नियों को 90प्रतिशत छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 01.03.08 के विषय संख्या—05 को निम्न निर्णय लिया गया है:—

1. विभिन्न व्यवसायिक प्रायोजनों हेतु भूखण्ड के अधिकतम् क्षेत्रफल के सम्बन्ध में नीति बना ली जाये।
2. श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी शहीद ले0 कर्नल एम0सी0शर्मा को भी उपरोक्त निर्णय का लाभ अनुमन्य किया जाय। क्योंकि श्रीमती शर्मा को भूखण्ड पूर्व से ही आवंटित है। अतः क्षेत्रफल सम्बन्धी बिन्दु इस पर लागू नहीं होगा।
3. उपरोक्त योजना के फलस्वरूप प्राधिकरण को होने वाली वित्तीय क्षति अन्य भूखण्डों पर भारित की जाये।

उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में श्रीमती कल्याणी शर्मा को छूट सहित गणना कराकर दिनांक 04.04.08 को सूचित किया गया कि रू0 12,90,639/— एवं 10प्रतिशत एक मुश्त लीज रेन्ट रू0 74,588/— एवं वाटर सीवर चार्जेज रू0 3000/— अन्य व्यय रू0 500/— कुल धनराशि रू0 13,68,727/— दिनांक 15.05.08 तक कर दें। धनराशि जमा न करने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय है। श्रीमती कल्याणी शर्मा द्वारा रू0 8,58,976/— दिनांक 05.04.08 को जमा किया। शासनादेश संख्या 4908/आठ—1—08—290एलडीए/04

क्रमशः.....2

दिनांक 27.08.08 द्वारा निर्देश दिये गये है कि शहीद ले0 कर्नल एम0सी0शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा को राष्ट्रहित में हुई शहादत के दृष्टिगत उनके परिवार के भरण–पोषण हेतु पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष अवशेष रू0 5,09,741/– प्राधिकरण बोर्ड स्तर से माफ कर दी जाये।

शासन द्वारा इस प्रकरण में भूखण्ड को पंजीकृत कराये जाने के समय देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क से भी छूट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

<u>प्रस्ताव</u>

अतः शासन से प्राप्त निर्देशों के दृष्टिगत् रखते हुये प्राधिकरण बोर्ड श्रीमती कल्याणी शर्मा द्वारा देय धनराशि रू0 5,09,741/– माफ करने एवं प्रश्नगत भूखण्ड को पंजीकृत कराये जाने के समय देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क से भी छूट पर विचार करने की कृपा करें, ताकि रजिस्ट्री की अग्रेत्तर कार्यवाही बिना स्टैम्प के पूर्ण कराई जा सके।

पत्रावली का परीक्षण

(विद्या प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्रा...
लखनऊ

2.9.08

(ले0 के0 सिंह)
राजकीय अधिकारी

विषयः– लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड (नेहरू इन्क्लेव) के भूखण्डों की योजना समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु– लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड ( नेहरू इन्क्लेव ) में 01.02.1991 से 05.03.1991 तक भूखण्डों का पंजीकरण खोला गया था।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार भूखण्डों का नियोजन किया गयाः–

| क्रम संख्या | भूखण्ड का प्रकार | क्षेत्रफल वर्गमीटर मे | भूखण्डों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रेणी सी– । | 200 | 173 |
| 2 | श्रेणी सी–2 | 115 | 128 |
| 3 | श्रेणी सी–3 | 90 | 531 |
| कुल योग, | | | 531 |

इन भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनांक 05.07.1993 को लाटरी सम्पादित की गयी। भूखण्डों के प्रति देय धनराशि दिनांक 20.01.1994 तक आवंटियों से मॉगी गयी। इन भूखण्डों का आवंटन तत्समय प्रभावी विक्रय मूल्य रू0 950/– प्रति वर्गमीटर के अनुसार थी। आवंटियों द्वारा देय धनराशि जमा कर दी गयी।

इस योजना में विकास कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही माह सितम्बर 1994 में सेना द्वारा बिना किसी सूचना के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर अपना कब्जा कर लिया गया, जिससे प्राधिकरण उक्त भूखण्डों का विकास नहीं करा सका और न ही आवंटियों को निबन्धन/कब्जा ही दे सका। कालान्तर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0उच्च न्यायालय में भूमि के स्वामित्व में वाद दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2000 को अन्तरिम आदेश पारित कर फ्लैटों के कब्जा/ विक्रय की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके विरोध में भारतीय सेना द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी। उक्त विशेष अनुमति याचिका माह नवम्बर 2000 में माननीय उच्चत न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, (लखनऊ बेंच) में योजित वाद संख्या 3639/99(एमबी) में भूखण्डों का प्रकरण विचाराधीन है। उक्त आदेश के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने आवंटियों को फ्लैटों के कब्जे देने एवं रिक्त फ्लैटों का आवंटन प्रारम्भ कर दिया। प्रश्नगत वाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर बहस भी पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण स्तर से प्रकरण में विवाद समाप्त कराने हेतु समय–समय पर कई बार सेना के उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर वार्ता की गयी, परन्तु सेना के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण प्रकरण का समाधान नही हो सका।

योजना के आवंटियों द्वारा धनराशि जमा किए जाने के बाद भूखण्डों की रजिस्ट्री एवं कब्जों में हो रहे विलम्ब को देखते हुए प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 13.01.2006 में यह निर्णय लिया गया था कि आवंटियों द्वारा अपनी धनराशि वापसी की मॉग किए जाने पर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि वापस कर दी जाए। माह मई, 2007 में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय से इस योजना के आवंटियों

क्रमशः–.....

द्वारा सम्पर्क कर आवंटित भूखण्डों के निबन्धन/कब्जे का अनुरोध किया गया, परन्तु प्रकरण में विवाद होने के कारण आवंटियों के अनुरोध को स्वीकार नही किया जा सका। इस योजना को तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मौखिक रूप से असफल घोषित करने का निर्णय लेते हुए तत्कालीन प्राधिकरण के सम्बन्धित वरिष्ठ अधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। प्राधिकरण अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र ''ओमजी'' का परामर्श दिनांक 26.05.2007 (संलग्न) अवलोकनीय है।

आवास अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 39/37–1–93 दिनांक 06.01.1993 में प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.06.1993 द्वारा आवंटन नियमावली के नियम 5.2(छायाप्रति संलग्न) के अनुसार यह प्राविधान किया गया है कि '' यदि निर्धारित अवधि के अन्दर अभिकरण निबन्धन/कब्जे की कार्यवाही पूरी नही करते हैं तो आवंटी को उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होगा और उसके भुगतान की जिम्मेदारी सम्बन्धित अभिकरण की होगी।''

योजना का विकास विगत 14 वर्षो से न्यायिक प्रक्रिया से बाधित है और लगभग दो वर्ष पूर्व प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बहस भी पूरी की जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक अन्तिम निर्णय अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में यदि अंतिम निर्णय में और अधिक विलम्ब होता है तथा माननीय न्यायालय का निर्णय प्राधिकरण के विरूद्व पारित होता है तो तत्समय प्राधिकरण को इस योजना के आवंटियों को उनकी जमा धनराशि पर वापसी की तिथि तक और अधिक ब्याज देना होगा क्योंकि इस योजना के लगभग समस्त आवंटियों द्वारा वांछित धनराशि निर्धारित अवधि में ही जमा की जा चुकी है। ऐसी दशा में उचित होगा कि वैभव खण्ड के भूखण्डों की योजना को असफल घोषित करते हुए आवंटियों को जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जाए। उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में यह भी निर्णय लिया जाना उचित होगा कि जो आवंटी प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर योजना में अपने आवंटन का परिवर्तन पर चाहते हैं उनको योजना में भूखण्ड की उपलब्धता के आधार पर समायोजित किया जाये तथा उनके द्वारा जमा धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देते हुए वर्तमान दर के विक्रय मूल्य में समायोजित कर दिया जाये।

<u>प्रस्तावः–</u>

वैभव खण्ड (नेहरू इन्क्लेव) के भूखण्डों की योजना को असफल घोषित करते हुए नियमावली के नियम 5.2 के अनुसार आवंटियों की जमा धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देते हुए जमा धनराशि वापस कर दी जाए एवं जमा धनराशि के चेक आवंटियों के सूचित पते पर प्रेषित कर दिये जाए। साथ ही जो आवंटी प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर योजना में अपने आवंटन का परिवर्तन वर्तमान दर पर चाहते हैं उनको योजना में भूखण्ड की उपलब्धता के आधार पर समायोजित किया जाये तथा उनके द्वारा जमा धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देते हुए वर्तमान दर के विक्रय मूल्य में समायोजित कर दिया जाये।

कृपया प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ।

संयुक्त सचिव (अ)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

धनराशि पर ब्याज अर्जित /देय या समायोजित नही होगा जो प्राधिकरण के पास एक वर्ष से कम अवधि तक जमा रही हो।

५.२ भूखण्डों/भवन का समस्त मूल्य एवं अन्य देयको के भुगतान के उपरान्त तथा आवेदन पंजीकरण के समय कब्जे हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि आवंटी कब्जा प्रदान करने की लिखित माँग करता है, तो ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जो प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर की हो, प्राधिकरण द्वारा दो माह की अवधि में डीड निष्पादन करा दिया जायेगा एवं निबंधन की प्रतिलिपि प्राप्त होने के एक माह में कब्जा हस्तगत करा दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर अभिकरण निबन्धन/कब्जा की कार्यवाही पूरी नही करते हैं, तो आवंटी को उसके द्वारा जमा की गई संपूर्ण धनराशि पर ९ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होगा और उसके भुगतान की जिम्मेदारी सम्बन्धित अभिकरण की होगी। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा निबन्धन / कब्जे की कार्यवाही करने हेतु आवंटी को नोटिस दिये जाने के उपरान्त यदि आवंटी निबंधन / कब्जे हेतु कार्यवाही नहीं करता है तो अन्य विकल्पों के अतिरिक्त प्राधिकरण ९ प्रतिशत वार्षिक की दर से रखरखाव शुल्क वसूलेगा। 5.2

५.३ किश्तों में आवंटित भवन/भूखण्ड के आवंटी यदि कुछ किश्तें जमा करने के बाद यदि एक मुश्त भुगतान करना चाहे तो कर सकेंगें।

## ६. पंजीकरण धनराशि और आवंटन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

६.१ आवेदन पत्र अभिकरण अथवा बैंक द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु विज्ञापन की नियत अंतिम तिथि को कार्यालय समय होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र में विचार नही किया जायेगा।

६.२ आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण व सही भरा होना चाहिए। अधूरे आवेदन पत्र अथवा ऐसे आवेदन पत्र जिनके साथ पंजीकरण धनराशि अथवा अन्य निर्धारित अभिलेख संलग्न नहीं हैं, स्वतः निरस्त समझें जायेगें। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

६.३ स्थानीय बैंक से भुगतान प्राप्त कर सकने वाले पंजीकरण धनराशि के बैंक ड्राफ्ट अथवा निर्धारित बैंक में जमा पंजीकरण धनराशि रसीद के साथ ही आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे। पंजीकरण धनराशि अभिकरण में नकद प्राप्त नहीं की जायेगी।

## ७. पंजीकरण

७.१ आवेदन पत्र प्राप्त हेतु नियत अंतिम तिथि को अभिकरण अथवा बैंक कार्यालय समाप्त होने तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर अगले कार्यालय दिवस में नम्बरिंग मशीन से क्रमांक डाला जायेगा, ऐसे सभी आवेदन पत्रों का विवरण एक रजिस्टर में अंकित कर दिया जायेगा, और उसी दिन रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करके रजिस्टर बंद कर दिया जायेगा।

७.२ पंजीकरण रजिस्टर के बंद होने के अगले कार्य दिवस में सभी आवेदन पत्रों का परीक्षण आंरम्भ कर दिया जायेगा। पंजीकरण की शर्तों को पूरी करने वाले आवेदन पत्रों की श्रेणीवार सूची तैयार कर ली जायेगी। प्रत्येक श्रेणी की सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर व अंत में उपाध्यक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगें। पंजीकरण शर्त न पूरी करने वाले आवेदन पत्र उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा अस्वीकृत करके उसकी सूचना सम्बन्धित आवेदक को पंजीकरण समाप्ति के १५ दिन के भीतर भेज दी जायेगी।



29.6.1993 की बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित नियमावली

विषयः अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित निर्माणों के एवज में प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड देने तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन तैयार कराकर निर्माण का प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों की 1146.45 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4/17 की अधिसूचना दिनॉक 05 सितम्बर, 2000 को तथा धारा 6/17 की अधिासूचना दिनॉक 16 फरवरी, 2001 को शासन द्वारा प्रकाशित की गई थी। भूमि का कब्जा अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित किया जा चुका हैं इस प्रकार भूमि का स्वामित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण/राज्य सरकार में निहित हो चुका है। अधिग्रहीत भूमि में तमाम व्यक्तियों के निर्माण एवं भवन स्थित होने के कारण प्राधिकरण द्वारा माह अक्टूबर, 2000 में समाचार–पत्र में सूचना प्रकाशित करके दिनॉक 12.10.2000 तक ऐसे निर्माणकर्ता व्यक्तियों से निर्माणों के फोटोग्राफ, भूमि स्वामित्व तथा निर्माण आदि के साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा गया था। निर्धारित कट–आफ–डेट तक कुल 494 व्यक्तियों ने अपने निर्माण व भूमि के स्वामित्व के अभिलेख आदि उपलब्ध कराये गये थे। इन आवेदनों पर प्राधिकरण द्वारा गठित एक समिति द्वारा विचार किया गया था, एवं 335 व्यक्तियों के निर्माण धारा 4/17 के पूर्व के होने की पुष्टि के उपरान्त इन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना तथा गोमती नगर फेस–2 में वैकल्पिक भूखण्डों का आवंटन किया गया था।

2. इसके उपरान्त भी प्राधिकरण में समय–समय पर विभिन्न व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त होते रहे, जिनमें उनके द्वारा मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि समाचार पत्रों से उन्हें जानकारी नहीं मिल सकी, जिसके कारण वे अपने आवेदन कट–आफ–डेट से पूर्व नहीं दे सके थे। तमाम व्यक्तियों द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि वे बाहर रहते हैं, जिसके कारण वे अपना आवेदन नहीं दे पाये थे। दिनॉक 31.12.2007 तक 729 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए थे। योजना हित में इन 729 व्यक्तियों को प्राधिकरण में गठित एक समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने एवं अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के उद्देश्य से समाचार पत्रों में जनवरी, 2008 में एक सूचना प्रकाशित करायी गई थी। दिनॉक 21 जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2008 तक ऐसे आवेदनों पर समिति द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की गई एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों तथा सितम्बर, 2000 से पूर्व के निर्माण होने के उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। 832 आवेदनों पर समिति द्वारा



(आर० एन० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
ल० वि० प्रा०

(ए० बी० सिंह)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

व्यक्तिगत सुनवाई की गई एवं उनके अभिलेखों का परीक्षण किया गया। समिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त अभियन्ताओं एवं अर्जन अमीन की एक अन्य समिति द्वारा निर्माणों का स्थलीय सत्यापन किया गया। स्थलीय सत्यापन तथा अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त 832 आवेदनों के सापेक्ष निम्न स्थिति पायी गईः–

| | | |
|---|---|---|
| • | ऐसे प्रकरण जिनमें मानक के अनुसार भवनों का निर्माण करने के उपरान्त भवन में रह रहे हैं एवं इनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अभिलेखों से वर्ष 2000 से पूर्व के निर्माण की पुष्टि होती है। | 04 |
| • | ऐसे मामले जिनमें भवन मानक के अनुरूप नही हैं परन्तु वे भवन में रह रहे है एवं इनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अभिलेख से वर्ष 2000 से पूर्व के निर्माण की पुष्टि होती है। | 16 |
| • | जिनके निर्माण मानक के अनुरूप नहीं है तथा वे भवन में भी नहीं रह रहे हैं, परन्तु अभिलेखीय साक्ष्यों से वर्ष 2000 के पूर्व के निर्माण की पुष्टि होती है। | 18 |
| • | ऐसे निर्माण जिनमें अध्यासी निर्माण कराकर रह रहे, परन्तु वर्ष 2000 से पूर्व निर्मित होने के अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दिये गये हैं। | 66 |
| • | ऐसे निर्माण जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है एवं जिनके द्वारा वर्ष 2000 के पहले के निर्माण होने के अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। | 60 |
| • | ऐसे आवेदक, जिनका पूर्व में मूल्यांकन हो चुका है परन्तु वर्तमान में स्थल पर निर्माण नही हैं (लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इनके निर्माणों को पूर्व में गिरा दिया गया था)। | 08 |
| • | ऐसे आवेदक जिनको पूर्व में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित हो चुके हैं। | 09 |
| • | ऐसे प्रकरण जिनके न तो स्थल पर निर्माण है एवं न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य दिया गया है। | 554 |
| • | ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि अध्याप्ति की धारा–4/17 की अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त भूमि क्रय की गई है। | 39 |
| • | ऐसे प्रकरण जिनमें भू स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। | 58 |

3. इसके उपरान्त प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राधिकरण में समय–समय पर मिलकर यह बताया जाता रहा है कि सितम्बर, 2000 के पूर्व का निर्माण होने के लिए आवश्यक साक्ष्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा जो अभिलेख अनुमन्य किये गये हैं (बिजली बिल, टेलीफोन बिल, हाउस टैक्स, वाटर/सीवर चार्जेज की रसीद, वोटर आई.डी., मतदाता सूची, शस्त्र लाइसेन्स, भवन क्रय की रजिस्ट्र, हाउस बिल्डिंग एडवांस/ऋण का प्रमाण–पत्र) वे उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2000 में बिजली बिल, टेलीफोन बिल, वोटर आई.डी., मतदाता सूची, हाउस टैक्स, वाटर/सीवर चार्जेज की रसीद आदि की व्यवस्था नहीं थी, परन्तु उनके निर्माण सितम्बर, 2000 धारा 4/17 की अधिसूचना प्रकाशित करने से पूर्व थे। इन परिस्थितियों में प्रकरण में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सचिव, संयुक्त निदेशक(भूमि एवं विकास), अधिशासी अभियन्ता(जोन–1), नायब तहसीलदार, सम्पत्ति अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता(अर्जन) की एक समिति द्वारा दिनॉक 15.07.2008 को विचार किया गया था। समिति की बैठक के कार्यवृत्त की फोटोप्रति **संलग्न** की जा रही है **(संलग्नक–1)**। समिति द्वारा दिनॉक 15.07.2008 में लिये गये निर्णय के क्रम में कुल 172 निर्माणकर्ता व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मीटर का भूखण्ड निः शुल्क आवंटित करने तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन तैयार कराकर उन्हें निर्माण का प्रतिकर भुगतान करने की संस्तुति की गई है।

4. तदोपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया कि 172 की सूची में कुछ ऐसे नाम भी सम्मिलित हो गये हैं, जिनका मौके पर निर्माण नहीं है तथा कुछ व्यक्ति छूट गये हैं जिनका मौके पर निर्माण है एवं वे वर्ष 2000 के पूर्व के हैं, कुछ व्यक्तियों द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन दिया गया कि उनका नाम इस कारण से 172 की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया कि उनके द्वारा दिये गये कुछ अभिलेख अपठनीय थे अथवा कुछ प्रस्तुत करने से छुट गये थे। इस कारण से प्रकरण में पुनः विचार किया गया एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 06.08.2008 को निम्नानुसार कार्यवाही करने की सहमति बनी :–

1. प्रत्येक गृह स्वामी का अपने भवन के सामने खड़ा करके फोटो खिचवा लिया जावे। नोट्री एफीडेविट के साथ भी आवेदक भवन स्वामी द्वारा फोटो लगाया जाएगा तथा स्थल सत्यापन समिति उक्त फोटो सत्यापित करके अपनी आख्या में लगायेगी।
2. वर्ष 2000 में भूमि अधिग्रहण नोटीफिकेशन के पूर्व की स्थिति से सम्बन्धित डाकूमेन्टस अवश्य ही (जितने भी उपलब्ध हो) ले लिए जाएं।

(आर० एन० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
ल० वि० प्रा०

3. इकरार नामा मान्य नहीं होगा। वर्ष 2000 की अधिसूचना से पूर्व के बैनामे भवन स्वामित्व सम्बन्धित अन्य डाकूमेन्टस यथा पानी बिजली सम्पत्ति कर आदि की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं वोटर्स लिस्ट की कॉपी आदि प्राप्त कर ली जावें।

4. एक सप्ताह में समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करके सू–स्पष्ट आख्या/संस्तुति बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत की जावे।

5. उपरोक्त के उपरान्त अर्जन विभाग तथा अभियन्त्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर उपलब्ध निर्माणों का पुनः सर्वेक्षण कराया गया एवं उपरोक्त प्रस्तर–4 में अंकित निर्माण के क्रम में निर्माण के फोटोग्राफ आदि लिए गए। स्थल सत्यापन से सम्बन्धित टिप्पणी **संलग्न** की जा रही है **(संलग्नक–2)**। स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:–

| क्र स | सेक्टर | कुल निर्मित भवनों की संख्या | ग्रीन बेल्ट में निर्माण कर्ताओं की संख्या | 298 की सूची में आवंटित निर्माणकर्ताओं की संख्या | | | | 159 की सूची में प्रस्तावित निर्माणकर्ताओं की संख्या | 172 की सूची में प्रस्तावित निर्माणकर्ताओं की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ग्रीनबेल्ट में निर्माणकर्ता जिन्हें भूखण्ड आवंटित है | ऐसे निर्माणकर्ता की संख्या, जिनको आवंटित भूखण्ड रिक्त है | ऐसे निर्माणकर्ताओं की संख्या जिनके आवंटित भूखण्ड पर निर्माण हैं | निर्माणकर्ताओं की संख्या जिन्हें अन्य भूखण्ड आवंटित हैं | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 328 | 44 | 17 | 47 | 96 | – | 16 | 78 |
| 2 | 4 | 73 | – | – | 7 | 21 | – | 7 | 20 |
| 3 | 5 | 138 | 18 | 1 | 11 | 17 | – | 5 | 39 |
| 4 | 6 | 44 | – | – | – | 4 | – | 6 | 18 |
| 5 | जोनल रोड 45 मीटर | 42 | – | – | 4 | 2 | – | 5 | 9 |
| | जोनल रोड 30 मीटर | 34 | – | – | 13 | 11 | – | – | – |
| | कुल | 659 | 62 | 18 | 82 | 151 | – | 39 | 164 |

6. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–10 के सापेक्ष 08 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें निर्माण का मूल्यांकन बन चुका है एवं कालान्तर में उनके निर्माण स्थल पर तोड़ दिये गये थे। इस प्रकार इन 08 व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए तालिका के स्तम्भ–10 में अंकित 164 (कुल 172) व्यक्तियों पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मीटर का निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। कट–आफ–डेट तक कुल प्राप्त 494 आवेदनों में से 335 को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित कर दिया गया था, परन्तु 159 प्रकरण रह गये थे। परीक्षण तथा स्थलीय सत्यापन के उपरान्त इन 159 के सापेक्ष 39 व्यक्तियों का निर्माण स्थल पर पाया गया है,

(आर० एन० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
ल० वि० प्रा०

जिसे उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित किया गया हैं इस प्रकार वर्तमान में कुल 211 (172+39) व्यक्तियों को 75 वर्ग मीटर का निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

7. अमर शहीद पथ विस्तार योजना में भूखण्डों का आवंटन वर्ष 2004–05 में किया गया था। विकास कार्य भी काफी सीमा तक कराए जा चुके हैं, परन्तु बीच–बीच में इस प्रकार के निर्माण होने से विकास कार्य की तारतम्ता में अवरोध उत्पन्न हो गया है एवं प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः प्राधिकरण एवं जनहित में इस समस्या का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

8. योजना से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता तथा अर्जन अनुभाग के सम्बन्धित अमीन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 06.08.2008 को लिये गये निर्णय के उपरान्त स्थलीय सत्यापन के समय उपरोक्त प्रस्तर–5 में अंकित तालिका के अतिरिक्त कुछ और निर्माण स्थल पर पाये गये हैं, जो कि काफी पुराने हैं। अर्जन अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इन व्यक्तियों द्वारा भू–स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इन पर अभी विचार नहीं किया गया है। अधिशासी अभियन्ता तथा अर्जन अनुभाग के स्टाफ द्वारा ऐसे निर्माणों की संख्या 20 से 25 तक होने की सम्भावना बतायी गई है। अतः इन प्रकरणों के लिए भू–स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध होने पर द्वितीय चरण में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने एवं निर्माणों का मूल्यांकन तैयार करके निर्माण के प्रतिकर का भुगतान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

1. 494 व्यक्तियों द्वारा 'कट–आफ–डेट' दिनॉक 12.10.2000 तक प्रस्तुत किए गए आवेदन के विरूद्ध 335 व्यक्तियों को आवंटन किया जा चुका है एवं अवशेष 159 के सापेक्ष 39 व्यक्तियों के निर्माण स्थल पर पाए गए हैं। अतः कटआफ डेट से पूर्व दिये गये आवेदन के सापेक्ष 335 व्यक्तियों को किए गए आवंटन के अतिरिक्त और 39 व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मीटर का भूखण्ड निःशुल्क आवंटित करने तथा उनके निर्माण का मूल्यांकन तैयार कर नियमानुसार अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति के माध्यम से निर्माण को प्रतिकर भुगतान करने की।
2. कट–आफ–डेट के पश्चात जमा किए गए आवेदन के सापेक्ष वर्तमान में स्थलीय सत्यापन एवं अभिलेखीय परीक्षण के उपरान्त पायी गई स्थिति



(आर० एन० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
ल० वि० प्रा०

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त [illegible]
ल० वि० प्रा०

के अनुसार कुल 172 व्यक्तियों (8 निर्माण पूर्व में तोड़े जा चुके हैं परन्तु निर्माणों का मूल्यांकन बनाया गया था एवं 164 स्थल पर उपलब्ध हैं) को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके निर्माण का मूल्यांकन तैयार कराकर अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) के माध्यम से निर्माण का प्रतिकर भुगतान करने की।

3. उपरोक्त 211 (172+39) के अतिरिक्त स्थल पर स्थित निर्माण जिनका भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख अभी नहीं प्रस्तुत किये गये हैं, का भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत होने के उपरान्त भू–स्वामित्व की पुष्टि होने पर उन्हें द्वितीय चरण में नियमानुसार पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मीटर का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन तैयार कर अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) के माध्यम से निर्माण का प्रतिकर भुगतान कराने की।

(आर० एन० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
ल० वि० प्रा०

संलग्नक–I

(45) विवेचन व आदेश पृष्ठ सं0 52 से 96 तक

प्रकरण में दिनॉक 15.07.2008 को उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में गत पृष्ठ 31–32, 36–37 तथा 40–42 पर अंकित विस्तृत टिप्पणी पर विचार किया गया। जैसा कि नोटशीट पृष्ठ 40–42 पर अंकित है कि कुल 38 प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2000 से पूर्व के निर्माण होने के पर्याप्त साक्ष्य दिये गये हैं, परन्तु इनमें से 34 भवन ऐसे हैं, जिनमें या तो किचेन नहीं है अथवा ट्वायलेट नहीं है अथवा दोनो नहीं है। इस बिन्दु पर चर्चा हुई। यह अवगत कराया गया कि इन 34 प्रकरणों में भवन बने हुए हैं, जिनमें से 16 में लोग रह रहे हैं एवं 18 में कोई निवास नहीं कर रहा है। अवगत कराया गया कि ये 34 भवन वर्ष 2000 से पहले के बने हुए हैं अतः इन को भी पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड देने पर विचार किया जाना उचित होगा। यदि इन 34 प्रकरणों में पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो कुल 38 मामलें ऐसे होंगे जिनमें वर्ष 2000 से पूर्व निर्माण होने के पर्याप्त साक्ष्य दिये गये हैं एवं ये व्यक्ति पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मीटर का निःशुल्क भूखण्ड प्राप्त करने के हकदार हैं।

2. जैसा कि पृष्ठ 40–43 पर अंकित टिप्पणी में उल्लेख है, 60 प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें अध्यासी रह रहे हैं, परन्तु वर्ष 2000 से पूर्व निर्माण होने के अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दिये जा सके हैं एवं 66 मामले ऐसे हैं जिनके निर्माणों में न तो कोई व्यक्ति रह रहा है एवं न ही वर्ष 2000 के पहले का निर्माण होने के अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किय गये हैं। 8 मामलों में निर्माण का मूल्यांकन पूर्व में हो चुका है, परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इन निर्माण को पूर्व में गिरा दिया गया था, जिसके फलेस्वरूप यह स्थल पर उपलब्ध नहीं हैं।

3. 9 प्रकरण में पूर्व में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं तथा 554 व्यक्तियों द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है एवं न ही स्थल पर निर्माण हैं। 39 व्यक्तियों द्वारा धारा 4/17 की अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त भवन ध्वस्त किया गया है एवं 58 भूस्वांमी ऐसे हैं जिन्होंने अभिलेखीय साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराये हैं।

4. सम्पूर्ण प्रकरण में विस्तार से विचार–विमर्श हुआ एवं यह निर्णय लिया गया कि 38 प्रकरण जिनमें वर्ष 2000 से पूर्व के निर्माण होने के साक्ष्य दिये गये हैं, उन्हें तत्काल पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मीटर का भूखण्ड निःशुल्क आवंटित कर दिया जाये। यह कार्यवाही सम्पत्ति विभाग द्वारा एक सप्ताह में सुनिश्चित करायी जाये। अभियंत्रण खण्ड द्वारा नियमानुसार इन निर्माणों का मूल्यांकन प्रकलन एक सप्ताह में तैयार कराकर सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान कराया जायेगा।

5. अर्जन विभाग तथा अभियंत्रण खण्ड द्वारा यह अवगत कराया गया कि अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में अर्जन से प्रभावित विभिन्न व्यक्ति समय–समय पर मिलकर यह अवगत करा रहे हैं कि वर्ष 2000 से पूर्व जब इनके द्वारा निर्माण कराया गया था तब उनके पास बिजली, टेलीफोन आदि का कनेक्शन नहीं था अथवा ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह पुष्टि हो पाये कि उनके द्वारा वर्ष 2000 से पूर्व निर्माण करा लिया गया था। बताया गया कि इन व्यक्तियों द्वारा समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के समय यह अवगत कराया गया था कि उनके पास राशनकार्ड, भवन निर्माण सामग्री के क्रय की रसीदें आदि उपलब्ध हैं, परन्तु जिन साक्ष्यों को प्राधिकरण द्वारा मान्य किया गया है, वे उनके पास नहीं हैं। व्यक्तिगत सुनवाई के समय इन व्यक्तियों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि वे

स्थानीय व्यक्तियों से यह प्रमाणित करा सकते हैं कि उनके द्वारा वर्ष 2000 से पूर्व के निर्माण करा लिया गया था।

6. बैठक में यह तथ्य सामने आया कि इस प्रकरण में अन्तिम निर्णय न हो पाने के कारण योजना में विकास कार्य काफी समय से अवरूद्ध है एवं आये दिन आन्दोलन तथा धरना प्रदर्शन होता रहता है, अतः समस्या का स्थायी समाधान करते हुए सहमता पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित होगा।

7. उपरोक्त के दृष्टिगत विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पृष्ठ 40–42 के प्रस्तर–2 के क्रमांक 4, 5 व 6 पर अंकित कुल 134 मामलों में यदि इन व्यक्तियों द्वारा पृष्ठ–40 के प्रस्तर–1, 2 व 3 पर अंकित 38 व्यक्तियों में से किन्हीं 05 व्यक्तियों से नोटरीफाइड हलफनामा के माध्यम से सत्यापित करा दिया जाये कि उनके निर्माण वर्ष 2000 से पूर्व के हैं तो उन्हें भी पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मीटर का भूखण्ड निःशुल्क आवंटित कर दिया जाये। अभियंत्रण खण्ड द्वारा नियमानुसार इन निर्माणों का मूल्यांकन प्रकलन तैयार कराकर सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान कराया जायेगा।

15/7/8
(एस.के त्रिपाठी)
सहायक अभियन्ता(अर्जन)

(डी.एम. कटियार)
सम्पत्ति अधिकारी

5-7-2008
(शरदपाल)
नायब तहसीलदार

(आर.एन. सिंह)
अधि. अभि.(जोन–1)

15/07/08
(एस.बी. मिश्र)
संयुक्त निदेशक(भू एवं वि)

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

23/07/08
(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

28/7/8

तह०अधि०अर्जन

कृपया गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत पृष्ठ 83 जायी पत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा अंकित कराया गया है कि उनका निर्माण हथ्या पट्टे परन्तु तथ्य में अंकित नहीं है इसी क्रम में कुछ लोगों द्वारा स्वामित्व लम्बरी आदि लेख प्रस्तुत किए गये।

28/8/08

अनुलग्नक-2

| क्र0स0 | सेक्टर | कुल निर्मित भवनों की संख्या | 298 की सूची में आवन्टित निर्माणकर्ताओं की संख्या | | | | | 159 की सूची में प्रस्तावित निर्माणकर्ताओं की संख्या | 172 की सूची में प्रस्तावित निर्माणकर्ताओं की संख्या | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्रीन वेल्ट में निर्माणकर्ताओं की संख्या | ग्रीनबेल्ट में निर्माणकर्ता जिन्हे भूखण्ड आवन्टित है, की संख्या | ऐसे निर्माणकर्ताओं की संख्या जिनको आवन्टित भूखण्ड रिक्त है | एसे निर्माण स्वामी की संख्या जिनके आवन्टित भूखण्ड पर निर्माण है | आवन्टित भूखण्ड पर निर्माणकर्ताओं की संख्या जिन्हे अन्य भूखण्ड आवन्टित है। | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | सेक्टर-1 | 328 | 44 | 17 | 47 | 96 | -- | 16 | 78 | |
| 2 | सेक्टर-4 | 73 | -- | -- | 7 | 21 | -- | 7 | 20 | |
| 3 | सेक्टर-5 | 138 | 18 | 1 | 11 | 17 | -- | 5 | 39 | |
| 4 | सेक्टर-6 | 44 | -- | -- | -- | 4 | -- | 6 | 18 | |
| 5 | जोनल रोड 45 मी0 | 42 | -- | -- | 4 | 2 | -- | 5 | 9 | |
| | जोनल रोड 30 मी0 | 34 | -- | -- | 13 | 11 | -- | -- | - | |
| 6 | योग | 659 | 62 | 18 | 82 | 151 | -- | 39 | 164 | |

नोट:-

1 केवल बाउण्ड्रीवाल बनाकर रखे गये निर्माणों की संख्या- 4 + 10 - 12 + 3 = 29

2 बाउण्ड्रीवाल के साथ मात्र एक कमरा बनाकर रखे गये निर्माणों की संख्या- 162 + 22 + 69 + 13 = 266

## गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित पूर्व निर्मित भवनों के फोटोग्राफी की सूची

## गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 में विद्यमान तामीरों की सूची

| क्र0सं0 | प्रार्थी/पिता/पति का नाम | ग्राम मकदूमपुर/ खसरा नम्बर | वर्तमान में निर्माण की स्थिति | आवन्टन की स्थिति/आवन्टित भूखण्ड नम्बर | आवन्टित भूखण्ड पर विकास की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री जवाहरलाल पुत्र श्री भग्गन | 52 | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 2 | श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री बंचू लाल यादव | 54 | 2 कमरा | 1/811 | सड़क नाली का निर्माण | किरायेदार रहता है। |
| 3 | श्री मंयक सिंह भण्डारी पुत्र श्री धन सिंह भण्डारी | 39,40,41 | 2 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 4 | श्री गुलाब चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री श्रीराम गुप्ता | 35 | 1 कमरा | नही | - | कोई नहीं मिला |
| 5 | श्री रविन्द्र सिंह सिसोरिया | 39,40,41 | 1 कमरा | नही | - | लंबर रहती है। |
| 6 | श्री अशोक कुमार वर्मा | 39,40,41 | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 7 | श्री महेश प्रसाद कन्नौजिया पुत्र श्री फुलचन्द्र | 54 | 1 कमरा तथा बाउण्ड्रीवाल | आवन्टित | - | किरायेदार रहता है। |
| 8 | श्री रवि कुमार कन्नौजिया पुत्र श्री प्यारेलाल | 54 | 2 कमरा | आवन्टित | - | किरायेदार रहता है। |
| 9 | श्रीमती मिथलेश देवी पत्नी श्री जनार्दन पाण्डेय | 54 | 2 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 10 | श्री कमरूद्दीन पुत्र श्री अमीर अहमद | 54 | 2 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 11 | श्री प्रमाद शंकर सिंह | 54 | 1 कमरा | आवन्टित | - | किरायेदार रहता है। |
| 12 | श्री शिशुपाल सिंह पुत्र श्री दुबरी सिंह | 54 | 1 कमरा | आवन्टित | - | किरायेदार रहता है। |
| 13 | श्रीमती श्रृद्धा सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह | 54 | 2 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 14 | श्री अनिल कुमार पुत्र श्री स्व0 किशोरी लाल | 52 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 15 | श्रीमती शैलकुमारी पत्नी श्री शतगुरू प्रसाद श्रीवास्तव | 52 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 16 | श्री कतारू प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री ओरी प्रसाद गुप्ता | 52 | 1 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | श्री राम जतन वर्मा पुत्र श्री सीताराम वर्मा | 52 | 1 कमरा | आवन्टित | - | किरायेदार रहता है। |
| 18 | श्री जयप्रकाश तिवारी पुत्र श्री राम नवीस तिवारी | 52 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 19 | श्रीमती कमलेशा देवी पत्नी सुरेन्द्र शाह | 54 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 20 | श्री जगदम्बा पुत्र श्री सुरजदीन | 54 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 21 | श्री राम अभिलाश मौय पुत्र श्री गजाधर प्रसाद | 54 | 3 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 22 | श्री राम बरत गौढ पुत्र स्व0 काशी | 54 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-6 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 23 | श्री जयराम चौहान पुत्र स्व0 राम अधार | 54 | 3 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 24 | श्री राम सहाय यादव पुत्र श्री सियाराम यादव | 54 | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 25 | श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव | 54 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 26 | श्री शिवदास पुत्र स्व0 सूरजलाल | 54 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 27 | श्री छोटेलाल मौर्या पुत्र श्री रामदास मौर्या | 54 | 2 कमरा | 6/735 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 28 | बैजनाथ मौर्या पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद | 54 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-6 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 29 | नक्कू पुत्र श्री नरई | 54 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-6 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 30 | श्री ओमप्रकाश यादव | 54 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | किरायेदार रहता है। |
| 31 | श्री राम बहादुर पुत्र श्री रामशुक यादव | 54 | 2 कमरा | नही | - | खाली |
| 32 | श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राम निवास | 54 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 33 | श्री उमानन्द उपाध्याय पुत्र श्री रामनाथ उपाध्याय | 54 | 1 कमरा | आवन्टित | - | किरायेदार रहता है। |
| 34 | श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्का | 54 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 35 | श्री रिखनदेव | 54 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 36 | श्री बैजनाथ सिंह पुत्र श्री शिवशंकर सिंह | 25 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 37 | श्री संदीप सिंह | 25 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 38 | श्री संजय सिंह | 25 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 39 | श्रीमती कमला वर्मा पत्नी सियाराम वर्मा | 34 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 40 | श्रीमती सौभावती वर्मा पत्नी श्री रामअजोर वर्मा | 34 | 2 कमरा | 6/766 | - | - |
| 41 | श्रीमती इन्द्रावती पत्नी श्री भगवान दास | 34 | 3 कमरा | नही | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | अज्ञात | 34 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 43 | श्री सी0बी0 सिंह | 34 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 44 | श्रीमती सुमित्रा चौधरी पत्नी हरिराम चौधरी | 34 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 45 | श्रीमती उर्मिला चौधरी पत्नी श्री रामकृष्ण परमंहस चौधरी | 34 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 46 | श्रीमती बसन्ती पत्नी श्री सचिदानन्द | 25 | 1 कमरा | 6/724 | - | - |
| 47 | श्रीमती चन्द्रावती पत्नी श्री चक्रविहारी | 25 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 48 | श्री राम प्रताप चौधरी पुत्र श्री भगवती चौधरी | 25 | 3 कमरा | 1/109 | - | - |
| 49 | श्री श्रद्धानन्द पुत्र श्री हैलूराम | 25 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 50 | श्री हैलूराम पुत्र भगवती प्रसाद | 25 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 51 | श्री दाम विश्वास | 25 | 3 कमरा | विस्थापित पाकेट | - | कब्जा दिया जा चुका है |
| 52 | श्री रामदास पुत्र श्री रामशरन | 29 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 53 | श्री शिवपाल मौर्या | 30 | 2 कमरा | विस्थापित पाकेट | - | - |
| 54 | श्री श्याम सुन्दर मौर्या पुत्र श्री महादेव प्रसाद मौर्य | 30 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 55 | श्री राम मनोहर यादव | 29 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 56 | श्री रामचन्दर पुत्र श्री कन्हैयालाल | 29 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 57 | श्री प्रेम चन्द्र | 29 | 2 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 58 | सुनीता श्रीवास्तव | 28 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-6 | - | - |
| 59 | श्री रहमान | 28 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 60 | श्री कुर्बान पुत्र श्री अब्दूल रहमान | 28 | 1 कमरा | 1/930 | - | - |
| 61 | श्री पुरन चन्द्र | 28 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 62 | श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री कृष्ण प्रताप सिंह | 28 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 63 | श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह | 28 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 64 | श्री मुरारी झा पुत्र श्री जगन्नाथ | 28 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 65 | श्री मंकूलाल यादव पुत्र श्री भगवती प्रसाद यादव | 28 | 2 कमरा | नही | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | श्री शिवपुजन गुप्ता पुत्र श्री राम लौट गुप्ता | 28 | 2 कमरा | 6/725 | - | - |
| 67 | श्री बसन्त कुमार जोशी | 25 | 2 कमरा | नही | - | 45 मी0 रोड |
| 68 | श्रीमती रीता श्रीवास्तव पत्नी अभिलाश नरायण श्रीवास्तव | 25 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 69 | श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री असर्फीलाल श्रीवास्तव | 25 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 70 | डा0 इन्द्रमणी | 25 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 71 | श्री रमापति पत्नी सुदर्शन | 25 | 2 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 72 | श्री दुधनाथ यादव पुत्र श्री बेचू प्रसाद | 25 | 1 कमरा | 1/893 | - | - |
| 73 | अज्ञात | 25 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 74 | श्री राजेश | 25 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 75 | मो0 शलीम | 24 | 2 कमरा | 1/890 | - | स्वयं रह रहे है |
| 76 | श्री पूर्णानन्द पाण्डेय पुत्र श्री रेवाधर पाण्डेय | 24 | 3 कमरा | नही | - | 159 की लिस्ट में |
| 77 | श्री रामदरस यादव पुत्र श्री हरदेव यादव | 24 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 78 | श्री सुरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र श्री आर0एस0 अवस्थी | 23 | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 79 | श्री राम शंकर पुत्र श्री भगवती प्रसाद | 24 | 3 कमरा | आवन्टित | - | किरायेदार रहता है। |
| 80 | श्री किशोर यादव पुत्र श्री रामेश्वर यादव | 24 | 3 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 81 | श्री जगन्नाथ पुत्र श्री विश्वनाथ | 24 | 2 कमरा | 6/755 | - | स्वयं रह रहे है |
| 82 | श्रीमती रेनू मेहता पत्नी गोपाल प्रसाद मेहता | 24 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 83 | श्रीमती तितरा देवी पत्नी मगरू राम | 24 | 2 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 84 | कु0 देवी पत्नी श्री रहमुल्ला मिया | 24 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 85 | अज्ञात | 24 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 86 | सरोज देवी | 24 | 1 कमरा | 6/762 | - | - |
| 87 | श्री प्रकाश चन्द्र अस्थाना | 21 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 88 | श्री राजेश्वर प्रसाद शुक्ला | 21 | 1 कमरा | नही | - | लेबर रहती है। |
| 89 | अल्पना शर्मा पत्नी प्रकाश शर्मा | 15 | 2 कमरा | नही | - | लेबर रहती है। |
| 90 | श्री संगम पुत्र स्व0 राम समुझ | 16 | 1 कमरा | 21/977 | - | स्वयं रह रहे है |
| 91 | शान्ति देवी | 16 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | श्री रामदुलार यादव | 16 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 93 | श्री शंकर सिंह | 16 | 2 कमरा | नही | - | 159 की लिस्ट में |
| 94 | श्री राघवराम उपाध्याय | 16 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 95 | श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा | 16 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 96 | श्री शारदा प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी | 16 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 97 | श्री छोटेलाल वर्मा पुत्र श्री जयकरन | 16 | टीनशेड | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 98 | अज्ञात | 16 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 99 | रामकली पत्नी श्री राम सुफल | 16 | 3 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |
| 100 | श्रीधर शुक्ला | 16 | 3 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |
| 101 | श्री ओमप्रकाश यादव | 16 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |
| 102 | अज्ञात | 16 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 103 | श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी श्री हनुमान सिंह | 16 | 2 कमरा | 1/924 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 104 | अज्ञात | 16 | 1 कमरा | नहीं | - | किरायेदार रहता है। |
| 105 | अज्ञात | 16 | 1 कमरा | नहीं | - | किरायेदार रहता है। |
| 106 | श्री के0पी0 सिंह | 16 | 1 कमरा | नहीं | - | किरायेदार रहता है। |
| 107 | श्री निर्मल कुमार शुक्ला | 16 | 2 कमरा | नहीं | - | - |
| 108 | अज्ञात | 16 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 109 | श्री रामावन्ती पाल पुत्र श्री भागीरथी पाल | 16 | 3 कमरा | 1/871 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 110 | श्रीमती रानी शर्मा पत्नी रामचन्दर शर्मा | 16 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 111 | श्री विजय बहादुर यादव पुत्र श्री शारदा | 16 | 3 कमरा | आवन्टित सेक्टर-6 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 112 | श्री मिश्रीलाल मौर्या पुत्र श्री देवतादीन | 16 | 3 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 113 | श्रीमती नूरजहाँ पत्नी मो0 अब्बास | 16 | 2 कमरा | 1/887 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 114 | श्रीमती वसीरा खातून पत्नी नसरूद्दीन अंसारी | 16 | 2 कमरा | 6/738 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 115 | श्रीमती रसतबानो पत्नी श्री सुलेमान | 16 | 2 कमरा टिनशेड | नही | - | - |
| 116 | श्री पंचम लाल प्रजापति पुत्र श्री मटरू लाल | 16 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | किरायेदार रहता है। |
| 117 | श्री नाता प्रसाद पुत्र श्री बजरंगी मौर्या | 16 | 2 कमरा | नहीं | - | - |
| 118 | श्री अलीम अहमद खाँ | 16 | 1 कमरा | नहीं | - | किरायेदार रहता है। |
| 119 | श्रीमती लालमती पत्नी एस0पी0 सिंह | 16 | 1 कमरा | 1/900 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | श्री दिनेश तिवारी | 16 | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 121 | श्री अजीज खॉ | 16 | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 122 | श्री बद्री प्रसाद मौर्या | 16 | 4 कमरा | 1/923 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 123 | श्री विश्वनाथ मौर्या पुत्र श्री कमता प्रसाद | 16 | 1 कमरा | 1/926 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 124 | श्रीमती जगपती यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव | 16 | 2 कमरा | 1/919 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 125 | श्री रामललक सिंह पुत्र श्री लोचई सिंह | 13अ ब | 2 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 126 | श्री कुलदीप राय | 14 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | किरायेदार रहता है। |
| 127 | श्री माणिक चन्द्र पुत्र श्री शिवनाथ | 14 | 4 कमरा | नही | - | 159 की लिस्ट में |
| 128 | निर्मला विष्ट पत्नी श्री गोपाल चन्द्र विष्ट | 21 | 3 कमरा | 1/896 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 129 | श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री वरकत | 18 | 2 कमरा | 6/768 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 130 | श्री मुबारक अंसारी पुत्र मोलवी मिया | 18 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-6 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 131 | मो0 निजामूद्दीन अंसारी पुत्र मो0 सईद अंसारी | 18 | 1 कमरा | 6/732 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 132 | श्री कुकुम अंसारी पुत्र जान अंसारी | 18 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 133 | श्रीमती मजूला सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह | 18 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 134 | अज्ञात | 21 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 135 | श्री राममूरत पाल पुत्र श्री मिट्ठूपाल | 145 | 4 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 136 | श्री राजू शर्मा पुत्र श्री टीकाराम शर्मा | 145 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-4 | - | - |
| 137 | श्री शेर बहादुर सिंह पुत्र चन्द्रीका सिंह | 145 | 3 कमरा | नही | - | 159 की लिस्ट में |
| 138 | श्रीमती रीता श्रीवास्तव पत्नी हृदय प्रकाश | 145 | 1 कमरा | 1/973 | - | - |
| 139 | श्री नागेन्द्र नाथ तिवारी पुत्र श्री विश्वनाथ तिवारी | 146 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 140 | श्री रामकुमार | 146 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |
| 141 | श्री अनिल सिंह | 146 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |
| 142 | श्रीमती भानमती पाठक | 146 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |
| 143 | श्री मुन्नीलाल पुत्र श्री ननकू प्रसाद | 145 | 1 कमरा | 1/906 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 144 | श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी रामलखन यादव | 145 | 2 कमरा | 1/904 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 145 | श्रीमती शर्मिला देवी पत्नी श्री ककलू राम गुप्ता | 145 | 1 कमरा | 6/771 | - | स्वयं रह रहे हैं |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | श्रीमती विमला देवी पत्नी द्वारिका प्रसाद | 145 | 2 कमरा | 1/934 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 147 | श्रीमती निर्मिला देवी पत्नी यसवन्त कुमार | 145 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 148 | श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राम चन्दर | 145 | 1 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 149 | श्री वृजपाल तिवारी पुत्र श्री काली चरण | 145 | 2 कमरा | 1/117 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 150 | श्रीमती राबिया खातून पत्नी जहूर मिया | 145 | 2 कमरा | आवन्टन सेक्टर-6 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 151 | श्री माता प्रसाद चौबे पुत्र श्री महादेव प्रसाद चौबे | 133 | 2 कमरा | 6/739 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 152 | श्री अवधेश कुमार तिवारी पुत्र स्व0 प्रभुदयाद तिवारी | 133 | 2 कमरा | 1/725 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 153 | श्री जंग वहादुर पुत्र स्व0 श्रीदत्त मिश्र | 133 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 154 | श्री गोकूल यादव | 133 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 155 | अज्ञात | 133 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 156 | श्री देवमति तिवारी पत्नी हरिहर तिवारी | 133 | 2 कमरा | नही | - | लेबर रहती है। |
| 157 | श्री देववृत्त तिवारी पुत्र स्व0 रामनरायण तिवारी | 133 | 2 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 158 | श्री भगवतीदीन तिवारी पुत्र श्री राम अचल तिवारी | 133 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 159 | अज्ञात | 133 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 160 | श्री हरीराम यादव पुत्र स्व0 अम्बर यादव | 135 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 161 | श्री हीरा सिंह पुत्र श्री उदय सिंह | 135 | 2 कमरा | नही | - | 172 की लिस्ट में है |
| 162 | श्री नन्दलाल मिश्र पुत्र स्व0 जे0एन0 मिश्र | 135 | 2 कमरा | 1/683 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 163 | श्री राम कृष्ण यादव पुत्र श्री राजाराम यादव | 135 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 164 | श्री हरीराम पुत्र श्री फागुराम | 135 | 1 कमरा | नही | | 172 की लिस्ट में है |
| 165 | श्री लाल वहादुर वर्मा पुत्र श्री राम प्रताप वर्मा | 135 | 1 कमरा | नही | | स्वयं रह रहे हैं |
| 166 | श्री राम अशीष वर्मा पुत्र श्री रामसहाय वर्मा | 135 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 167 | श्री शतुधन यादव पुत्र स्व0 छोटे | 125 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| [illegible] | [illegible] | 125 | 2 कमरा | नही | - | |
| [illegible] | [illegible] | 125 | 1 कमरा | [illegible] | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | श्री देवशंकर पांण्डेय पुत्र श्री रामदुलारे पाण्डेय | 125 | 2 कमरा | आवन्टन सेक्टर-1 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 171 | अज्ञात | 125 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 172 | श्रीमती उमा पत्नी नन्दलाल मिश्रा | 125 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 173 | श्री सुधीर कुमार वर्मा पुत्र श्री राम वर्मा | 125 | 2 कमरा | नहीं | - | 172 की लिस्ट में है |
| 174 | श्री नफीस अहमद | 125 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 175 | श्री वृज बिहारी सिंह पुत्र हर्सराज सिंह | 125 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 176 | श्री नौमीलाल पुत्र श्री मैकूलाल | 126 | 2 कमरा | नहीं | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 177 | सुनीता श्रीवास्तव पत्नी दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव | 133 | 1 कमरा | आवन्टित है | - | नहीं |
| 178 | श्री प्रमोद कुमार सिंह श्री परीक्षण सिंह | 132 | 6 कमरा | 1/808 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 179 | श्री ए0पी0 श्रीवास्तव | 131 | 1 कमरा | आन्टित | - | - |
| 180 | अज्ञात | 132 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 181 | अज्ञात | 132 | 1 कमरा टीन शेड | नहीं | - | कोई नहीं रहता है |
| 182 | श्री छोटेलाल | 132 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 183 | श्रीमती प्रमीला | 158 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 184 | श्री त्रियोगी नारायण त्रिपाठी | 159 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 185 | श्रीमती मालिनी शर्मा | 159 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 186 | श्री श्याम मुरारी पुत्र श्री राम किंकर त्रिपाठी | 54 | 1 कमरा | नहीं | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 187 | प्रताप चन्द्र बाजपेयी | 72 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 188 | प्रदीप चन्द्र बाजपेयी | 72 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 189 | श्री सतीश चन्द्र राय | 72 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 190 | श्रीमती वन्दना शुक्ला | 63 | 1 कमरा | आवन्टित | - | - |
| 191 | श्रीमती सुमन द्विवेदी | 100 | 2 कमरा | नहीं | - | - |
| 192 | अज्ञात | 100 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 193 | श्री आर0डी0 त्रिपाठी | 100 | 1 कमरा | नहीं | - | - |
| 194 | श्रीमती अंजली शर्मा | 63 | 2 कमरा | नहीं | - | स्वयं रह रहे हैं |
| | | | | | | - |
| | | | | | | नौकर रहता है |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | डा0 गोपाल चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री शंकर लाल श्रीवास्वत | 61 | 2 कमरा | - | - | 172 की लिस्ट में है स्वयं रहते है। |
| 198 | श्री महेश श्रीवास्तव पुत्र श्री रामलाल | 60 | 5 कमरा | नही | - | ओम शान्ति विद्यालय, बन्द |
| 199 | श्रीमती अनीता श्रीवास्तव पत्नी श्री विनोद श्रीवास्तव | 61 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 200 | सज्जाद जैदी पुत्र श्री मो0 रजी | 51 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 201 | श्रीमती मीनाक्षी जोशी | 130 | 4 कमरा | नही | - | - |
| 202 | अज्ञात | 130 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 203 | अज्ञात | 130 | 1 कमरा, टीन शैड | नही | - | - |
| 204 | अज्ञात | - | - | - | - | - |
| 205 | अज्ञात | - | 1 कमरा | नही | - | - |
| 206 | अज्ञात | - | 2 कमरा | नही | - | - |
| 207 | अज्ञात | - | 1 कमरा | नही | - | - |
| 208 | श्री कन्हैयालाल | 118 | 3 कमरा | नही | - | - |
| 209 | अज्ञात | 118 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 210 | अज्ञात | 118 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 211 | श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री रंजीत सिंह | 121 | 1 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |
| 212 | राज सिंह पुत्र स्व0 राम सिंह | 136 | - | 6/704 | - | स्वयं रह रहे है |
| 213 | श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री त्रिवेणी सहाय श्रीवास्तव | 136 | - | - | - | 172 की लिस्ट में है। |
| 214 | श्री राकेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 जगजीत सिंह | 125 | 2 कमरा | - | | 172 की लिस्ट में |
| 215 | श्री मूढू लाल पुत्र श्री स्व0 पुरन लाल | 121 | 1 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे है |
| 216 | अज्ञात | 121 | 1 कमरा | नही | | - |
| 217 | श्री गंगा प्रसाद यादव | 121 | 1 कमरा टीन शेड | नही | - | - |
| 218 | श्री हरि नारायण शुक्ला | 121 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 219 | श्री राम भरोसे यादव | - | 1 कमरा | नही | - | पुजारी रहते हैं |
| 220 | श्री संजय पाण्डेय | - | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 221 | श्री हरिहर सिंह | 162 | 3 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे है |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | श्री किशन सिंह विस्ट | 162 | 4 कमरा | आवन्टित | - | किरायेदार रहता है। |
| 223 | श्रीमती विन्वो यादव | 162 | 4 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 224 | श्री राम सहाय यादव | 162 | 2 कमरा | आन्टित | - | - |
| 225 | श्री एस0एस0 चौहान | 162 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 226 | श्रीमती कान्ता दत्ता पत्नी स्व0 बी0के0 दत्ता | 162 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 227 | अज्ञात | 162 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 228 | श्री राम प्रसाद पुत्र श्री चुन्नू | 164 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 229 | श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव | 161 | 2 कमरा | नही | - | - |
| 230 | श्री अशोक कुमार पंजवानी | 162 | 1 कमरा | नही | - | लेबर रहती है। |
| 231 | श्रीमती माया देवी | 162 | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 232 | श्री राजेश कुमार | 162 | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 233 | श्री पदम सिंह | 162 | 4 कमरा | 1/894 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 234 | श्रीमती सुधा त्रिपाठी पत्नी श्री एस0पी0 त्रिपाठी | 161 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 235 | श्री लाकेश कुमार सिंह | 160 अ,ब | 2 कमरा | - | - | 172 की लिस्ट में |
| 235ए | उमेश कुमार सिंह | 160 अ,ब | 1 कमरा | - | - | 172 की लिस्ट में |
| 236 | श्री प्रकाश केशरवानी | 158 | 4 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | - |
| 237 | श्रीमती शिवप्यारी सिंह | 158 अ,ब | 2 कमरा | 1/922 | - | |
| 238 | श्रीमती श्यामाबाजपेयी | 158 अ,ब | 2 कमरा | 1/920 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 239 | विपिन कुमार श्रीवास्तव | 162 | 2 कमरा | 1/862 | - | - |
| 240 | श्रीमती शशि तिवारी | 161 | 3 कमरा | 1/868 | - | - |
| 241 | श्री आर0डी0 पाण्डेय | 161 | 3 कमरा | 1/976 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 242 | श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त | 161 | 2 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 243 | श्री बृजलाल गोढ | 107अ,ब | 2 कमरा | 1/747 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 244 | श्रीमती मोना सिंह | 160 अ,ब | 1 कमरा | नही | - | - |
| 245 | श्री भगवान सिंह आसवाल | 152 | 2 कमरा | 1/866 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 246 | श्रीमती गीता वर्मा व कमला वर्मा | 152 | 3 कमरा | 1/911, 1/916 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 247 | श्री राजबहादुर प्रजापति | 146अ,ब | 2 कमरा | 6/771 | - | - |
| 248 | श्रीमती संतोष | 153 | 1 कमरा | नही | - | नौकर रहता है |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | अज्ञात | - | 1 कमरा | नही | - | - |
| 250 | श्री राजा राम सिंह यादव | 149अ,ब | 1 कमरा | नही | - | - |
| 251 | श्री दुधनाथ यादव | 149अ,ब | 1 कमरा | नही | - | - |
| 252 | श्रीमती मीरा देवी | 148 | - | नही | | - |
| 253 | श्री बल्लाम यादव पुत्र श्री राजाराम यादव | 150 | 2 कमरा | - | | 172 की लिस्ट में है |
| 254 | श्री कृष्णपाल सिंह | 150 | 1 कमरा | सेक्टर-6 में आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 255 | श्री भुवन चन्द्र जोशी पुत्र स्व0 केशव चन्द जोशी | 150 | 4 कमरा | 1/913 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 256 | श्री तुलसी उपाध्याय | 150 | 3 कमरा | 1/918 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 257 | श्री गोपाल सिंह | 150 | 2 कमरा | 1/925 | | स्वयं रह रहे हैं |
| 258 | श्री हरिपाल सिंह | 152 | 2 कमरा | 6/718 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 259 | श्री शिवप्रताप सिंह | 152 | 3 कमरा | 1/861 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 260 | श्री दान सिंह | 152 | 4 कमरा | 1/915 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 261 | श्रीमती शान्ति देवी | - | - | - | - | - |
| 262 | श्री कामता प्रसाद मौर्या | 152 | 3 कमरा | 1/867 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 263 | श्री गया प्रसाद | 159 | 2 कमरा | 1/742 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 264 | श्री हौसला प्रसाद | 159 | 2 कमरा | सेक्टर-6 में आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 265 | श्रीमती सुषमा गेरे | 159 | 2 कमरा | सेक्टर-6 में आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 266 | श्री राम अधीन | 159 | 2 कमरा | सेक्टर-6 में आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 267 | श्री राम जानकी दीक्षित | 159 | 2 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 268 | श्रीमती आराधना श्रीवास्तव | - | 1 कमरा | नही | - | - |
| 269 | लाल बहादुर पुत्र कुन्नू | 151 | 4 कमरा | 172 [illegible] | | स्वयं रह रहे हैं |
| 270 | श्री बी0एस0 मेहता | 150 | 2 कमरा | 1/680 | | स्वयं रह रहे हैं |
| 271 | श्री मोहन सिंह | | 3 कमरा | 1/675 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 272 | श्री गोविन्द्र राणा | 150 | 3 कमरा | 1/669 | - | स्वयं रह रहे हैं |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | श्री हरि प्रकाश तिवारी | 179 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे है |
| 274 | श्रीमती शीला यादव | 179 | 2 कमरा | 1/982 | - | स्वयं रह रहे है |
| 275 | श्री महेन्द्र सिंह | 179 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे है |
| 276 | श्री प्रभुनाथ राय | 179 | 2 कमरा | 1/674 | - | स्वयं रह रहे है |
| 277 | श्री कमल किशोर सिंह | 179 | 1 कमरा | - | - | - |
| 278 | श्रीमती सुमन यादव | 179 | 2 कमरा | 1/741 | - | स्वयं रह रहे है |
| 279 | श्री धुम्मन प्रसाद | 179 | 3 कमरा | 1/668 | - | स्वयं रह रहे है |
| 280 | श्रीमती राजेश्वरी देवी | 179 | 3 कमरा | 1/748 | - | स्वयं रह रहे है |
| 281 | श्री नन्दू | 179 | 1 कमरा टीन शेड | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे है |
| 282 | श्री हनुमान त्रिपाठी | 179 | 2 कमरा | 1/684 | - | स्वयं रह रहे है |
| 283 | श्री उदेश | 179 | 4 कमरा, दो दूकाने | नही | - | किरायेदार रहता है। |
| 284 | श्रीमती सुधा पाण्डेय | 179 | 2 कमरा | 1/677 | - | स्वयं रह रहे है |
| 285 | श्री चन्द्र पाल यादव | 179 | 2 कमरा | 4/1280 | - | स्वयं रह रहे है |
| 286 | श्री सियानन्द | 179 | 2 कमरा | 1/787 | - | स्वयं रह रहे है |
| 287 | श्री राजेन्द्र प्रसाद कन्नौजिया | 181 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे है |
| 288 | श्रीमती गुलाबो | 181 | 4 कमरा | - | - | स्वयं रह रहे है |
| 289 | श्री पुनवासी | 182 | 2 कमरा | 6/769 | - | स्वयं रह रहे है |
| 290 | श्री जकात वारिस | 182 | 2 कमरा | 6/एफ-675 | - | - |
| 291 | श्री निरन्जन यादव पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद | | | | | |
| 292 | श्रीमती रानी सिंह | | 1 कमरा | - | - | किरायेदार रहते है |
| 293 | श्री बन्धू सिंह | 138 | 1 कमरा | - | - | 172 की लिस्ट में है बन्द है |
| 294 | श्री सन्त बहादुर सिंह | | 1 कमरा | - | - | 172 की लिस्ट में है बन्द है |
| 295 | श्रीमती उर्मिला देवी | 138 | 2 कमरा | 1/921 | - | - |
| 296 | श्री बिन्देश्वरी प्रसाद तिवारी | 138 | 2 कमरा | 1/860 | - | स्वयं रह रहे है |
| 297 | श्री ए0एस0 भण्डारी | 177 | 3 कमरा | 6/761 | | स्वयं रह रहे है |
| 298 | श्री एल0डी0जोशी | 177 | 3 कमरा | 1/661 | | स्वयं रह रहे है |
| 299 | श्री नरोत्तम शर्मा | 177 | 3 कमरा | 6/667 | - | स्वयं रह रहे है |
| 300 | श्री पूरन चन्द्र जोशी | 177 | 3 कमरा | 1/727 | - | स्वयं रह रहे है |
| 301 | श्री डी0एस0 विष्ट | 177 | 3 कमरा | 1/663 | - | स्वयं रह रहे है |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | श्री दीवान सिंह अधिकारी | 178 क | 3 कमरा | 6/672 | - | किरायेदार रहता है। |
| 303 | श्रीमती इन्दूकुमारी गुप्ता | 178 | 1 कमरा | 1/965 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 304 | श्री किशन सिंह जेटी | 178 क | 2 कमरा | 6/680 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 305 | श्री पिताम्बर जोशी | 178 क | 1 कमरा | 6/678 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 306 | श्री कल्याण सिंह विष्ठ | 178 क | 2 कमरा | 6/777 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 307 | श्री प्रताप सिंह विष्ठ | 178 क | 1 कमरा | नही | - | किरायेदार रहते हैं |
| 308 | श्री भूवन चन्द्र जोशी | 178 क | 1 कमरा | 6/774 | - | किरायेदार रहते हैं |
| 309 | श्रीमती लालजी देवी | 177 | 1 कमरा | 1/971 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 310 | श्री वालादत्त बेलवायल | 177 | 3 कमरा | नही | - | किरायेदार रहते हैं |
| 311 | श्रीमती कमलापति जोशी पत्नी श्री दीपा जोशी | 178 क | 1 कमरा | 6/780 | - | किरायेदार रहते हैं |
| 312 | श्री उमेश सिंह | 177, क | 2 कमरा | नही | - | - |
| 313 | श्री प्रेम सिंह विष्ट | 177 | 3 कमरा | 1/838 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 314 | श्रीराम वरन | 217 | 3 कमरा | आवन्टित सेक्टर-1 | - | उमर वैश्य स्कूल |
| 315 | श्री मोहन सिंह नेगी | 217 | 3 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 316 | श्री मोहन सिंह नयाल | 177 | 2 कमरा | 1/675 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 317 | श्री सरजू प्रसाद | 217 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 318 | श्री रामकेश | 217 | 4 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 319 | श्री विश्वनाथ | 217 | 5 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 320 | श्री श्यामलाल | 217 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 321 | श्री राम शरण | 218 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 322 | श्री रामकुमार | 218 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 323 | श्री विक्रम सिंह | 218 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 324 | श्री तुगनाथ शुक्ला | 218 | 3 कमरा | 1/728 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 325 | श्री विश्वनाथ शुक्ला | 218 | 3 कमरा | आवन्टित | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 326 | मो0 अनिस | 218 | 2 कमरा | 1/740 | - | - |
| 327 | श्री बासुदेव प्रसाद | 218 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 328 | श्री आई0डी0 तिवारी | 218 | 3 कमरा | 1/739 | - | - |
| 329 | श्री रूप चन्द्र | 221ब | 1 कमरा | नही | - | - |
| 330 | श्री राधेश्याम | 221ब | 1 कमरा | नही | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | श्री हरिनाम सिंह | 221ब | 1 कमरा | नही | - | - |
| 332 | श्री कैलास नारायण | 221 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 333 | श्री टी0पी0 पाण्डेय | 221 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 334 | अज्ञात | - | 1 कमरा | नही | - | - |
| 335 | श्री पुष्पदीप संघवाल | 280 | 1 कमरा/ढांचा | नही | - | - |
| 336 | श्रीमती बिन्दुराय | 280 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 337 | श्रीमती दया जोशी | 280 | 3 कमरा | 1/665 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 338 | श्रीमती दुर्गावती शर्मा | 280 | 2 कमरा | 6/757 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 339 | श्रीराम ओझाा | 280 | 2 कमरा | 1/670 | - | किरायेदार रहते हैं |
| 340 | श्री विपुल कुमार | | 1 कमरा | नही | - | - |
| 341 | श्री धनसिंह | 223 | - | - | - | - |
| 342 | श्री राम सुफल यादव | 223 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 343 | श्री रामदास यादव | 223 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 344 | श्री धनसिंह | 223 | - | - | - | - |
| 345 | अज्ञात | 223 | - | - | - | - |
| 346 | श्री आनन्द सिंह विष्ट | 223 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 347 | श्री भोगनाथ | 223 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 348 | श्री जसवन्त सिंह | 223 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 349 | श्रीमती चन्द्रप्रभाजोशी | 223 | 2 कमरा | 1/972 | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 350 | श्री संतोष यादव पुत्र श्री नन्हे पुत्र श्री हिरई | 223 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 351 | श्री मनोहर | 223 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 352 | श्री मन्नू | - | 1 कमरा | नही | - | - |
| 353 | श्री किशन सिंह रावत | 223 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 354 | श्री चिन्तामणी जोशी | 223 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 355 | श्री राधेलाल | 223 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 356 | श्री राम लखन | - | 3 दूकान | - | - | किरायेदार |
| 357 | ग्राम पंचायत, स्कूल | - | - | - | - | आगनबाडी स्कूल टुटा हुआ |
| 358 | श्री मुकेश चौधरी | 24 | झोपडी | - | - | - |
| 359 | श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय | 13 अ ब | 1 कमरा | - | - | लेबर रहती है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा | 222 हुसडिया | मकान बना | - | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 361 | श्री तजाउद्दीन | 54 | 1 कमरा | - | - | लेबर रहती है। |
| 362/115 | श्रीमती मतिया देबी | 16 | 1 कमरा | - | - | स्वयं रह रहे हैं |
| 363 | श्री सिद्दराज सिंह | 131 | 3 कमरा | - | - | लेबर रहती है। |
| | | | | - | - | |

## गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में विद्यमान तामीरों की सूची

| क्र0सं0 | प्रार्थी/पिता/पति का नाम | ग्राम मकदूमपुर/ खसरा नम्बर | वर्तमान में निर्माण की स्थिति | आवन्टन की स्थिति/आवन्टित भूखण्ड नम्बर | आवन्टित भूखण्ड पर विकास की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती अजिता सिंह पत्नी श्री विजय सिंह भदौरिया | 257 | 1 कमरा | नही | - | स्वयं रहते हैं। 18.00 मी0 रोड पर |
| 2 | श्री सुनील प्रसाद सहाय पुत्र श्री बाकेलाल सहाय | 259 | 1 कमरा | नही | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | किरायेदार रहते हैं 18.00 मी0 रोड पर |
| 3 | श्री प्रयाग दत्त बलौदी पुत्र श्री स्व0 काशीराम बलौदी | 259 | 2 कमरा | 1/929 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते हैं। 18.00 मी0 रोड पर, 80 प्रतिशत भुगतान हो चुका |
| 4 | श्री महाबीर पुत्र श्री भगवत | 235 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 5 | श्रीमती दुर्गावती पत्नी स्व0 श्री अयोध्या प्रसाद | 242 | 3 कमरा, एक समाधि व बाउण्ड्रीवाल | नही | - | डी0ए0पी0 स्कूल है। |
| 6 | श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री अयाध्या प्रसाद | 242 | पार्ट ध्वस्त बाउण्ड्री | 1/847 | पूर्व निर्मित भवन स्थित है | 18.00 मी रोड पर |
| 7 | श्री आफता रजा पुत्र श्री इदरीस हसन | 239अ,ब | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रहते हैं। 12.00 मी रोड पर |
| 8 | श्री गोकरन पुत्र श्री गयादीन | 239अ,ब | 1 कमरा | नही | - | स्थल पर कोई रहता नही है। मौके पर भवन स्वामी का नाम क्षेत्रीय ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया |
| 9 | श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद | 242ब | 1 कमरा | नही | - | स्थल पर कोई रहता नही है। मौके पर भवन स्वामी का नाम क्षेत्रीय ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया |
| 10 | श्रीमती शशिबला तिवारी पत्नी स्व0 सुशील चन्द्र तिवारी | 239 | 1 कमरा | एफ-1/982 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते हैं। 18 मी0 रोड पर |
| 11 | श्री रामगुलाम पुत्र स्व श्री कल्लूराम | 239 | 2 कमरा (जर्जर) | नही | - | - |

J.E. J.E. J.E. A.E.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | श्री रामचन्द्रर पुत्र श्री भगतव | 118 | 1 कमरा | नही | - | 45 मी0 रोड पर |
| 13 | श्री कैलास एवं महावीर पुत्र श्री भगवन्त | 118 | 1 कमरा (जर्जर) | नही | - | - |
| 14 | श्रीमती माधुरी द्विवेदी पत्नी श्री सत्येन्द्र द्विवेदी | 235 | 1 कमरा | नही | | किरायेदार रहते है |
| 15 | श्रीमती शन्ति गुप्ता पत्नी श्री रामकेवल गुप्ता | 235 | 2 कमरा छत रहित | नही | - | - |
| 16 | श्री श्यामदेव पाल पुत्र श्री हरिपाल | 235 | 1 कमरा | नही | कब्जा दिया जा सकता है | 80 प्रतिशत मुवावजा दिया जा चुका है |
| 17 | श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मुन्नूलाल | 235 | 2 कमरा, बाउण्ड्री | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 18 | श्री भगेलूराम पुत्र स्व0 श्री सोमईबारी | 235 | 2 कमरा | 1/831 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते हैं। |
| 19 | श्री रामधीरज पुत्र श्री वेकारू | 235 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 20 | श्री माधूरी तिवारी पत्नी श्री एस0के0 तिवारी | 235 | 3 कमरा | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 21 | श्री हरिशंकर पाण्डेय पुत्र श्री स्व0 रामअजोर पाण्डेय | 235 | 1 कमरा, टीन शैड | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 22 | श्री प्रेम नाथ साई पुत्र श्री फागु साई | 235 | 1 कमरा, बाण्ड्रीवाल | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 23 | श्री प्रेमनारायण शुक्ला पुत्र स्व0 रामश्रिगार शुक्ला | 235 | 3 कमरा, बाउण्ड्री | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 24 | श्रीमती पूणिमा चोधरी पत्नी श्री मुकेश चौधरी | 235 | 2 कमरा, बाउण्ड्री | 1/882 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | किरायेदार रहते है |
| 25 | श्रीमती धनन्जु देवी पत्नी स्व0 राम बहल | 257 | 1 कमरा | 6/727 | स्थल पर विलूप्त है | किरायेदार रहते है |
| 26 | श्री गोकरन नाथ शुक्ला पुत्र श्री स्व0 शिवनरायण शुक्ला | 257 | 2 कमरा, जर्जर | नही | - | - |
| 27 | श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी श्री मुनेन्द्र सिंह | 257 | 1 कमरा | 6/775 | कब्रिस्तान स्थित है। | किरायेदार रहते है |
| 28 | अज्ञात | 313 | बाउण्ड्री | नही | - | - |
| 29 | श्री किशुन | 313 | बाउण्ड्री | नही | - | - |
| 30 | श्री प्रभुदीन | 313 | बाउण्ड्री | नही | - | - |

J.E J.E J.E J.E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | श्रीमती नसीमबानो पत्नी श्री अमीर अहमद खा | 313 | 1 कमरा, बाण्ड्रीवाल | 1/672 | लीज प्लान नही भेजा जा सकता | - |
| 32 | श्रीमती इसरत जहाँ पत्नी इस्तिफा हुसैन | 233 | 1 कमरा, बाण्ड्रीवाल | - | - | - |
| 33 | मो0 हयूल पुत्र श्री विक्राम अली | 313 | 1 कमरा, टीन शैड, बाउण्ड्री | नहीं | - | स्वयं रहते है। |
| 34 | श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री जगदीश श्रीवास्तव | 314 | 2 कमरा, आटा चक्की, मंदिर | नही | - | स्वयं रहते है। |
| 35 | श्री पाठक जी | 301 | 1 कमरा, सूर्य मंदिर | नही | - | स्थल पर कोई रहता नही है। नोक पर भवन स्वामी का नाम ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया |
| 36 | अज्ञात | 42 | 1 कमरा, बरामदा | - | - | 45 मी रोड पर सेक्टर-4 लोअर, अपर के मध्य चौराहे पर है |
| 37 | श्री राजनाथ पुत्र श्री बैजनाथ | 253 | 2 कमरा, बाउण्ड्री | 1/865 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते है। 30 मी0 रोड पर, 80 प्रतिशत भुगतान |
| 38 | श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री फुलचन्द्र यादव | 253 | 1 कमरा | 1/916 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते है। 30 मी0 रोड पर, 80 प्रतिशत भुगतान |
| 39 | श्री रविन्द्र नाथ ओझा | 253 | 3 कमरा | - | - | किरायेदार रहते है 30 मी0 रोड पर |
| 40 | श्री भगवती प्रसाद यादव पुत्र श्री शंकर यादव | 253 | 2 कमरा | - | - | स्वयं रहते है। 30 मी0 रोड पर |
| 41 | श्री सुरेन्द्र प्रताप साह पुत्र श्री बांकेलाल साह | 253 | 3 कमरा, बेसमेन्ट | 1/864 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते है। 30 मी0 रोड पर |
| 42 | श्री के0पी0 यादव पुत्र श्री मिश्री लाल यादव | 231 | 6 कमरा | 1/863 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते है। 30 मी0 रोड पर 80 प्रतिशत भुगतान |

J.E. J.E. J.E.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | श्रीमती रेनू केशरवानी | 231 | 1 कमरा, जर्जर, बाउण्ड्री | नही | - | 30 मी0 रोड पर भवनस्वामी का नाम-रामप्रताप अमीन L.D.A., द्वारा [illegible] |
| 44 | श्री दिनेश कुमार यादव पुत्र श्री के0पी0 यादव | 231 | बाउण्ड्री | नही | - | 30 मी0 रोड पर |
| 45 | श्रीमती अन्पूर्णा कटियार पत्नी श्री स्व0 रामबाबू कटियार | 231 | 2 कमरा, किचन | 1/859 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते हैं। 30 मी0 रोड पर |
| 46 | श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री आशुतोष कुमार सिंह | 231 | 1 कमरा, बाउण्ड्री | 1/749 | कब्जा दिया जा सकता है | 45 मी0 रोड पर |
| 47 | श्री रामदुलार यादव पुत्र श्री सियाराम यादव | 231 | 1 कमरा, जर्जर | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 48 | अज्ञात | 231 | बाउण्ड्री | नही | - | - |
| 49 | श्रीमती कौशिल्या सिंह पत्नी स्व0 श्री वशंराज सिंह | 231 | 1 कमरा, बाउण्ड्री | 1/745 | कब्जा दिया जा सकता है | - |
| 50 | श्री देशमणि त्रिपाठी पुत्र श्री देवशकर त्रिपाठी | 231 | 2 कमरा, बाउण्ड्री | - | - | स्वयं रहते हैं। |
| 51 | श्री मोलहे पुत्र श्री स्व0 भगवानदीन | 229 | 2 कमरा | - | - | स्वयं रहते हैं। |
| 52 | श्री नन्दराम आर्या पुत्र श्री बच्चीराम आर्या | 229 | 4 कमरा | 1/667 | लीज प्लान नही भेजा जा सकता | स्वयं रहते हैं। सडक नाली का निर्माण |
| 53 | श्रीमती कमला गुप्ता पत्नी श्री जुगल किशोर गुप्ता | 229 | 2 कमरा, | एफ-1/970 | - | स्वयं रहते हैं। |
| 54 | श्री एम0डी0 पन्त पुत्र श्री हरिकृष्ण पन्त | 229 | 5 कमरा | 1/804 | कब्जा दिया जा सकता है | स्वयं रहते हैं। 45 मी0 रोड पर |
| 55 | श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रीखई राम | 270 | 2 कमरा | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 56 | श्री मेवालाल | 270 | 1 कमरा, छत नही | नही | - | - |
| 57 | श्री रामचन्द्रर पुत्र श्री मैकूलाल | 270 | 1 कमरा, बाउण्ड्री | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 58 | श्री हरिराम पुत्र श्री महादेव | 270 | 1 कमरा, बाउण्ड्री | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 59 | श्री लालाजी शुक्ला पत्नी श्री लालमणि शुक्ला | 270 | 3 कमरा, बाउण्ड्री | नही | - | स्वयं रहते हैं। |

J.E. J.E. J.E. J.E. AE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | श्री प्रदीप कुमार वर्मा पत्र श्री दुखरननाथ वर्मा | 270 | 1 कमरा, बाण्ड्रीवाल | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 61 | श्री बहादुर सिंह कपकोटि पुत्र श्री नयन सिंह कपकोटि | 270 | 3 कमरा | एफ-1/959 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते हैं। |
| 62 | श्री आर0पी0 सैनी पुत्र श्री बृजलाल सैनी | 270 | 2 कमरा | 6/783 | कब्जा दिया जा सकता है | स्वयं रहते हैं। 80 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है |
| 63 | श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री हरिशचन्द्र | 270 | बाउण्ड्री | नही | - | - |
| 64 | श्री अयोध्या प्रसार पुत्र श्री छोटेलाल | 270 | 1 कमरा, बाउण्ड्री | एफ0-1/986 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते हैं।(वर्तमान मानचित्र में 150.00 वर्ग मी0 का भूखण्ड उपलब्ध है |
| 65 | श्री राजेश कुमार दीक्षित पुत्र श्री विष्णु प्रसाद दीक्षित | 270 | 1 कमरा, बाउण्ड्री | नही | - | - |
| 66 | अज्ञात | 270 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 67 | श्री चन्दन सिंह मेहरा पुत्र श्री केशव सिंह मेहरा | 277 | 1 कमरा | 6/789 | कब्जा दिया जा सकता है | स्वयं रहते हैं। 80 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है वर्ममान मानचित्र में 150 वर्ग मी0 का भूखण्ड स्थित है। |
| 68 | अज्ञात | 276 | बाउण्ड्री | नही | - | - |
| 69 | श्री ग्रिश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री विन्धवासिनी श्रीवास्तव | 276 | 2 कमरा, किचन | 1/751 | कब्जा दिया जा सकता है | स्वयं रहते हैं। |
| 70 | श्री ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद | 276 | 2 कमरा, किचन | नही | - | स्वयं रहते हैं। |
| 71 | श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री घनश्याम तिवारी | 276 | 2 कमरा | 6/779 | कब्जा दिया जा सकता है | स्वयं रहते हैं। वर्तमान मानत्रित्र में 150 वर्ग मी0 का भूखण्ड स्थित है। |

J.E. J.E. J.E.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | श्री बाजबहादुर सिंह पुत्र श्री स्व0 निर्भय सिंह | 276 | 4 कमरा, बरामदा, किचन, ट्यलेट | 4/1283 | कार्य योजना तैयान न होने के कारण विकास कार्य नही किया जा सका | स्वयं रहते हैं। 80 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है |
| 73 | श्री राम प्रसाद पुत्र श्री स्व0 जुराखन | 277 | 2 कमरा | एफ-1/966 | ब्लाक में पूर्व निर्मित भवन स्थित है | स्वयं रहते हैं। |
| 74 | श्रीमती सुमित्रा गुप्ता पत्नी श्री हरदयाल गुप्ता | 277 | 1 कमरा | नही | - | - |
| 75 | श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री स्व0 अयोध्या प्रसाद | 277 | टीनशैट | नही | - | स्वयं रहते हैं ग्राम-जुराखनपुरवा से सटे हुऐ सेक्टर-4 के दायें भाग की ओर |
| 76 | श्री राधेश्याम पाण्डेय पुत्र श्री घेरऊ पाण्डेय | 277 | 2 कमरा, टीन शैड | नही | - | " |
| 77 | श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्व0 रामगुलाम यादव | 270 | 1 कमरा, बरामदा | नही | - | " |
| 78 | श्री दिनेश कुमार यादव पुत्र श्री राम भरोसे यादव | 270 | 2 कमरा,बरामदा | नही | - | " |
| 79 | श्रीमती दुगा देवी पत्नी श्री अयोध्या प्रसाद | 270 | टीन शैड | नही | - | " |
| 80 | श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री मोहन | 270 | 1 कमरा, बाउण्ड्री | नही | - | " |
| 81 | श्री नन्ने पुत्र श्री स्व0 मोहन | 270 | 1 कमरा, बाउण्ड्री | नही | - | " |
| 82 | श्रीमती बिन्दु देवी पत्नी श्री कपिलदेव शर्मा | 270 | 2 कमरा, बरामदा, बाउण्ड्री | नही | - | " |
| 83 | श्री महादेव पुत्र श्री स्व0 मोहन | 270 | 3 कमरा | नही | - | " |
| 84 | श्री विष्णु कमार सिन्हा पुत्र श्री एस0के0 सिन्हा | 274 | 1 कमरा, बाउण्ड्री, बरामदा | - | - | कोई रहता नही 45 मी0 रोड पर स्थित सेक्टर-1 व 4 के मध्य शहीद पथ के पास |
| 85 | श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री स्व0 बुद्धुलाल | 311 | 1 कमरा, बरामदा | नही | - | स्वयं रहते हैं ग्राम-जुराखनपुरवा से सटे हुऐ सेक्टर-4 के दायें भाग की ओर |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | श्री फुलचन्द्र पुत्र श्री स्व0 बुद्धुलाल | 311 | बारामदा | नही | - | '' |
| 87 | श्री बजरंग पुत्र श्री स्व0 बुद्धूलाल | 311 | बारामदा | नही | - | '' |
| 88 | रज्जनलाल पुत्र श्री स्व0 बुद्धुलाल | 311 | बाउण्डी | नही | - | '' |
| 89 | श्री रामप्रेम पुत्र श्री बुद्धूलाल | 311 | नाद एवं ट्यूबवेल की बोरिंग | नही | - | '' |
| 90 | श्रीमती लाली सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह | 239, मकदूमपुर | 1 कमरा ध्वस्थ. बाउण्ड्री | नही | - | 18 मी0 रोड प्रभावित |
| 91 | श्री निशीथ सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह | 239, मकदूमपुर | 1 कमरा ध्वस्थ. बाउण्ड्री | नही | - | 18 मी0 रोड प्रभावित |
| 92 | श्री सेमिल सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह | 239, मकदूमपुर | 1 कमरा ध्वस्थ. बाउण्ड्री | नही | - | 18 मी0 रोड प्रभावित |

J.E. J.E. J.E. J.E.

# गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-5 में विद्यमान तामीरों की सूची

| नेक्शं में निर्माण का क्रमांक | प्रार्थी/पिता/पति का नाम | खसरा नम्बर ग्राम हुसडिया | निर्माण से अवरोध का विवरण | आवन्टन की स्थिति/आवन्टित भूखण्ड नम्बर | आवन्टित भूखण्ड की स्थलीय स्थिति | निर्मित भवनों का विवरण | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | प्लाट क्षेत्रफल वर्ग फुट में | कवर्ड क्षेत्रफल की माप मी0 में | |
| 1 | श्री जितेन्द्र सिंह | 220, | ग्रीन बेल्ट | - | - | - | (2.70 x 1.80)+ (4.30x 5.00) | 1 कमरा व बाउन्ड्रीवाल भूसे की दुकान (रेलवे भूमि पर निर्मित) |
| 2 | ज्ञात नही हो सका | 227 | ग्रीन बेल्ट | - | - | - | 3.40x3.05 | 1 कमरा व बाउन्ड्रीवाल कोई निवास नहीं कर रह है। |
| 3 | श्री बलराम सिंह | 227 | ग्रीन बेल्ट | - | - | - | (3.50x 3.55) + 2x(3.40x3.05) | 3 कमरा व बाउन्ड्रीवाल कोई निवास नही कर रह है। |
| 4 | श्री दिनेश कुमार | 227 | ग्रीन बेल्ट | - | - | - | | मकान एवं 1 दुकान निवास कर रहे हैं |
| 5 | श्री दीपक | 227 | ग्रीन बेल्ट एवं 45 मी0 रोड | - | - | - | 3.80x3.25 | 1 कमरा व बाउन्ड्रीवाल, निवास कर रहे है। |
| 6 | ज्ञात नही हो सका | 227 | ग्रीन बेल्ट एवं 45 मी0 रोड | - | - | - | 3.30x5.00 | 1 कमरा |
| 7 | श्रीमती राजबाला सिंह | 220 | ग्रीन बेल्ट एवं 45 मी0 रोड | - | - | - | - | बाउण्ड्रीवाल |
| 8 | श्री गोतेन्द्र पाल | | ग्रीन बेल्ट | - | - | - | 3.50 x 4.00 | 1 कमरा व बाउन्ड्रीवाल, कोई निवास नही कर रहा है। |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | श्रीमती मीना सिंह | 220 | ग्रीन बेल्ट | - | - | - | 3.50x 3.50 | 1 कमरा कोई निवास नहीं कर रहा है। |
| 10 | श्री रामऔतार | | ग्रीन बेल्ट | 159 की लिस्ट में क्रम संख्या-150 पर नाम है। | | - | 3.50x 3.20 | कमरा टीनशेड कोई रहत नही है। |
| 11 | श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री रामलगन यादव | | ग्रीन बेल्ट | - | - | - | 5.00x3.70 | 1 कमरा, बाण्ड्रीवाल निवास कर रहे है |
| 12 | ज्ञात नही हो सका | | ग्रीन बेल्ट | - | - | - | - | झोपडी |
| 13 | ज्ञात नही हो सका | | ग्रीन बेल्ट, 9 मी0 रोड | - | - | - | 6.00x 3.50 | 1 कमरा |
| 14 | श्री राम यादव | | 45 मी0 रोड | - | - | - | - | मलवा पड़ा है एवं निर्मित भवन गिरा दिया गया है |
| 15 | श्रीमती शर्मिला मजुमदार एवं श्रीमती निलिमा राय | 227 | - | 1/835 | स्थल पर पूर्व निर्मित भवन स्थित है | - | 11.20x3.60 | 1 कमरा व बाउन्ड्रीवाल काई रहता नही है। |
| 16 | श्रीमती कुसुम लता पत्नी श्री ए0पी0 सिंह | 229 | ग्रीन बेल्ट 45 मी0 रोड | नई लिस्ट में नाम है 11/163 | - | 2340 वर्ग फुट | 4.00x 3.90 | 1 कमरा |
| 17 | श्री अनिल सिंह एवं विमला देवी | 227 | 45 मी0 रोड | 159 की लिस्ट में क्रम संख्या-108 पर नाम है। | - | 6670 वर्ग फुट | 3.60 x 4.10 | 1 कमरा व बाउण्ड्रीवाल |
| 18 | श्री पी0के0 गुप्ता | 227 | ग्रीन बेल्ट 45 मी0 रोड | - | - | 6600 वर्ग फुट | 3.00 x 3.00 | 1 कमरा व बाउण्ड्री |
| 19 | श्रीमती अमरावती देवी पत्नी श्री विद्यासागर | 227 | ग्रीन बेल्ट एवं सड़क | 1/806 | कब्जा दिया जा सकता है | - | --- | मूल्यांकन हो चुका है। |
| 20 | श्री चन्द्र देव राय पुत्र श्री बाबू नारायण | 227 | ग्रीन बेल्ट, 9 मी0 रोड | - | - | - | 6.60x3.55 | 1 कमरा बाउन्ड्रीवाल |

A Sahi J.E.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | श्री हजारी लाल गुप्ता पुत्र श्री रामनराण गुप्ता | 238 | भूखण्ड एवं 9 मी0 रोड | - | - | 2800 वर्ग फुट | 3.60x7.50 | 1 कमरा दुकान |
| 22 | श्रीमती धर्मावती देवी श्री शिवशंकर प्रसाद | - | 45 मी0 रोड | 1/842 | स्थल पर भवन निर्मित है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान हो चुका है। |
| 23 | श्री शिवनारायण गुप्ता | 238 | - | नई लिस्ट में नाम है 25/188 | | 2800 वर्ग फुट | 4.20x3.30 | 1 कमरा व बाउन्ड्रीवाल कोई नही रहता है। |
| 24 | श्रीमती अन्जू सैनी पुत्री श्री वी0पी0 सिंह | 250 | 45 मी0 रोड, भूखण्ड | नई लिस्ट में नाम है 18/143 | - | 5280 वर्ग फुट | - | - |
| 25 | श्रीमती मालती पत्नी श्री माया शंकर लाल | 238 | 45 मी0 रोड | 4/1281 | विकास कार्य नही हुआ | 1800 वर्ग फुट | 3.50X3.00 | 1 कमरा व बाउन्ड्रीवाल किरायेदार रहते है। |
| 26 | श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव | 238 | 45 मी0 रोड, भूखण्ड | 159 की लिस्ट में क्रम संख्या-107 पर नाम है। | - | | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान हो चुका है। |
| 27 | श्रीमती कमला पत्नी स्व0 बीरेन्द्र राम | 238 | 45 मी0 रोड, भूखण्ड | नई लिस्ट में नाम है। 18/102 | | 1800 वर्ग फुट | 3.50X3.00 | एक कमरा बाउण्ड्री |
| 28 | श्रीमती प्रेक्षा यादव पुत्री श्री एस0एन0 यादव | 239 | भूखण्ड | नई लिस्ट में नाम है। 46/449 | - | 3200 वर्ग फुट | 3.50X3.01 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल |
| 29 | श्रीमती अमिता पाण्डेय | 239 | 45 मी0 रोड | - | - | - | (4.20X3.50)+ (3.30X1.60) | 1 कमरा बाण्ड्रीवाल कोई रहता नही |
| 30 | श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद | 238 | 45 मी0 रोड, भूखण्ड | 6/726 | विलुप्त है | - | 4.85X4.15 | एक कमरा एवं बाउण्ड्रीवाल |
| 31 | अज्ञात | | 45 मी0 रोड, भूखण्ड | - | - | - | 4.00X3.05 | एक कमरा व बाउण्ड्री किरायेदार रहता है। |
| 32 | श्रीमती रमारानी सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह | 239 | 9 मी0 रोड, भूखण्ड | नई लिस्ट में 38/286 | - | 2400 वर्ग फुट | 8.00X11.90 | भवन बना है निवास कर रहा है। |
| 33 | श्री उमेश पाण्डेय | 239 | भूखण्ड | नई लिस्ट मे 39/300 | - | 2400 वर्ग फुट | - | 2 कमरा कोई रहता नही, गेट में ताला बन्द। |

A Kala J.E.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | श्रीमती आशादेवी पत्नी श्री मिश्रीलाल | 239 | भूखण्ड | | | 2400 वर्ग फुट | 162.00 Sqm | 5 कमरा व अन्य बना है |
| 35 | श्री रामआसरे विश्कर्मा पुत्र श्री बहज विश्कर्मा | 239 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 23/177 | - | 1320 वर्ग फुट | 6.70X3.90 | 1 कमरा व बाउण्ड्रीवाल, किरायेदार रहते हैं। |
| 36 | श्री रघुनन्दन सिंह चौहान पुत्र सियाराम सिंह | 239 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 27/208 | - | - | 4.80X4.00 | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल कोई रहता नही |
| 37 | श्रीमती मंजू पाण्डेय | - | भूखण्ड | - | - | - | 4.70X3.60 | 1 कमरा व प्लिन्थ लेबिल तक बाउण्डी बनी है |
| 38 | श्रीमती भानूमती पत्नी श्री राम नवल यादव | 239 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 30/238 | - | 1000 वर्ग फुट | 3.50X3.50 | 1 कमरा किरायेदार रहता है |
| 39 | श्री कमता प्रसाद पुत्र श्री विश्वेश्वर | 239 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड, पार्क | 1/933 आवन्टित है | स्थल पर पूर्व निर्मित भवन स्थित है | 1000 वर्ग फुट | 14.45X6.10 | भवन बना है स्वयं रहता है। |
| 40 | श्रीमती धनपता | 239 | पार्क | - | - | - | 3.90X3.65 | 1 कमरा टीन शेड |
| 41 | श्रीमती विद्यावती दूबे पत्नी श्री राधे विहारी दूबे | 239 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 40/306 | - | 1905 वर्ग फुट | 4.25X3.40 | एक कमरा किरायेदार रहत है |
| 42 | श्री वी0पी0 गुप्ता | | भूखण्ड | - | - | - | 4.15X3.55 | 1 कमरा व बाउण्ड्रीवाल किरायेदार |
| 43 | श्रीमती मंजू दूबे पत्नी श्री अश्वनी दूबे | 242 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 44/315 | - | 2100 वर्ग फुट | 4.80X3.15 | 1 कमरा व बाउण्ड्री किराये दार रहता है |
| 44 | श्री माता प्रसाद पुत्र श्री फकीरे लाल | 242 | भूखण्ड | - | - | 2000 वर्ग फुट | 3.30X3.30 | 1 कमरा किरायेदार |
| 45 | - | 242 | भूखण्ड | - | - | - | 5.00X4.00 | एक दुकान |

ASahai JE.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | श्री क्षत्रपाल पटेल पुत्र श्री राम आधार | 243 | 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 39/312 | - | 5700 वर्ग फुट | 3.50X3.50 | एक कमरा टीन शेट तथा बाउण्ड्रीवाल कोई नही रहता है। |
| 47 | - | 243 | भूखण्ड | - | - | - | 3.20X3.00 | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल कोई रहता नही है। |
| 48 | श्री मनीष कुमार सिन्हारिया पुत्र श्री चुन्नीलाल आपत्ति | 243 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 1/902 | - | - | 3.60X3.60 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल किरायेदार रहते है |
| 49 | श्री अजय कुमार पुत्र श्री स्व0 मातादीन | 250 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 1/733 | - | - | 3.80X3.75 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल किरायेदार |
| 50 | श्री माता प्रसाद पुत्र श्री फकीरे लाल एवं निरन्जन पुत्र श्री द्वारिका | 250 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 17/313 | - | 1800 वर्ग फुट - 1200 वर्ग फीट | (13.70X6.15)+ (13.70X3.40) | पाँच दुकाने व बरामदा तथा बाउण्ड्रीवाल निवास करते है। |
| 51 | - | | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | 4.00X3.50 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल कोई रहता नही |
| 52 | श्रीमती बीरबाला चौहान पत्नी श्री राम प्रकाश | 250 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | 21.3X10.40 | दो मंजिला भवन अद्ध निर्मित है। स्थल पर बताया गया कि मा0 न्यायालय में रिट है। |
| 53 | श्रीमती कीर्ति सक्सेना पत्नी श्री अनिल कुमार सक्सेना | 250 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 17/136 | - | 2040 वर्ग फुट | 3.60X3.45 | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल किरायेदार रहते है |
| 54 | - | | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | 3.70X3.35 | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल किरायेदार |

A Sahai J.E.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री राजनारायण श्रीवास्तव | 250 | भूखण्ड | 159 की लिस्ट में क्रम संख्या-143 पर नाम है। | - | 1107 वर्ग फुट | 3.55X3.45 | एक कमरा कोई रहता नहीं |
| 56 | - | | पार्क | - | - | - | 3.15X3.55 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल कोई रहता नहीं |
| 57 | श्री राम मनोहर विश्कर्मा | | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | 5.50X3.55 | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल किरायेदार |
| 58 | श्रीमती माया | | 9 मी0 रोड | - | - | - | 7.70X3.00 | दो कमरा व बाउण्ड्री किरायेदार रहता है |
| 59 | श्री विनय मोहन श्रीवास्तव | | 9 मी0 रोड | - | - | - | 3.00X3.00 | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल बना है |
| 60 | श्री योगेश चन्द्र शर्मा | | भूखण्ड | - | - | - | 4.10X3.50 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल किरायेदार |
| 61 | - | | भूखण्ड | - | - | - | 4.00X2.70 | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल कोई रहता नहीं |
| 62 | श्री मो0 लतीफ पुत्र श्री छोटे हकीम | 248 | भूखण्ड, 12 मी0 रोड | - | - | 5000 | 5.45X4.20 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल कोई रहता नहीं है। |
| 63 | - | | भूखण्ड | - | - | - | | प्लिन्थ तक बाउण्ड्रीवाल |
| 64 | श्री सहजराम | 248 मकदूमपुर | भूखण्ड | 1/903 | विकास कार्य प्रगति पर | - | 6.10X10.30 | 248 मकदूमपुर, भवन बना है निवास कर रहें है। |
| 65 | श्री गंगोत्री बडोला पुत्र श्री जगदेव प्रसाद बढोला | 248 मकदूमपुर | भूखण्ड | नई लिस्ट में 15/81 | - | - | 4.10X3.70 | एक कमरा बाउण्ड्री प्लिन्थ तक कोई रहता नहीं |
| 66 | श्री गोरख सिंह | | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | - | बाण्ड्री कोई रहता नहीं ताला बन्द |
| 67 | श्री सघई लालपाल | | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | - | भवन निर्मित/आंशिक भाग ले-आउट सीमान्तर्गत |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | - | | 9 मी0 रोड | - | - | - | - | भवन निर्मित/आंशिक भाग ले-आउट सीमान्तर्गत |
| 69 | श्री काशी नारायण | 169/172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | 3.00X3.00 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल कोई रहता नही |
| 70 | श्री आर0पी0 शाह | | भूखण्ड, 9 मी0 रोड, पार्क | - | - | - | 3.60X3.70 | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल टीन शैड कोई रहता नही |
| 71 | श्रीमती सपना अग्रवाल, आई0ए0एस0 | | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | - | एक कमरा व बाउण्ड्रीवाल |
| 72 | श्री आर0पी0 प्रजापती पुत्र श्री आर0एस0 प्रजापति | 165अ | पार्क | - | - | - | 4.10X3.50 | भवन बना है किरायेदार रहते हैं |
| 73 | श्रीमती ऊषा श्रीवास्तव | 165अ | भूखण्ड, 9 मी0 रोड, पार्क | 6/708 | कब्जा दिया जा सकता है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान हो चुका है। भवन निर्मित है। |
| 74 | श्री राम जानकी त्रिपाठी | - | भूखण्ड, 12 मी0 रोड | 1/810 | कब्जा दिया जा सकता है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान हो चुका है। भवन निर्मित है। |
| 75 | श्री बीरेन्द्र सिंह (फैजाबाद) | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | - | बाउण्ड्रीवाल |
| 76 | श्री मातम्बर सिंह | 169/172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | 5.00X5.00 | टीनशैड बाउण्ड्रीवाल |
| 77 | श्री राम औतार यादव | | भूखण्ड | - | - | - | - | मंदिर बना रखा है तथा बाउण्ड्रीवाल |
| 78 | - | परती भूमि | भूखण्ड | - | - | - | - | बाउण्ड्री प्लिन्थ लेबल |
| 79 | श्रीमती फुलमती देवी पत्नी श्री केदार सिंह | 172 | पार्क, 9 मी0 रोड | 1/743 | कब्जा दिया जा सकता है | - | - | मूल्यांकन हो चुका है। भवन निर्मित है। |

ASalai
JE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | श्री उदय सिंह पुत्र श्री सुरज सिंह | 169 क | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | - | बाउण्डी कोई रहता नही |
| 81 | श्री सुनील श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राम कुमार श्रीवास्तव | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 31/244 | - | 2500 वर्ग फुट | (4.10X3.90) + (2.40X2.70) | 2 कमरा बाण्ड्रीवाल किरायेदार |
| 82 | श्रीमती शशि गुप्ता पत्नी श्री धर्मपाल गुप्ता | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 44/379 | - | 1000 वर्ग फुट | 5.00X3.65 | एक कमरा व बाउण्ड्री किरायेदार |
| 83 | श्री ए0के0 शर्मा | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 1/907 | विकास कार्य प्रगति पर | - | - | मूल्यांकन हो चुका है। भवन बना है निवास कर रहे है। |
| 84 | श्रीमती भानमती देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र प्रसाद | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 1/1 | - | 1800 वर्ग फुट | - | 9 कमरे, भवन बना है स्वयं रहते हैं। |
| 85 | श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 1/877 | पूर्व निर्मित भवन स्थित है | - | - | दो कमरा व बाउण्ड्री कोई रहता नही ताला बन्द |
| 86 | श्री पी0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री सत्य प्रकाश | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 1/875 | तदैव | - | - | भवन बना है |
| 87 | श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री महेश प्रसाद | 172 | 9 मी0 रोड | 1/891 | तदैव | - | - | भवन बना है निवास कर रहे है। |
| 88 | श्री वी0के0 खन्ना | 172 | 9 मी0 रोड | - | - | 1800 वर्ग फुट | - | बाउण्डी बनी है। |
| 89 | श्री द्विजेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री रामराज पाण्डेय | 172 | 9 मी0 रोड | 1/883 | पूर्व निर्मित भवन स्थित है। | - | - | भवन बना है निवास कर रहे है। |
| 90 | श्री रमाकान्त तिवारी पुत्र श्री दुधनाथ त्रिपाठी | 172 | 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 5/74 | | 1800 वर्ग फुट | 4.80X4.15 | एक कमरा बाउण्ड्री कोई रहता नही |
| 91 | श्रीमती माया पाठक | 172 | 9 मी0 रोड | - | - | 1800 वर्ग फुट | - | बाउण्ड्री बनी कोई रहता नही। |

A Sahai
J.E.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | श्रीमती प्रेमशीला श्रीवास्तव पत्नी श्री दशरथ लाल श्रीवास्तव | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 28/203 | - | 1800 वर्ग फुट | (4.60X3.65) + (2.40X3.05) | दो कमरा बाउण्ड्रीवाल बनी है। |
| 93 | श्री प्रेमशंकर श्रीवास्तव पत्नी स्व0 भगतवी प्रसाद | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 29/237 | - | 1800 वर्ग फुट | 3.00X3.65 | दो कमरा व लेट्रीन, बाथरूम |
| 94 | श्री बृजेश कुशवाहा पुत्र श्री मनीराम कुशवाहा | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 4/6 | - | 800 वर्ग फुट | 3.65X3.00 | एक कमरा व बाउण्ड्री, किरायेदार रहते हैं |
| 95 | श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री उदेश सिंह | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 24/168 | - | 750 वर्ग फुट | 60% Cov | मकान बना है |
| 96 | श्री कृष्णचन्द्र शुक्ला पुत्र श्री स्वामी दयाल शुक्ला | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 8/39 | - | 600 वर्ग फुट | (4.00X3.00) + (3.00X3.00) | भवन बना है निवास करते है। |
| 97 | श्री मनोज कुमार पटेल पुत्र श्री अवध विहारी पटेल | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 19/103 | - | 800 वर्ग फुट | 3.00X3.00 | दो कमरा |
| 98 | श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रामदरस | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | 600 वर्ग फुट | 8.50X4.40 | भवन बना है निवास करते है। |
| 99 | श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री राम दुलारे सिंह | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 1/908 | ब्लाक के बीच में भवन बने होने के कारण कब्जा दिया जाना सम्भव नही | - | - | मुआवजा 80 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। मकान बना है। |
| 100 | श्री डी0के0 राय पुत्र श्री हरिन्दर राय | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 1/910 | ब्लाक के बीच में भवन बने होने के कारण कब्जा दिया जाना सम्भव नही | - | - | मुआवजा 80 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। मकान बना है। |
| 101 | श्री राकेश कुमार वर्मा, पुत्र श्री महेश | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 51/617 | - | 1800 वर्ग फुट | 4.90X3.65 | एक कमरा व बाउण्ड्री |
| 102 | श्री मुनेश्वर प्रसाद | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | 1800 वर्ग फुट | (6.00X3.65) + (1.20X1.80) | एक कमरा व बाउण्ड्री |
| 103 | श्री रामाकान्त राम | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | 900 वर्ग फुट | - | मकान मन्दिर बाउण्ड्री |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | श्री राम नरायण कुशवाहा | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 6/705 | कब्जा दिया जा सकता है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर मकान बना, स्वयं रहते है |
| 105 | श्री हरिशंकर कुशवाहा | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 6/711 | कब्जा दिया जा सकता है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर मकान बना, स्वयं रहते है |
| 106 | श्री सिंह | 172 | भूखण्ड | - | - | 1800 वर्ग फुट | - | बाउण्ड्रीवाल |
| 107 | श्री सरोज मिश्रा | 172 | भूखण्ड | 1/881 | स्थल पर पूर्व निर्मित भवन स्थित है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर भुगतान एक कमरा, बाउण्ड्रीवाल |
| 108 | श्री रमेश चन्द्र शर्मा | 172 | भूखण्ड | 1/892 | स्थल पर पूर्व निर्मित भवन स्थित है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर एक कमरा बाउण्ड्रीवाल, स्वयं निवास कर रहे है |
| 109 | श्री श्याम मुरारी श्रीवास्तव पुत्र श्री महादेव प्रसाद तिवारी | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 34/241 | - | 5400 वर्ग फीट | (6.00X3.00) + (5.00X3.50) | एक कमरा टीन शेड बाउन्ड्रीवाल |
| 110 | श्रीमती मृणालनी शर्मा पत्नी श्री विमल शर्मा | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 13/222 | - | 1800 वर्ग फुट | 3.00X3.65 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल निवास कर रहे है |
| 111 | श्रीमती अर्चना चौरसिया | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | 1800 वर्ग फुट | 3.00X4.60 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल |
| 112 | श्री सहज राम कन्नौजिया पुत्र श्री बाबूलाल कन्नौजिया | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 6/741 | 90 वर्ग मी0 का भूखण्ड उपलब्ध है स्थल पर मजार बनी है | 900 वर्ग फुट | 9.15X4.60 | भवन व बाउण्ड्रीवाल निवास कर रहे हैं |
| 113 | श्री ओम प्रकाश चौरसिया पुत्र श्री राम प्रसाद चौरसिया | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | 1/878 | पूर्व निर्मित भवन स्थित है। | 1800 वर्ग फुट | 3.80X3.70 | भवन व बाउण्ड्रीवाल निवास कर रहे हैं |

J.E.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | श्री राम प्रसाद चौरसिया पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद चौरसिया | 172 | भूखण्ड | 6/709 | विकास कार्य होना है। | 900 वर्ग फुट | 12.00X4.60 | भवन व बाउण्ड्रीवाल निवास कर रहे है |
| 115 | श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी श्री सरलेश कुमार श्रीवास्तव | 172 | भूखण्ड | - | - | 1800 वर्ग फुट | 4.15X3.50 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल प्लिन्थ लेविल तक |
| 116 | श्री लक्ष्मी शंकर पुत्र श्री राजबहादुर | 172 | भूखण्ड | - | - | 1914 वर्ग फुट | 5.50X3.60 | टीन शेड बाउण्ड्रीवाल |
| 117 | श्री शिवनाथ शर्मा पुत्र श्री ठाकुरदीन | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 32/234 | | 740 वर्ग फुट | - | एक कमरा टीन शेड |
| 118 | - | 172 | भूखण्ड | - | - | 1300 वर्ग फुट | - | बाउण्ड्रीवाल |
| 119 | श्री आशीश कुमार डे पुत्र स्व0 देवेन्द्र नाथ डे | 172 | भूखण्ड | 159 की लिस्ट में क्रम संख्या-77 पर नाम है | - | 3600 वर्ग फुट | - | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल |
| 120 | श्री जगदीश चौरसिया पुत्र श्री केदार नाथ चौरसिया | 172 | भूखण्ड | 6/731 | 90 वर्ग मी0 भूखण्ड विलुप्त है। | - | - | भवन व बाउण्ड्रीवाल निवास कर रहे हैं |
| 121 | श्री बैजनाथ चौरसिया | 172 | भूखण्ड | 1/671 | पूर्व निर्मित भवन स्थित है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर भुगतान, भवन व दुकान निवास कर रहे है |
| 122 | श्री महेश प्रसाद पुत्र श्री रामलाल | 172 | भूखण्ड | 1/809 | कब्जा दिया जा सकता है | - | - | 80 प्रतिशत प्रतिकर भुगतान चार दुकाने |
| 123 | कु0 पिंकी वर्मा पिता श्री महेश वर्मा | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 64/779 | - | 5000 वर्ग फुट | 9.70X3.00 | चार कमरा बाउण्ड्रीवाल निवास नही कर रहे है |
| 123ए | श्रीमती मीना दुग्गल | 172 | भूखण्ड | नई लिस्ट में 64/779 | - | 2000 | - | 2 कमरा |

A Balai
J.E.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | श्री मुन्नन प्रसाद | 172 | भूखण्ड | - | - | 3600 वर्ग फुट | 3.00X3.60 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल |
| 125 | श्री वर्मा | 172 | भूखण्ड | - | - | - | - | बाउण्ड्रीवाल |
| 126 | श्री राम सजीवन पुत्र श्री सत्यनारायण | 172 | भूखण्ड | - | - | 850 वर्ग फुट | (3.60X3.60) + (2.00X2.00) | एक कमरा लैट्रीन निवास कर रहे है |
| 127 | श्री सन्तोष पुत्र श्री जगदेव | 172 | भूखण्ड | - | - | 600 वर्ग फुट | 4.60X3.60 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल, निवास कर रहे है। |
| 128 | श्री वासुदेव पुष्कर पुत्र श्री राजपति राम | 172 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | 850 वर्ग फुट | 3.40X4.00 | एक कमरा बाउण्ड्रीवाल |
| 129 | श्री कन्हईलाल पटेल पुत्र श्री रजई | - | सब स्टेशन | नई लिस्ट में 40/328 | - | 1800 वर्ग फुट | (5.15X3.50) + (9.60X3.45) | एक कमरा टीनशेड |
| 130 | श्री अशोक | - | सब स्टेशन | - | - | - | 9.20X4.30 | एक कमरा बरामदा, कोई रहता नही है। |
| 131 | श्रीमती कमला देवी | - | सब स्टेशन | - | - | - | 4.85X3.50 | एक कमरा टीनशेड कोई रहता नही है। |
| 132 | श्री विजय बहादुर | - | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | - | एक कमरा कोई रहता नही है। |
| 133 | श्री संकटा प्रसाद | - | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | - | - | - | - | बाउण्ड्रीवाल |
| 134 | श्री बाबू प्रताप चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र | 178 | भूखण्ड, 9 मी0 रोड | नई लिस्ट में 38/290 | - | 5100 वर्ग फुट | (4.20X5.20) + (3.10X2.00) + (9.30X4.60) | एक कमरा टीनशेड, बाउण्ड्रीवाल, किरायेदार |
| 135 | श्री मिथलेश्वर कुमार सिंह पुत्र श्री देव प्रसाद सिंह | - | भूखण्ड | - | - | 2100 वर्ग फुट | 84.00 Sqm | मकान बना निवास कर रहे है |
| 136 | - | - | पार्क, 9 मी0 रोड | - | - | - | - | मकान शहीद पथ द्वारा मुआवजा दिया जा चुका है |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | श्री चंचल सिंह पुत्र श्री खीम सिंह | 280 | भूखण्ड | 6/770 | कब्रिस्तान से प्रभावित | 2100 वर्ग फुट | 7.50X7.20 | मकान किरायेदार रहते हैं |
| 138 | - | - | भूखण्ड | - | - | 2100 वर्ग फुट | 4.20X3.60 | एक कमरा |

J.E.

# गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-6 में विद्यमान तामीरों की सूची

| क्र0सं0/नक्शे का क्रमांक | स्थल क्रमांक | प्रार्थी/पिता/पति का नाम | ग्राम मकदूमपुर/ खसरा नम्बर | वर्तमान में निर्माण की स्थिति | आवन्टन की स्थिति/आवन्टित भूखण्ड नम्बर | आवन्टित भूखण्ड पर विकास की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एन/1 | श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह | 300 | 1 कमरा | - | - | 1985/एएजेड/10.03.08 के क्रम संख्या-98 पर आवान्टन हेतु अपात्र |
| 2 | एन/2 | श्री आर0के0 रस्तोगी पुत्र श्री राम किशोर | 300 | 1 कमरा बाउण्ड्री | 1/827 | ब्लाक की मांपे नही ली जा सकती | - |
| 3 | एन/3 | श्रीमती मीनू रस्तोगी पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद | 300 | 1 कमरा बाउण्ड्री | 1/837 | ब्लाक की मांपे नही ली जा सकती | |
| 4 | एन/4 | श्री सी0के0 सिन्हा पुत्र स्व0 एस0के0 सिन्हा | 300 | 1 कमरा | - | | 1985/एएजेड/10.03.08 के क्रम संख्या-115 पर आवान्टन हेतु अपात्र |
| 5 | एन/5ए | श्री बहादुर सिंह बिष्ट | 300 | पक्का भवन | 1/690 | ब्लाक की मांपे नही ली जा सकती | |
| | एन/5बी | श्री जी0सी0 श्रीवास्वत | 300 | 1 कमरा | - | - | - |
| 6 | एन/6 | श्री कमला प्रसाद शुक्ला पुत्र श्री रामसमूझ शुक्ला | 300 | पक्का भवन | - | - | 172 की सूची में कटगरी-3 क्रमाक-17/101 पर |
| 7 | एन/7 | श्री कामता सिंह पुत्र श्री गंगादीन | 301 | पक्का भवन | - | - | 172 की सूची में कटगरी-3 क्रमाक-2/30 पर |
| 8 | | ट्रान्सफारर्मर | - | - | - | - | - |
| 9 | | श्री रियाजूल | - | स्कूल भवन | - | - | अर्जन में समायोजन हेतु |
| 10 | | नासिर पुत्र श्री इस्तियाकअली | - | 1 मकान बाउण्ड्री | - | - | सीमांकन आवश्यक |
| 11 | | स्वास्तिक पब्लिक स्कूल | - | स्कूल भवन | - | - | सीमांकन आवश्यक |
| 12 | | सरकारी सम्पत्ति (पंचायत घर) | | पंचायत घर, बाउण्ड्रीवाल | - | - | सीमांकन आवश्यक |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | इन्दिरा आवास के तीन भवन | - | - | - | - | अर्जन से निर्णय वांछित. सीमांकन /ग्राम समाज |
| 14 | एन-14ए | श्री चाँदबाबू पुत्र श्री मो0 अली | 275 मलेशेमऊ | 1 कमरा | 1/671सी | ब्लाक की मांपे नही ली जा सकती | - |
| | एन-14बी | श्री शाहिद अली पुत्र मो0 अली | 275 मलेशेमऊ | 1 कमरा टीन शेड | - | - | 172 की सूची कटगरी-5 क्रमांक 54/568 पर |
| | एन-14सी | श्री एम0ए0 मुन्ना पुत्र श्री मो0 अली | 275 मलेशेमऊ | 1 कमरा | - | - | 1985/एएजेड-1/दिनांक 10.03. 08 की सूची क्रमांक-37 पर |
| 15 | एन-15 | श्री रामप्रेम पाल | - | 1 कमरा | - | - | - |
| 16 | | शहीद पथ | - | - | - | - | शहीद पथ शिफ्टिंग के कारण भूखण्ड विलुप्त |
| 17 | एन-17 | श्रीमती ज्ञानवती कटियार पत्नी श्री आर0के0 कटियार | 302 मकदूमपुर | 2 दुकान व कमरा | - | - | 172 की सूची कटगरी-5 क्रमांक 66/332 पर |
| 18 | | मजार, दरगाह, बाउण्ड्रीवाल | - | - | - | - | सीमांकन आवश्यक |
| 19 | एन-19 | श्री दीवान सिंह नेगी पुत्र श्री नर्सिंग नेगी | 270, 271 मलेशेमऊ | भवन | - | - | 172 की सूची कटगरी-6 क्रमांक 45/403 पर |
| 20 | एन-20 | श्री केशर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह | 63,68 मलेशेमऊ | पक्का मकान | - | - | 172 की सूची कटगरी-6 क्रमांक 13/75 पर |
| 21 | एन-21 | श्री मोहन सिंह विष्ट | 63,68 मलेशेमऊ | बाउण्ड्रीवाल | - | - | - |
| 22 | एन-22ए | श्री विशन सिंह सिराडी पुत्र श्री गांगा सिंह सिराडी | 63 मलेशेमऊ | पक्का मकान | - | - | 1985/एएजेड-1/दिनांक 10.03. 08 की सूची क्रमांक-135 पर |
| | एन-22बी | श्री लाल सिंह बनेला पुत्र स्व0 लक्ष्मन सिंह बनेला | 63 मलेशेमऊ | पक्का मकान | - | - | 1985/एएजेड-1/दिनांक 10.03. 08 की सूची क्रमांक-112 पर |
| 23 | एन-23 | श्री पन्नालाल | - | 1 कमरा बरामदा | - | - | - |
| 24 | | सरकारी | - | ट्यूबवेल, ट्रान्सफार्मर | - | - | किसी सूची में नहीं प्रपत्र भी नही दिखाये |
| 25 | एन-25 | मो0 एजाज पुत्र श्री सुमान अली | 337, मलेशेमऊ | 1 कमरा बाउण्ड्री | - | - | 1985/एएजेड-1/दिनांक 10.03. 08 की सूची क्रमांक-8 पर |
| 26 | एन-26ए | श्री अब्दूल वाहाब पुत्र श्री अब्दूल रहमान | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वांछित |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एन-26बी | मो0 मंजूर | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26सी | मो0 कद्दूस पुत्र श्री नफीस | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26डी | श्री विजय पुत्र श्री प्रसाद | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26ई | श्री शौकत अली पुत्र श्री रहमत अली | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26 एफ | मो0 फारूक पुत्र श्री मो0 हारून | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26जी | मो0 अफाक पुत्र श्री मो0 यामिन | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26 एच | मो0 अखलाख पुत्र श्री मो0 यामिन | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26 आई | मो0 कफील पुत्र श्री मो0 यामिन | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26 जे | मो0 शफील पुत्र श्री मो0 यामिन | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26 के | मो0 फहीम पुत्र श्री मो0 यामीन | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26 एल | मो0 सकीव पुत्र श्री मो0 वद्दूदीन | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26 एम | मो0 हसीव | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| | एन-26 एन | मो0 गड्डू | 392/1 व 2 | पक्का मकान | - | - | निर्णय वाछित |
| 27 | | विलुप्त स्थान | - | - | - | - | सीमांकन के कारण विलुप्त 6/721 से 6/731 भूखण्ड |
| 28 | एन/28 | श्री राम दुलारे पुत्र श्री रामदीन | - | मंदिर व समाधि | - | - | - |
| 29 | | सीमांकन के कारण विलूप्त | - | - | - | - | 6/735 से 6/737 विलुप्त |
| 30 | | - | - | मजार | | | 6/741 से 6/743 विलुप्त |
| 31 | | कब्रिस्तान | - | - | | | 6डी/760 से 6डी/770 विलुप्त |
| 32 | | सीमांकन से प्रभावित | - | - | - | - | भूखण्ड प्रभावित |
| 33 | | मंदिर मकान व बाउण्ड्रीवाल | - | | - | - | 6/926 से 6/955 प्रभावित |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | यूकिलिप्टस पेड वा बाउण्ड्रीवाल (अज्ञात) | | | | | कामर्शियल भूखण्ड प्रभावित |
| 35 | एन/35 | चन्द्रा इण्टरकालेज | - | स्कूल भवन | | | अर्जन से निर्णय वांछित |
| 36 | एन-36 | श्री आशिष कुमार पुत्र श्री जगदीस प्रसाद | 302 मलेशमऊ | 2 कमरा व ट्यलेट | - | - | 172 की सूची कटगरी-4 9/127 पर |
| 37 | एन-37 | श्री हरिमंगल पुत्र श्री माता प्रसाद सिंह | 224 मलेशमऊ | 1 कमरा व ट्यलेट | - | - | 172 की सूची कटगरी-5 24/184 पर |
| 38 | एन/38 | श्री सुदामा पुत्र श्री राम किशुन | 224 मलेशमऊ | 4 कमरा बाउण्ड्री | - | - | 172 की सूची कटगरी-1 3/80 पर |
| 39 | एन/39 | श्री संजय श्रीवास्तव पुत्र श्री जगत प्रसाद | 301 मलेशमऊ | 1 कमरा बाउण्ड्री | - | - | 172 की सूची कटगरी-4 8/126 पर |
| 40 | एन/40 | श्री चरन सिंह पुत्र श्री स्व0 कल्लू | 263 मलेशमऊ | 2 कमरा व ट्यलेट | - | - | 172 की सूची कटगरी-3 9/128 पर |
| 41 | एन/41 | श्री इन्दल सिंह पुत्र श्री कल्लू | 263 मलेशमऊ | 2 कमरा व ट्यलेट | - | - | 172 की सूची कटगरी-3 10/130 पर |
| 42 | एन/42 | श्रीमती तुलसी देवी पत्नी | 311 मलेशमऊ | 1 कमरा बाउण्ड्री | | | 172 की सूची कटगरी-5 7/22 पर (लाल डोरे के अन्दर निर्णय वाछित) |
| 43 | एन/43 | श्री रामसमुझ पुत्र श्री छोटेलाल | - | - | | | 172 की सूची कटगरी-3 11/152 पर (लाल डोरे के अन्दर निर्णय वाछित) |
| 44 | एन/44 | मो0 भूसई पुत्र श्री बुलाकी | | पेड, बाउण्ड्री | | | लाल डोरे के अन्दर निर्णय वाछित |
| 45 | एन/45 | श्रीमती रमहमुन निशा | 325 | पेड, बाउण्ड्री | | | लाल डोरे के अन्दर निर्णय वाछित |
| 46 | एन/46 | मो0 रऊफ | 325 | पेड, बाउण्ड्री | | | लाल डोरे के अन्दर निर्णय वाछित |

# गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-5 व 6 के मध्य 45.00 मी0 रोड पर विद्यमान तामीरों की सूची

| क्र0सं0 | प्रार्थी/पिता/पति का नाम | ग्राम मकदूमपुर/ खसरा नम्बर | वर्तमान में निर्माण की स्थिति | आवन्टन की स्थिति/आवन्टित भूखण्ड नम्बर | आवन्टित भूखण्ड पर विकास की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सन्तोष कुमार साहू पुत्र श्री सुक्कासू साहू | 288 | 2 कमरा किचन | 6/751 | - | |
| 2 | श्रीमती शाहिन फारूखी पत्नी श्री मो0 अफरोज | 288 | 1 कमरा वाउण्ड्री | - | - | एच-604, 172 की सूची में नाम है |
| 3 | श्री ओम प्रकाश यादव | 288 | 1 कमरा किचन | - | - | एच-603 |
| 4 | श्री राक केलस पुत्र श्री हरि प्रसाद | 288 | 2 कमरा किचन | | | एच-602 |
| 5 | श्री विजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद | 288 | 2 कमरा, वाउण्ड्री | - | - | 172 की सूची में में नाम है। |
| 6 | श्री छोटेलाल पुत्र श्री राम भरोसे | 288 | 2 कमरा | - | - | 172 की सूची में में नाम है। |
| 7 | श्री रामनरेश पुत्र श्री स्व0 राम हरख | 288 | 2 रूम स्टोर किचन ट्यलेट, जिना | - | - | मकान नम्बर एच-601 |
| 8 | श्रीमती उषा मिश्र पत्नी श्री चन्द्रिका मिश्र | 288 | 2 कमरा, वाउण्ड्री | - | - | मकान नम्बर एच-599 |
| 9 | श्रीमती सुमन दूबे पत्नी शिवाकान्त दूबे | 288 | 1 कमरा किचन ट्यलेट, वाउण्ड्री | - | - | मकान नम्बर एच-598, 172 की सूची में सम्मिलित |
| 10 | श्री राम प्रसाद पुत्र श्री मोहन राम | 288 | 1 कमरा | - | - | - |
| 11 | श्री शिवराम पुत्र श्री रामहरख यादव | 288 | 1 कमरा | - | - | मकान नम्बर एच-596 |
| 12 | श्रीमती सत्यवती पत्नी श्री हरदयाल | 288 | 1 कमरा वरामदा | - | - | - |
| 13 | श्री राम सागर पुत्र श्री राम शंकर | 288 | 1 कमरा | - | - | - |
| 14 | श्री शकील अहमर पुत्र श्री अकील अहमद | 286 | 1 कमरा टीन शैड | - | - | - |
| 15 | श्री भीम बहादुर सिंह पुत्र श्री नरबहादुर सिंह | 286 | 3 कमरा किचन ट्यलेट | - | - | - |
| 16 | श्री राम प्रसाद शर्मा पुत्र श्री परेश्वर शर्मा | 286 | 2 कमरा | - | - | मकान नम्बर एच-587 |
| 17 | श्री टून्नी पुत्र श्री रहमान | 286 | 1 कमरा, टीन शैड | - | - | मकान नम्बर एच-586 |
| 18 | श्रीमती हरीकला शर्मा पत्नी श्री श्री रामप्रसाद शर्मा | 286 | 1 कमरा ट्यलेट, जीना | - | - | - |

95

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | श्री लाल बहादुर पुत्र श्री जयबीर | 286 | 1 कमरा | - | - | - |
| 20 | श्री अब्दुल रज्जाक पुत्र श्री मो0 याकूब | 288 | 4 कमरा किचन ट्यलेट | 6/एफ-683 | - | - |
| 21 | श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री अजीत कुमार | 288 | 4 कमरा किचन ट्यलेट | - | - | 172 की सूची में नाम है। |
| 22 | श्री याकूब्दा पुत्र श्री फकरूद्दीन | 288 | 3 कमरा किचन ट्यलेट | - | - | 172 की सूची में नाम है। |
| 23 | श्री बच्चूलाल पुत्र श्री अशिफीलाल | 288 | 2 कमरा बारामदा | - | - | - |
| 24 | श्री मेवा लाल गुप्ता पुत्र श्री ननकू गुप्ता | 288 | 2 कमरा | - | - | - |
| 25 | श्रीमती रेखा यादव पत्नी श्री जगराम यादव | 288 | 1 कमरा | - | - | - |
| 26 | श्री सूजर मण्डल पुत्र श्री शिवनन्दन | 288 | मन्दिर | - | - | |

96

## गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 व 1 के मध्य 45.00 मी0 रोड पर विद्यमान तामीरों की सूची

| क्र0सं0 | प्रार्थी/पिता/पति का नाम | ग्राम मकदूमपुर/ खसरा नम्बर | वर्तमान में निर्माण की स्थिति | आवन्टन की स्थिति/आवन्टित भूखण्ड नम्बर | आवन्टित भूखण्ड पर विकास की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राम चन्दर पुत्र श्री भवगवन | 118 | 1 कमरा | - | - | सर्विस रोड पर |
| 2 | श्री कैलाश पुत्र श्री महाबीर | 118 | 1 कमरा | - | - | सर्विस रोड पर |
| 3 | श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री आशुतोष कुमार | 271 | 1 कमरा, बारामदा | 1/749 | - | |
| 4 | श्रीमती अन्नपूर्णा कृष्णाय पत्नी श्री राम बाबू | 231 | 2 कमरा | 1/859 | - | |
| 5 | श्री एस0डी0 पन्त पुत्र श्री हरिकिशन पन्त | 229 | 5 कमरा | 1/804 | - | |
| 6 | श्री विष्णु कुमार सिंह पुत्र श्री एस0के0सिंह | 274 | 1 कमरा बाउण्ड्री | - | - | |
| 7 | श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रेवई | 270 | 2 कमरा | - | - | |

विषय संख्याः 15 पृष्ठ संख्याः 97

विषयः– बिना आवंटन–पत्र निर्गत कराए भवन/भूखण्ड का परिवर्तन, अनुबन्ध/कब्जा दिए जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के उन सम्पत्तियों, जिनमें आवंटन के पश्चात् आवंटन–पत्र निर्गत न करके सीधे परिवर्तन, अनुबन्ध/कब्जा आदि की कार्यवाही धनराशि जमा कराकर कर दी गयी है, उन आवंटियों को आवंटित सम्पत्तियों के निबन्धन की कार्यवाही कराये जाने में कठिनाई हो रही है जबकि उन सम्पत्तियों पर मूल आवंटी कब्जा की तिथि से ही काबिज हैं और प्राधिकरण में वांछित धनराशि जमा कर निबन्धन कराने का अनुरोध कर रहे हैं ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कराया गया, जिसमें वर्तमान तक 653 सम्पत्तियों के आवंटी चिन्हित हुए जिनकी सूची प्रस्तुत है। उक्त आवंटियों का स्थल पर भी सत्यापन कराया जा चुका है ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण प्रशासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर बोर्ड के आदेश प्राप्त कर लिए जाएं।

प्रस्तावः–

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत है कि ऐसे प्रकरणों में जहॉ मूल आवंटियों को आवंटित सम्पत्ति का अनुबन्ध/कब्जा दिया जा चुका है और आवंटन–पत्र निर्गत नही हुआ है तथा वांछित धनराशि जमा कर आवंटी अपनी सम्पत्ति का निबन्धन कराना चाह रहे हैं उनकों आवंटित सम्पत्तियों का निबन्धन आवंटी से मूल आवंटी होने का शपथ पत्र लेकर एवं भवन के साथ आवंटी की फोटोग्राफी इत्यादि कराकर अनुबन्ध/कब्जे के आधार पर कर दिया जाए।

अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

डॉ० इफ्तेखार हुसैन
म० व० सहा०

D.C. RAM,
SECTION OFFICER
LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
LUCKNOW

विषयः– मुथमिज संगम (तमिल समाज) के पक्ष में महानगर योजना के अन्तर्गत कम्युनिटी डेवलेपमेन्ट हेतु आडीटोरियम निर्माण के लिये आवंटित भूमि के स्थान पर गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में समायोजन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

महानगर योजना लखनऊ में आडीटोरियम निर्माण हेतु तमिल समाज की संस्था मुथमिज संगम के पक्ष में सामुदायिक सुविधा की भूमि 33,000वर्गफिट रू0–15/– प्रति वर्गफिट की दर से दिनांक 22.06.1983 को आवंटित की गयी थी। भूमि की कीमत रू0 4,95,000.00 जमा करने हेतु पत्र संख्या 1114/पी0ए0 (एस0) दिनांक 22.06.1983 द्वारा सूचित किया गया। आवंटित भूमि में 16,500वर्गफिट पर आडीटोरियम का निर्माण होना था तथा 16,500वर्गफिट भूमि पर पार्किंग एवं खुले मैदान के रूप में प्रयोग की अनुमति दी गयी थी किन्तु बाद में निर्णय हुआ कि कम्युनिटी डेवलेपमेन्ट हेतु आरक्षित भूमि में से आधी भूमि 16,500वर्गफिट ही दिया जाये, जिसकी कीमत रू0 2,47,500/– थी, जिसे संस्था द्वारा सब्याज रू0 3,01,235/– वर्ष 1991 तक जमा कर दिया गया। वर्ष 1994 में श्री गोविन्दन नायर तत्कालीन संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0शासन के पत्र दिनांक 21.09.1984 के क्रम में संस्था को प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिया गया। किन्तु भारतीय जनता पार्टी लखनऊ के गणमान्य नेताओं द्वारा कालोनीवासियों की सुविधा हेतु एक कल्याण मण्डप बनवाने का अनुरोध मा0 मुख्यमंत्री एवं मंत्री आवास एवं नगर विकास उ0प्र0शासन से किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि पर मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में कल्याण मण्डप का निर्माण नगर निगम द्वारा करा दिया गया।

मुथमिज संगम (तमिल समाज) के पदाधिकारियों द्वारा कल्याण मण्डप के निर्माण उपरान्त अलीगंज योजना अथवा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत संस्था के पक्ष में व्यवसायिक भूमि को आवंटित करने का अनुरोध किया गया। चूंकि संस्था को आवंटित भूमि सामुदायिक सुविधाओं की थी इसलिये व्यवसायिक भूमि दिये जाने पर विचार नहीं किया गया। समायोजन हेतु संस्था के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर अनुरोध किया जाता रहा है।

भूमि के समायोजन के सन्दर्भ में संस्था के सचिव डा0 वी0 शेकर के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2007 जोकि मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0शासन को सन्दर्भित है उस पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 17.10.2007 को उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी किया गया "कृपया परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है"। उक्त निर्देश के क्रम में श्री रामनिरंजन अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के पत्र दिनांक 07.12.2007 मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ/सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शित करते हुये नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने एवं अनुपालन आख्या से शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में महानगर योजना के अन्तर्गत सामुदायिक सुविधा की भूमि के समायोजन के स्वरूप गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या सीएफ–01, विजयन्त खण्ड–3 जिसका क्षेत्रफल लगभग 17000वर्गफिट है, को प्रस्तावित किया गया। इसी सन्दर्भ

क्रमशः.....2

( विद्या प्रसाद )
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

में पुनः अनुस्मारक श्री रामनिरंजन अनुसचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 का पत्र संख्या सी0एम0–48/आठ–1–08–231एलडीए/07 दिनांक 31.01.2008 भी प्राप्त हुआ है, जिसमें पूर्व पत्र का सन्दर्भ देते हुए प्रकरण को महत्वपूर्ण बताते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु कार्य/आख्या उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश पारित किया गया। सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र, जो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संख्या 2160/1981–82 दिनांक 22.07.1981 को दिनांक 22.07.2005 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया, भी संलग्न है। डा0 बी0 शेकर (सचिव) ने सदस्यों की सूची एवं नवीनीकरण दिनांक 26.02.08 को प्राप्त कराया गया।

<u>प्रस्ताव</u>

महानगर योजना के अन्तर्गत सामुदायिक सुविधा का भूखण्ड मुथमिज संगम के पक्ष में आवंटित था एवं उक्त संस्था द्वारा वांछित धनराशि भी जमा कर भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया था परन्तु तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0सरकार के निर्देशानुसार उक्त भूमि पर नगर निगम द्वारा कल्याण मण्डप का निर्माण किया गया। चूंकि संस्था द्वारा वांछित धनराशि जमा की जा चुकी थी ऐसी दशा में संस्था को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड–3 में सामुदायिक भूखण्ड संख्या सीएफ–01,(जिसका क्षेत्रफल 17000वर्गफिट) पर उ0प्र0 आवास विभाग द्वारा निर्गत कास्टिंग गाइड लाइन के बिन्दु–17 (3) के अनुसार परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। कृपया विचारार्थ।

( विद्या प्रसाद )
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य का 15 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा ।
2.यदि आवंटी द्वारा पूर्व में कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उपरोक्तनोट प्रजेण्ट वैल्यू निकाली जायेगी । इसको निकालने में ऋणदायी संस्था की जो ब्याज दर हो, उस दर का उपयोग किया जायेगा ।यदि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा अपनी धनराशि विनियोजित की गयी है तो हुडको द्वारा सम्बन्धित श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज दर से उपरोक्त वैल्यू निकाली जायेगी । इसप्रकार प्राप्त वैल्यू को नई सम्पत्ति के मूल्य में adjust किया जाये ।
3.यदि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद अपनी किसी चूक /विवाद के कारण आवंटित सम्पत्ति का परिवर्तन करता है तो परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में परिवर्तन को समायोजन माना जायेगा परन्तु इसप्रकार का समायोजन अधिकतम एक स्तर ऊपर सम्पत्ति के लिए ही होगा । नई सम्पत्ति के मूल्य की discounted वैल्यू निकाली जायेगी जिसमें ब्याज की दर उपरोक्त क्रम संख्या–11 के अनुसार रहेगी । यह मूल्य आवंटी से वर्तमान में बिना ब्याज लगाये लिया जायेगा ।

18.विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

किसी भी प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों को जो सम्पत्तियां आवंटित की जायेंगी उनमें सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य में 10 प्रतिशत की एकमुश्त छूट अनुमन्य होगी, यह सुविधा पूरे सेवाकाल में केवल एक बार दी जायेगी ।इस छूट का लाभ कर्मचारियों/अधिकारियों की इच्छा के प्राधिकरण/परिषदीय कालोनी में लिया जा सकता है ।

19.एकगंजिले से अधिक भवनों/दुकानों में भूमि की लागत–लगाये जाने से सम्बन्धित–

1.दो गंजिले भवनों में

इन भवनों में भूमि के मूल्य का विभाजन भूतल तथा प्रथम तल की लागत में 60:40 में किया जायेगा ।

2.तीन गंजिले भवनों में

इन भवनों में भूमि के मूल्य का विभाजन भूतल, प्रथमतल तथा द्वितीय तल की लागत में 45:25:30 में किया जायेगा ।

3.चार गंजिले भवनों में

इन भवनों में भूमि के मूल्य का विभाजन भूतल, प्रथमतल, द्वितीय

क्रमशः.....9

(7)

सर्विसेज का कार्य विकास प्राधिकरण /आवास विकास परिषद को करना चाहिए तथा नगर निगम द्वारा हस्तान्तरण के समय जिन इक्युपमेन्ट की आवश्यकता के सम्बन्ध में बताया जाये उनकी धनराशि का प्राविधान योजना की लागत निकालते समय कर लेना चाहिए।

13.आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों की एकमुश्त बिक्री से सम्बन्धित– इसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्पत्ति की मांग तथा योजना में अनुमन्य एफ0ए0आर0 पर निर्भर करेगी । अतः विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन कर सकता है ।

14.आवंटन निरस्त होने के पश्चात पुनर्जीवित करने पर पुनर्जीवन शुल्क लेने से सम्बन्धित– यदि आवंटी की गलती से आवंटन निरस्त होता है तो ऐसी दशा में पुनर्जीवन के लिए सम्पत्ति का जो मूल्य लगाया जायेगा , वह वर्तमान मार्केट दर का 75 प्रतिशत अथवा योजना का प्रचलित वर्तमान मूल्य , जो भी अधिक है, के बराबर होगा । यदि विकास प्राधिकरण की गलती से कोई आवंटन निरस्त होता है तो ऐसी स्थिति में उसे पुनर्जीवन न मानते हुए रेस्टोरेशन माना जायेगा और सम्पत्ति का मूल्य पूर्ववत् रहेगा ।रेस्टोरेशन पूर्ण धन की अदायगी बाद ही किया जाये।

15.मानक क्षेत्रफल से वास्तविक क्षेत्रफल बढ़ने पर– यदि लीज प्लान प्राप्त होने पर भूमि की मात्रा आवंटित क्षेत्रफल से बढ़ती है, तो बढ़े हुए क्षेत्रफल में आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत अधिक तक पुरानी दर से तथा उसके अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल की नई दर लगायी जायेगी ।

16.बिना मूल्य के आवंटन पत्र निर्गत करने पर – यद्यपि निर्धारित प्रारूप पर आवंटन पत्र निर्गत करने का प्राविधान किया गया है परन्तु यदि बिना निर्धारित प्रपत्र के आवंटन पत्र निर्गत किया जाता है और उसमें मूल्य का कोई उल्लेख नहीं है तो जिस तिथि को निर्धारित प्रारूप पर आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा उस तिथि को अन्तिम मूल्य ऑकलित कर आवंटन पत्र के अनुसार ही धनराशि आवंटी द्वारा देय होगी ।

17.परिवर्तन शुल्क– 1.यदि किसी व्यक्ति को भवन/भूखण्ड आवंटित होता है और उसके पश्चात यदि परिवर्तन किया जाता है तो प्रत्येक परिवर्तन पर नवीन

क्रमशः.....8

<u>विषय</u> : विकास प्राधिकरण के स्वामित्व/प्रबंध में संचालित सामुदायिक केन्द्र एवं खुले क्षेत्र के शुल्क के वृद्धि एवं नियम/शर्तों में संशोधन के सम्बन्ध में।

<u>विषय वस्तु</u> : विकास प्राधिकरण के स्वामित्व/प्रबंध में संचालित सामुदायिक केन्द्र/खुले क्षेत्र हेतु गत कई वर्षों से पूर्व निर्धारित दरों पर शुल्क व जमानत धनराशि जमा करायी जा रही है। अनुरक्षण एवं रख-रखाव में हुई वृद्धि के दृष्टिगत उक्त शुल्क में वृद्धि तथा नियम एवं शर्तों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण के लेखा विभाग द्वारा शुल्क में वृद्धि हेतु मेथड-1 में कास्ट इंफ्लेशन इण्डेक्स के आधार पर तथा मेथड-2 में 10 प्रतिशत वार्षिक इक्रीज के आधार पर दरों का आगणन तैयार किया गया है, जो निम्नवत् है :-

**<u>Method-I</u> ON THE BASIS OF COST INFLATION INDEX**

| S.No. | Name of Centers | Date of Current Rate Fixed | Current Booking Amount | Proposed Booking Amount (Round off '000) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cost Inflation Index 2007-08 | Cost Inflation Index Of Relevant Year | As per Current Cost Inflation Index |
| 1 | Lohiya Samudaiyak Kendra, Chowk | 01-03-06 | 20000 | 551 | 497 | 23000 |
| 2 | Amrit Lal Nagar Sabhagar, Chowk | 12-04-01 | 18000 | 551 | 426 | 24000 |
| 3 | Aliganj/Gomti Nagar & Kanpur Road Samudaiyak Kendra | 21-12-99 | 6000 | 551 | 389 | 9000 |
| 4 | Sitapur Road Sector-H, Sthit Samudaiyak Kendra | 19-05-05 | 9000 | 551 | 497 | 10000 |
| 5 | Jyotiva Phule Prekshagrha Chowk | 18-01-02 | 3000 | 551 | 426 | 4000 |
| 6 | Nehru Bal Vatika, Near Aliganj Open Area | 29-03-04 | 6000 | 551 | 463 | 8000 |
| 7 | Prathikaran Sthit Baradari Lawn, Gomti Nagar | 08-06-07 | 15000 | 551 | 551 | 15000 |

**Method-II ON YEARLY INCREASE OF 10%**

| S.No. | Name of Centers | Date of Current Rate Fixed | Current Booking Amount | Proposed Booking Amount (Round off '000) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nos of Year | As per Yearly Increase |
| 1 | Lohiya Samudaiyak Kendra, Chowk | 01-03-06 | 20000 | 3 | 26000 |
| 2 | Amrit Lal Nagar Sabhagar, Chowk | 12-04-01 | 18000 | 7 | 21000 |
| 3 | Aliganj/ Gomti Nagar & Kanpur Road Samudaiyak Kendra | 21-12-99 | 6000 | 9 | 11000 |
| 4 | Sitapur Road Sector-H, Sthit Samudaiyak Kendra | 19-05-05 | 9000 | 3 | 12000 |
| 5 | Jyotiva Phule Prekshagrha Chowk | 18-01-02 | 3000 | 7 | 5000 |
| 6 | Nehru Bal Vatika, Near Aliganj Open Area | 29-03-04 | 6000 | 5 | 9000 |
| 7 | Prathikaran Sthit Baradari Lawn, Gomti Nagar | 08-06-07 | 15000 | 1 | 17000 |

इन सामुदायिक केन्द्रों/खुले स्थानों का आरक्षण जन समुदाय के कार्यों हेतु किया जाता है। इसमें समाज का निर्बल वर्ग भी आता है। अतः शुल्क वृद्धि हेतु मेथड-1 कास्ट इंफ्लेशन इण्डेक्स की दरें लागू किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>विभागीय अनुशंसा :-</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण बार्ड कृपया विकास प्राधिकरण के स्वामित्व/प्रबंध में संचालित सामुदायिक केन्द्रों/खुले स्थान हेतु आरक्षण शुल्क मेथड-1 कास्ट इंफ्लेशन इण्डेक्स के अनुसार निर्धारित करते हुए नियम एवं शर्तें संलग्न-ग प्रारूप के अनुसार अनुमोदन पर विचार करना चाहें।

(राम किशन)
संयुक्त सचिव

सामुदायिक केन्द्र/सभागार/प्रेक्षागृह/खुला क्षेत्र आरक्षण के

नियम व शर्तें

1. किसी ऐसे उद्देश्य के लिए आरक्षण नहीं किया जायेगा जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढावा मिलता हो, देश द्रोह की भावना व्याप्त होने की सम्भावना हो, जिससे भारतीय संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो। किसी समुदाय की भावनाओं के आहत होने की सम्भावना हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो।
2. अपरिहार्य कारणोंवश, शासकीय अथवा प्राधिकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत किसी भी समय आरक्षण निरस्त किया जा सकता है।
3. किन्हीं नियमों व शर्तों में परिवर्तन का अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा तथा किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. सामुदायिक केन्द्र/सभागार के कक्षों की सजावट हेतु कील का प्रयोग वर्जित है। सजावट तथा बिजली की सजावट एवं फर्नीचर की व्यवस्था स्वयं आवेदक को करनी होगी। लगी हुई फिटिंग्स के अतिरिक्त बिजली/पानी के उपयोग हेतु सम्बन्धित विभाग से आस्थायी कनेक्शन प्राप्त करना होगा। जिसका व्यय उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
5. गन्दगी की सफाई न कराने एवं टूट-फूट की दशा में नियमानुसार जमा जमानत की धनराशि से कटौती की जायेगी तथा जमानत की धनराशि अधियंत्रण खण्ड की अभियुक्ति/संस्तुति के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
6. आरक्षित सामुदायिक केन्द्र/लान/स्थल पर कार्यक्रम/समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के असलहों (शस्त्र) आदि से फाइरिंग नहीं की जायेगी।
7. गाड़ियों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर सही तरीके से की जायेगी।
8. माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के पत्र संख्या-709/मुन्सरिम/व्यवस्था/वी0आई0/2008 दिनांक 09.08.07 द्वारा एवं ध्वनि मानकों के संदर्भ में दिये गये निर्देश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा किये गये आरक्षित सामुदायिक केन्द्र/स्थल पर रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00

बजे तक लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस हेतु आरक्षित कराने वाले आयोजककर्ता को शपथ-पत्र देना होगा।

9. आयोजन हेतु आरक्षण की समय सारणी निम्नवत् होगी :-

| | |
|---|---|
| सामुदायिक केन्द्र | प्रातः 10.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 10.00 बजे तक |
| अ0ला0ना0 सभागार | प्रातः 10.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 10.00 बजे तक |
| प्रेक्षागृह | प्रातः 10.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 10.00 बजे तक |
| खुला क्षेत्र | प्रातः 10.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 10.00 बजे तक |

10. आरक्षित स्थल पर आयोजन की तिथि से आगे के लिए परिवर्तन कराने अथवा स्थल परिवर्तन कराने पर जमा आरक्षण शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि कटौती करके शेष धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

| समयावधि जिसके अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने पर | आरक्षण शुल्क से कटौती का प्रतिशत |
|---|---|
| आयोजन तिथि से 30 दिन पूर्व | आरक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत |
| आयोजन तिथि से 20 दिन पूर्व | आरक्षण शुल्क का 40 प्रतिशत |
| आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व | आरक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत |
| आयोजन तिथि से 10 दिन पूर्व | आरक्षण शुल्क का 60 प्रतिशत |
| आयोजन तिथि से 07 दिन पूर्व | आरक्षण शुल्क का 100 प्रतिशत |

11. आरक्षण निरस्त कराने पर जमा आरक्षण शुल्क में नियत सारणी के अनुसार कटौती की जायेगी।

12. आरक्षण फार्म में लिखित कोई कथन असत्य पाये जाने की दशा में आरक्षण निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।

13. मैनें उपरोक्त नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक खुले दिमाग से पढ़ और समझ लिया है। मुझे उपरोक्त सभी नियम व शर्तें मान्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

J. S.

विषयः— उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 (गंगोत्री) द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प एवं हतकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु प्रदर्शनकक्ष की स्थापना हेतु व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ।

उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 के प्रबन्ध निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2008 में लिखा है कि कपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज में चयनित परिसर काफी जर्जर अवस्था में है एवं इस परिसर की काफी मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये भुगतान की जाने वाली धनराशि की गणना कराये जाने हेतु अनुरोध किया है एवं निगम द्वारा उक्त परिसर में गंगोत्री प्रदर्शन कक्ष के लिये स्वतंत्र प्रवेश द्वारों की अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। साथ ही यह भी लिखा है कि प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा विचार–विमर्श के दौरान बताया गया कि गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सीपी–194, क्षेत्रफल 496.00वर्गमीटर बिक्री हेतु उपलब्ध है। गंगोत्री प्रदर्शन कक्ष की स्थापना के लिये कपूरथला स्थित काम्पलेक्स के स्थान पर गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में 496.00वर्गमीटर का व्यवसायिक भूखण्ड उपयुक्त एवं प्राइम स्थल पर आरक्षित दरों पर स्थित है, जिसे आरक्षित दरों पर आवंटित किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित करना है कि व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सीपी–194, विराज खण्ड गोमती नगर दिनांक 25.10.04 को आरक्षण चिन्हीकरण में अनुसूचित जाति की श्रेणी हेतु जन समुदाय के समक्ष आरक्षित किया गया। उक्त भूखण्ड नीलामी के माध्यम से विक्रय हेतु 17.08.08 को दैनिक समाचार पत्र टाइम्स आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं दैनिक जागरण में प्रचारित किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 11.09.08 को निविदाएं आमंत्रित की गई है, जिन्हे दिनांक 12.09.08 को निविदा/बोलीदाताओं के समक्ष खोलकर नीलामी की जानी है। यदि उक्त भूखण्ड निर्यात निगम लि0 (गंगोत्री)को आरक्षित मूल्यों पर आवंटित किया जाता है तो सर्वप्रथम समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर उसकी नीलामी रोकनी होगी तथा आरक्षण कोटे के अन्तर्गत दूसरा अन्य रिक्त भूखण्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित करना होगा।

प्रस्ताव

उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 (गंगोत्री) द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु प्रदर्शनकक्ष की स्थापना के लिये व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सीपी–194, विराज खण्ड को आरक्षित श्रेणी से पृथक करते हुये उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 (गंगोत्री) के पक्ष में आवंटित करने एवं उक्त के स्थान पर अन्य समतुल्य भूखण्ड को अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति हेतु विचारार्थ।

(विद्या प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(के0 के0 सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(सतुल सिंह)
विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषयः प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 'इनफारमल मार्केट' के अन्तर्गत फल/सब्जी की दुकानों हेतु चबूतरा एवं शेड का निर्माण करके गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को उनका आवंटन करने एवं ऐसे चबूतरे/शेड की लागत का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में प्रायः मुख्य मार्गो तथा चौराहों पर अनाधिकृत रूप से फल एवं सब्जी की दुकानें लगती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फल एवं सब्जी की दुकानों को नियोजित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध कामर्शियल भूमि को 'इनफारमल मार्केट' के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से फल एवं सब्जी की दुकानों हेतु चबूतरा एवं उस पर शेड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न प्रमुख मार्गो व चौराहों पर ठेले आदि लगते हैं, उसमें अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों होते हैं, अतः उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये जाने वाले चबूतरे व शेड को गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

2. यदि इस प्रकार कामर्शिलय भूमि की लागत तथा चबूतरा व शेड के निर्माण लागत को जोड़कर ऐसी दुकानों का विक्रय मूल्य ऑकलित किया जायेगा तो वह इतनी अधिक होगी कि गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा उन्हें नहीं लिया जा सकेगा जिसके फलस्वरूप यह चबूतरे निष्प्रयोज्य पड़े रहेंगे एवं विभिन्न मुख्य मार्गो व चौराहों पर दुकाने लगतीं रहेंगी तथा जाम की समस्या बनी रहेगी। अतः यह भी विचारणीय है कि चबूतरे व शेड का विक्रय मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों द्वारा उनका क्रय किया जा सके। इसी के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि योजना जिसमें इन चबूतरों/शेड का निर्माण किया जाये, उसमें जिस वर्ष अपर जिलाधिकारी(भू.अ.) द्वारा भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया हो, उस वर्ष को आधार मानते हुए भूमि अधिग्रहण के मद में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान की गयी धनराशि को लागत का आधार माना जाए एवं इस भूमि अधिग्रहण की लागत में कब्जा प्राप्त होने के वर्ष तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज एवं चबूतरे/शेड की निर्माण लागत को जोड़ कर जो धनरशि आए, उसी के आधार पर चबूतरा/शेड का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाए।

(विद्या प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(राम किशन)
विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

C:\Documents and Settings\abc\Desktop\Board Meeting.doc

निर्माण लागत में केवल चबूतरा/शेड का निर्माण लागत ही सम्मिलित की जाए, इसमें किसी प्रकार का अन्य व्यय. जैसे ओवर हेड, कन्टीजेन्सी आदि न जोड़ा जाए।

3. योजना में कामर्शियल भूखण्डों के लागत का निर्धारण जिस प्रक्रिया से किया जाता है, उसमें भूखण्ड की लागत अधिक होती है। अतः उक्त प्रस्तर–2 में अंकित प्रक्रिया से निकाली गयी चबूतरा/शेड के विक्रय मूल्य एवं कामर्शियल भूखण्ड की लागत के अन्तर की धनराशि नगर के आवस्थापना विकास निधि से अहरित करके प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

1. प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 'इनफरमल मार्केट' के अन्तर्गत फल/सब्जी की दुकानों हेतु चबुतरे/शेड का निर्माण करने की।
2. चबूतरे व शेड के विक्रय मूल्य का निर्धारण जिस वर्ष भूमि का कब्जा अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तगत किया गया हो, उसे आधार मानते हुए भूमि अधिग्रहण के मद में प्राधिकरण द्वारा भुगतान की गयी धनराशि एवं उस पर वर्तमान समय तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज जोड़ते हुए भूमि की लागत एवं चबूतरे/शेड की निर्माण लागत जोड़कर निर्धारित करने की, उसमें कोई ओवर हेड कन्टीजेन्सी सम्मिलित नहीं होगी।
3. इन चबूतरों का आवंटन गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को करने की।
4. उपरोक्तानुसार चबूतरे/शेड की निकाली गयी लागत उसी योजना की कामर्शियल भूमि के अन्तर की धनराशि नगर के अवस्थापना विकास निधि से आहरित करके प्रतिपूर्ति करने की।

(विद्या प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(राहुल सिंह)
विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

कानपुर रोड योजना स्थित सेक्टर–बी (बाराबिरवा) के फल एवं सब्जी आदि विक्रताओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में।

कानपुर रोड योजना पर बाराबिरवा मोड़ पर फल एवं सब्जी आदि दुकानदारों द्वारा फुटपाथ एवं उसके आसपास स्थित भूमि पर अस्थाई रूप से फल/सब्जी आदि के ठेले एवं जमीन पर फड़ लगाये जाते रहे है। कानपुर रोड पर बाराबिरवा के आसपास निरन्तर वाहनों का आवागमन बड़ी संख्या में होता है जिससे प्रायः ट्राफिक जाम के समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर–बी में कुष्ठ आश्रम के सम्मुख कुल 459 चबूतरों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें लोडिंग–अनलोडिंग हेतु प्लेटफार्म तथा चबूतरों के सम्मुख आवागमन हेतु मार्ग का निर्माण कराया जा चुका है।

बाराबिरवा मोड़ पर जिन फल एवं सब्जी आदि के विस्थापितों द्वारा अस्थाई रूप से अपनी दुकानें/ठेले लगाये जाते थे उनको प्रस्तावित चबूतरों पर स्थानांतरित करने हुत विस्थापित दुकानदारों की सूची अन्तिम रूप देने हेतु कमेटी का गठन किया गया।

कमेटी द्वारा विस्थापितों की सूची तैयार कर पारदर्शिता की दृष्टि से स्थानीय समाचार पत्रों में सूची प्रकाशित करायी गयी तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए कुल 295 विस्थापितों की सूची तैयार की गई है जिसका अनुमोदन तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 19.09.06 को किया गया ।

दिनांक 07.06.08 को इन विस्थापितों को स्थानांतरित करने हेतु प्रस्तावित चबूतरों का आवंटन लाटरी पद्वति से किये जाने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थी।

·"प्रत्येक दुकानदार को 9.0 वर्गमीटर का चबूतरा एक वर्ष हेतु लाटरी द्वारा 15.0 रू0 प्रतिदिन की दर पर अस्थाई रूप से फल व सब्जी मण्डी की तहबाजारी हेतु दिया जायेगा। अतः प्रत्येक दुकानदार को एकमुश्त 450.0 रू0 प्रतिमाह अग्रिम धनराशि के रूप में प्राधिकरण कोष में सचिव,ल0वि0प्रा0 के नाम से जमा करना होगा"।

नियत दिनांक 20.06.08 को कोई भी विस्थापित आवंटन हेतु उपस्थित नहीं हुआ। समिति के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन देकर विभिन्न बिन्दुओं पर अनुरोध किया गया कि प्रतिदिन तहबाजारी के स्थान पर किराये पर चबूतरें आवंटित कर दिये जाये।

उक्त ज्ञापनों के परिप्रेक्ष्य में पुनः दिनांक 21.08.08 को बाराबिरवा फल एवं सब्जी विक्रेता कल्याण समिति के पदाधिकारियों के साथ सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में बाराबिरवा मोड़ के विस्थापितों को सेक्टर–बी में कुष्ठ आश्रम के सामने प्रस्तावित चबूतरों पर शिफ्ट करने हेतु बैठक आहूत की गई जिसमें संयुक्त सचिव,कानपुर रोड योजना एवं संयुक्त निदेशक (भूमि/विकास) तथा श्री महेश वर्मा, सहायक अभियन्ता एवं बाराबिरवा फल एवं सब्जी विक्रेता कल्याण समिति के प्रशासनिक महासचिव श्री संतोष कुमार सिंह तथा एक अन्य प्रतिनिधि मो0 शाकिर उपस्थित हुए,पूर्व में विस्थापित दुकानदारों द्वारा उक्त नियोजित चबूतरों का क्रय करने का अनुरोध किया गया, जिस पर दिनांक 30.01.08 को अन्तिम बार गणना अनुसार प्रति भूखण्ड का विक्रय मूल 32713 रू0 प्रति वर्गमीटर निर्धारित हुआ था, जिसके

(नन्द लाल सिंह)
पी.सी.एस.
नवमूल अधिकारी एवं विशेष कार्याधिकारी

अनुसार प्रति चबूतरें का मूल्य 9.0 वर्गमीटर X 32713 रू0 प्रति वर्गमीटर = 2,94,417 रू0 होता है व समस्त 459 चबूतरों का मूल्य 459 X 2,94,417 = 135137403 रू0 होता ,जिसमें से 295 विस्थापितों को मौके पर प्रति स्थापित किया जाना है। इस प्रकार 295 चबूतरों का मूल्य 295 X 294417 = 86853015 रू0 होता है, परन्तु उक्त विस्थापित छोटे स्तर के पटरी दुकानदार है और 32713 प्रति वर्गमीटर की दर से 294417 प्रति चबूतरें के मूल्य का भुगतान किया जाना उनके सामर्थ में नहीं था। उक्त विक्रय मूल्य में सम्पूर्ण क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए विक्रय मूल्य निकाला गया है जब कि उक्त चबूतरें के मध्य सड़क, पार्क, लोडिंग/अनलोडिंग के स्थल को भी गणना में सम्मिलित किया गया। प्रकरण में उचित होगा कि जो चबूतरा आवंटित हो रहा है उसी क्षेत्रफल के ही विकास में व्यय होने वाली धनराशि को सम्मिलित करते हुए विक्रय मूल्य प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया जाना चाहिए और सड़क, पार्क, लोडिंग/अनलोडिंग भूमि के मूल्य को अवस्थापना निधि पर लोड किया जाना चाहिए। ऐसी दशा में प्राधिकरण स्तर से उक्त चबूतरों को विस्थापितों के प्रतिनिधियों के मध्य विचार–विमर्श कर जनहित में उक्त चबूतरों का किराये में निम्न शर्तों के अर्न्तगत आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–बी कानपुर रोड योजना में विकसित/निर्मित चबूतरों का आवंटन 12.00 रू प्रतिदिन एवं 360 रू0 प्रतिमाह किराये पर किया जायेगा।
2. प्रत्येक तीन वर्ष बाद किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी।
3. उत्तर प्रदेश नगरीय फेरी एवं सड़क पटरियों की नियमावली 2007 की वे शर्ते जो इस प्रकरण में लागू होगी वे किराया आवंटन की शर्तों/अनुबन्ध का भाग होगी।
4. प्रत्येक विस्थापित को 3 X 3 मीटर चबूतरें का आवंटन किया जायेगा।

प्रस्तावित चबूतरों का फल एवं सब्जी आदि के विस्थापित दुकानदारों में लाटरी पद्वति से आवंटन हेतु दिनांक 22.08.08 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक जागरण में विज्ञप्ति कराई गई जिसमें दिनांक 29.08.08 अपरान्ह 3.00 बजे स्थल पर ही लाटरी के ड्रा हेतु तिथि नियत की गई। दिनांक 29.08.08 को संयुक्त सचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य विधि परामर्शी, अधिशासी अभियन्ता जोन–2 तथा नगर नियोजक की कमेटी की उपस्थिति में लाटरी के ड्रा की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई। लांटरी के ड्रा में 295 विस्थापितों में से कुल 214 विस्थापितों ने भाग लिया जिनमें मछली के कुल विक्रेता 15, मीट विक्रेता 11 एवं फल एवं सब्जी एवं अन्य के कुल 188 विस्थापित विक्रेता उपस्थित हुए जिनको लाटरी द्वारा चबूतरों के नम्बरों के आवंटन की कार्यवाही की गई।

चबूतरों के आवंटन की कार्यवाही का अनुमोदन उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण दिनांक 04.09.08 को की जा चुकी है।

(नन्द लाल सिंह)
पी.सी.एस.
नबूल अधिकारी एवं विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विभागीय अनुशँसा,

माननीय प्राधिकरण बोर्ड से अनुरोध है कि जनहित में कानपुर रोड स्थित बाराबिरवा मोड़ के विस्थापितों को सेक्टर 'बी' कानपुर रोड योजना के कुष्ठ आश्रम के सामने प्रस्तावित चबूतरों पर स्थानान्तरित करने हेतु की गई उपरोक्त कार्यवाही पर अनुमोदन हेतु विचार करना चाहे।

N.O/05.10

(नन्द लाल सिंह)
पी.सी.एस.
अधिकारी एवं विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

([illegible] किशन)
संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विषयःरिट याचिका सं0-1228 (एम0बी0)/2008 सैय्यद नैय्यर अब्बास बनाम् स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय पारित आदेश दिनांक 04.08.2000 के क्रम में भवन सं0-108 (पुराना भवन सं0-70) जगत नाराणन रोड के भू-उपयोग को ''हरित पट्टी'' से ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

सैय्यद नैय्यर अब्बास द्वारा दिनांक 25.10.05 को भवन सं0-108, जगत नरायन रोड, लखनऊ की लगभग 5800 वर्ग फुट भूमि पर आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया परन्तु प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2021 में ''ग्रीन बेल्ट'' होने के कारण प्रश्नगत भवन मानचित्र की स्वीकृति पर विचार नहीं किया गया।

प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय के विरूद्ध सैय्यद नैय्यर अब्बास द्वारा दिनांक 07.02.08 को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष रिट याचिका सं0-1228 (एम0बी0)/2008 योजित की गयी जिसमें उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत करते हुए कि उनका भूखण्ड लखनऊ महायोजना-2001 में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित था, जबकि 2021 महायोजना में इसे ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है, अपने भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी।

Some drafting mistake

Jagat Narain Road

मा0 उच्च न्यायालय प्रश्नगत रिट याचिका में दिनांक 04.08.08 को निम्नवत् आदेश (अनुलग्नक-1) पारित किया गया है:-

"Learned counsel for the State says that in the earlier meeting, a decision has also been taken to revise the master plan with respect to issue in question and in the next meeting it would be finalized and appropriate action will be taken. We expect that it will be done without any further delay and necessory action in the matter will be taken within a maximum period of four weeks from today."

उपर्युक्त क्रम में यह उल्लेखनीय है कि है कि लखनऊ महायोजना-2001 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय दर्शाया गया था। जबकि महायोजना-2021 में प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग को ग्रीन

बेल्ट के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है। प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना-2001 व 2021 के पार्ट प्लान की प्रति क्रमशः अनुलग्नक-2 व 3 पर अवलोकनार्थ संलग्न है। मौके पर स्थल एवं इसके आस-पास आवासीय विकास हुआ है।

**प्रस्ताव:-**

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग को लखनऊ महायोजना-2021 में ''हरित पट्टी'' से ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ए0पी0 सिंह)
अधिशाषी अभियंता, भवन-2

(रवि जैन)
नगर नियोजक

Hon'ble Pradeep Kant, J.
Hon'ble Abhinava Upadhya, J.

Learned counsel for the State says that in the earlier meeting, a decision has also been taken to revise the master plan with respect to issue in question and in the next meeting it would be finalized and appropriate action will be taken. We expect that it will be done without any further delay and decision in the matter will be taken within a maximum period of four weeks from today.

List this matter in the first week of September, 2008, as fresh.

R.?
4.8.08
W.P. 1223(MB)/08

Sd- PradeepKant.
Sd- Abhinava Upadhya.
DT- 4-8-08.

TRUE COPY

Section Officer
Copying Department
(Pending)
High Court Lucknow Bench
Lucknow

Copy
20-8-08
(J.S. Tiwari)

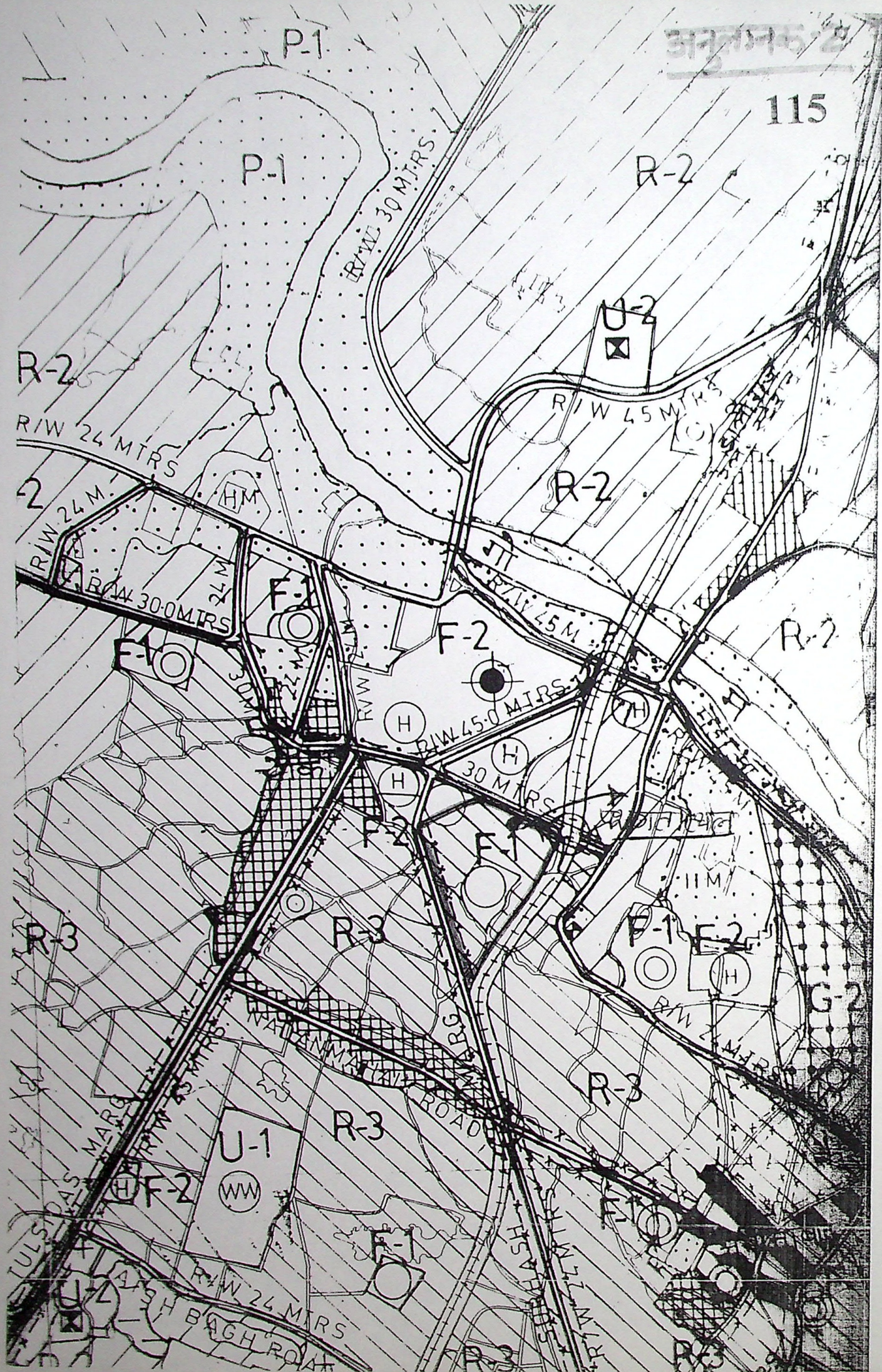
P-1
P-1
R-2
R/W 30 MTRS
U-2
R-2
R/W 45 MTRS
R/W 24 MTRS
R-2
R/W 24 M
HM
R/W 30.0 MTRS
24 M
F-1
F-1
F-2
R/W 45 M
R-2
R/W 45.0 MTRS
H
H
H
30 MTRS
F-2
F-1
11 M
R-3
R-3
F-1
F-2
H
G-2
R/W 24 MTRS
R-3
R-3
U-1
WW
F-2
F-1
F-1
U-2
R/W 24 MTRS
R-3
R-3


R/W 45.0M
R/W 30.0M
R/W 24.0M
R/W 18.0
R/W 76.0M
R/W 45.0M

विषय: **रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा की कुल 7.50 एकड़ भूमि का भू-उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाये, उपयोगिताएं एवं सेवायें' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।**

रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा में प्राधिकरण की अधिग्रहित लगभग 7.50 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाये, उपयोगिताएं एवं सेवायें' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में अनुपूरक विषय संख्या-2 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.06.2008 में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरांत आवश्यक भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या-624/वी.सी./सी.टी.पी./08, दिनांक 22.07.200 के माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के दृष्टिगत से 30 दिन की अधिसूचना संख्या-4133/8-3-2008-51/एल.यू.सी./08, दिनांक 02.08.2008 प्रेषित की गयी।

उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 03.08.2008 के दैनिक समाचार पत्र 'पायनियर' एवं 'स्वतंत्र भारत' में किया गया। निर्धारित 30

दिन की अवधि में प्राधिकरण स्तर पर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुए है।

**प्रस्ताव:**

उपर्युक्त क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत शासन स्तर से अन्तिम अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषयः गोमती नगर योजना में नदी के बांये तटबंध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बन्धा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क के आंशिक भाग क्षेत्रफल क्रमशः 2565 वर्ग मीटर व 5220 वर्ग मीटर है, का भू-उपयोग ''यातायात एवं परिवहन वर्तमान सड़क'' से मनोरंजनात्मक पार्क एवं खुला स्थल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

गोमती नगर योजना में नदी के बांये तटबंध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बन्धा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर समाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क के आंशिक भाग क्षेत्रफल क्रमशः 2565 वर्ग मीटर व 5220 वर्ग मीटर है, का भू-उपयोग ''यातायात एवं परिवहन वर्तमान सड़क'' से मनोरंजनात्मक पार्क एवं खुला स्थल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में अनुपूरक विषय संख्या-1 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.06.2008 में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरांत आवश्यक भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या-625/वी.सी./सी.टी.पी./08, दिनांक 22.07.2008 के माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास

अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के दृष्टिगत से 30 दिन की अधिसूचना संख्या-4219/8-3-2008-54/एल.यू.सी./08, दिनांक 02.08.2008 प्रेषित की गयी।

उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 03.08.2008 के दैनिक समाचार पत्र 'पायनियर' एवं 'स्वतंत्र भारत' में किया गया। निर्धारित अवधि में मात्र दो आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसकी सुनवाई शासनादेश संख्या-4816(1)/9-आ-3-2003-9महा/2002, दिनांक 20.12.2003 द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 05.09.2008 को की गयी। सुनवाई समिति की संस्तुति संलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

**प्रस्ताव:**

उपर्युक्त क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत शासन स्तर से अन्तिम अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषयः **मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर-जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।**

मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर-जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विषय संख्या-4 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.06.2008 में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरांत आवश्यक भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या-629/वी.सी./सी.टी.पी./08, दिनांक 22.07.200 के माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के दृष्टिगत से 30 दिन की अधिसूचना संख्या-4130/8-3-2008-53/एल.यू.सी./08, दिनांक 02.08.2008 प्रेषित की गयी।

उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 03/04.08.2008 के दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' एवं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में किया गया। निर्धारित

30 दिन की अवधि में प्राधिकरण स्तर पर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुए है।

**<u>प्रस्ताव:</u>**

उपर्युक्त क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत शासन स्तर से अन्तिम अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषयः हरदोई रोड योजना के सेक्टर-ए में लखनऊ महायोजना-2021 मे ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

हरदोई रोड योजना के सेक्टर-ए में लखनऊ महायोजना-2021 मे ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विषय संख्या-5 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.06.2008 में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरांत आवश्यक भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या-623/वी.सी./सी.टी.पी./08, दिनांक 22.07.2008 के माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के दृष्टिगत से 30 दिन की अधिसूचना संख्या-4213/8-3-08-54/एल.यू.सी./08, दिनांक 02.08.2008 प्रेषित की गयी।

उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 03.08.2008 के दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' एवं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में किया गया। निर्धारित अवधि में मात्र एक आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हुआ है, जिसकी सुनवाई शासनादेश संख्या-4816(1)/9-आ-3-2003-9महा/2002, दिनांक 20.12.2003

द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 05.09.2008 को की गयी। सुनवाई समिति की संस्तुति संलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

**प्रस्ताव:**

उपर्युक्त क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत शासन स्तर से अन्तिम अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

# लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री चन्द्रभानु<br>जिलाधिकारी, लखनऊ | प्रभारी आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं<br>प्रभारी अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री मुकेश कुमार मेश्राम | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. | श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी<br>संयुक्त सचिव आवास | प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव<br>आवास एवं शहरी नियोजन,<br>उ0प्र0 शासन, लखनऊ। |
| 4. | श्री संजीव कश्यप<br>(प्रतिनिधि–आवास आयुक्त) | प्रभारी वास्तुकला अनुभाग,<br>आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 शासन। |
| 5. | श्री ओम नारायण | निदेशक<br>कोषागार, उत्तर प्रदेश। |
| 6. | श्री आर0एन0 पाल<br>(प्रतिनिधि–नगर आयुक्त) | अपर नगर आयुक्त, नगर निगम,<br>लखनऊ। |
| 7. | इं0 राजेन्द्र सिंह | मुख्य अभियन्ता,<br>उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ। |
| 8. | श्रीमती प्रभावती सिंह | संयुक्त निदेशक, उद्योग,<br>उ0प्र0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 9. | श्री एन0आर0 वर्मा | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,<br>उत्तर प्रदेश। |
| 10. | श्री डी0के0 वर्मा<br>(प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन) | संयुक्त निदेशक, पर्यटन,<br>लखनऊ। |
| 11. | श्री गोविन्द पाण्डेय | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |
| 12. | श्री राम कृष्ण यादव | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |

अन्य उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 13. | श्री मणि प्रसाद मिश्र | सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ। |
| 14. | श्री बी0राम शास्त्री | अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ। |
| 15. | श्री अवधेश कुमार | वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0। |
| 16. | श्री आर0के0 सिंह | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |
| 17. | श्री एस0बी0 मिश्रा | संयुक्त निदेशक (भूमि एवं वि0),<br>ल0वि0प्रा0। |
| 18. | श्री रवि जैन | नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |

प्रभारी अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : अनुपालन नोट किया गया।

विषय संख्या : 3 मा0 मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के दृष्टिगत हैलीपैड के निर्माण हेतु कोठी मार्टिन साहब खसरा संख्या–258 मौजा रमना दिलकुशा स्टेशन गनेशगंज की गाटा संख्या–11 की भूमि अधिग्रहण किये जाने की योजना।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 4 लालबहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना एवं गोमती नगर विस्तार योजना तथा हरदोई रोड योजना के बसंत कुंज आवासीय योजना एवं प्रबंध नगर आवासीय योजना की बाढ़ से सुरक्षा हेतु गोमती नदी के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में बन्धे के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। यह बन्धे लखनऊ महानगर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु प्रस्तावित है, अतः जनहित में बन्धों के निर्माण का प्रस्ताव एवं धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। इसके अतिरिक्त कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत किला मुहम्मदी ड्रेन का चौड़ीकरण करके प्रस्तावित नाले के निर्माण के सम्बन्ध में परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही करने तथा बोर्ड की आगामी बैठक में कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

विषय संख्या : 6 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने के लिए अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपालों को संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : 7 हरदोई रोड आवासीय योजना (बसन्त कुंज) के अन्तर्गत ग्राम बरीकलॉ एवं बरावन खुर्द की 117.80 एकड़ नजूल भूमि के विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रकरण में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि से प्रभावित कृषकों को भूमि के प्रतिकर के स्थान पर प्राधिकरण की आवासीय योजना के कियान्वयन के हित में अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) देने के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त किया जाये तथा यदि विधिक परामर्श इस प्रस्ताव के अनुरूप पाया जाए तो प्रस्ताव के अनुसार अग्रतर कार्यवाही की जाए।

विषय संख्या : 8 सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु/सैनिटरी लैण्डफिल साइट हेतु भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 9 श्री गम्भीर सिंह खनका भारत–पाक युद्ध 1971 के विकलांग सैनिक की भूमि ग्राम मकदूमपुर स्थित खसरा संख्या–219 रकबा 0–1–12–2बीघा भूमि के बदले गोमती नगर विस्तार योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण में इस संबंध में स्पष्ट नीति न होने के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट नीति तैयार करा ली जाए, तदुपरान्त निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में लागू दरों में भी विसंगतियां होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में प्रचलित प्रक्रिया का अध्ययन कराकर आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 11 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित व्यावसायिक/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी की शर्तों में संशोधन किया जाना।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नीलामी के पूर्व बोलीदाता से अन्य औपचारिकताओं का पालन कराने के साथ–साथ–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो विगत छः माह के अन्दर निर्गत हो, संलग्न कराया जाये।

2. बोलीदाता से विगत 3 वर्षों का आय कर रिटर्न विवरण टेण्डर फार्म के साथ संलग्न कराना अनिवार्य किया जाये।

विषय संख्या : 12 श्रीमती कल्याणी शर्मा, पत्नी, शहीद ले0 कर्नल एम0सी0 शर्मा को पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड को शासनादेश के अनुपालन में रियायती दरों पर दिये जाने के बाद ही धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा लीज, फ्री–होल्ड एवं ब्याज मुक्त करने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये। स्टाम्प आदि की धनराशि से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये।

विषय संख्या : 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड (नेहरू इन्क्लेव) के भूखण्डों की योजना समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली देनदारियों का विस्तृत आंकलन करा लिया जाये, तत्पश्चात् परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 14 अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित निर्माणों के एवज में प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड देने तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन तैयार कराकर निर्माण का प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कट–आफ–डेट 12.10.00 से पूर्व के 159 प्रकरणों के सापेक्ष 39 व्यक्तियों एवं इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कुल

172 अर्थात कुल 211 व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्गमीटर का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा उनके निर्माण का मूल्यांकन तैयार कराकर अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) के माध्यम से निर्माणों का नियमानुसार प्रतिकर भुगतान कराने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 15 कानपुर रोड योजना में बिना आवंटन पत्र निर्गत किये भवन/भूखण्ड का परिवर्तन, अनुबंध/निबन्धन/कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ई0डब्लू0एस0 आवासों के वर्तमान अध्यासियों के बारे में एक समिति (संयुक्त सचिव, सम्पत्ति अधिकारी, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता) का गठन कर केस–टू–केस परीक्षण कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 16 मुथमिज संगम (तमिल समाज) को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर : योजना के अन्तर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट हेतु आडीटोरियम निर्माण के लिए आबंटित भूमि के स्थान पर गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में समायोजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में आरक्षित भूखण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि एवं आबंटन किये जाने वाले भूखण्ड की लागत आदि का सम्पूर्ण विवरण आंकलित कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 17 विकास प्राधिकरण के स्वामित्व/प्रबंध में संचालित सामुदायिक केन्द्र एवं खुले क्षेत्र के आवंटन शुल्क में वृद्धि एवं नियम/शर्तों में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इनके अनुरक्षण आदि पर होने वाले व्यय का भी परीक्षण करा लिया जाये एवं इन

सामुदायिक केन्द्रों का अनुरक्षण निजी क्षेत्र के माध्यम से (आउट सोर्स) कराने के लिए वांछित कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 18 उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 (गंगोत्री) द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु प्रदर्शन कक्ष की स्थापना हेतु व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 19 प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में "इनफार्मल मार्केट" के अन्तर्गत फल/सब्जी की दुकानों हेतु चबूतरा एवं शेड का निर्माण करके गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को उनका आवंटन करने एवं ऐसे चबूतरें/शेड की लागत का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सहमति प्रदान की गयी एवं यह भी निर्णय लिया गया कि केवल पात्र व्यक्तियों में आबंटन हेतु एक स्पष्ट नीति बना ली जाये एवं जहां पर ऐसे इनफार्मल मार्केट विकसित किये जाये, वहां पर समुचित रूप से पार्किंग, शौचालय, कूड़ा घर आदि की व्यवस्था की जाये।

विषय संख्या : 20 कानपुर रोड योजना स्थित सेक्टर–बी (बाराबिरवा) के फल एवं सब्जी आदि विक्रेताओं के सम्बन्ध में चबूतरों के आवंटन का प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 21 रिट याचिका संख्या–1228(एम0बी0)/2008 सैय्यद नैय्यर अब्बास बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय पारित आदेश दिनांक 04.08.2000 के क्रम में भवन संख्या–108 (पुराना भवन संख्या–70) जगत नारायण रोड के भू–उपयोग

को "हरित पट्टी" से "आवासीय" में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्त प्रदेश द्वारा प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया जाये एवं यदि प्रश्नगत परिवर्तन पूर्व की किसी ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण हुआ हो तो उसका निराकरण कराया जाये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन निहित होने की स्थिति में शासन को अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति प्रेषित की जाये। महायोजना 2021 में हुई समस्त त्रुटियों का परीक्षण कराते हुए उत्तरदायीं अधिकारियों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

विषय संख्या : 22 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा की कुल 7.50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिता एवं सेवाएं' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

विषय संख्या : 23 गोमती नगर योजना में नदी के बायें तटबन्ध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बन्धा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क

तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की बीच की सड़क के आंशिक भाग (क्षेत्रफल क्रमशः 2565 वर्गमीटर व 5220 वर्गमीटर) का भू–उपयोग "यातायात एवं परिवहन वर्तमान सड़क" से मनोरंजात्मक पार्क एवं खुला स्थल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

विषय संख्या : 24 मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

विषय संख्या : 25 हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में "यातायात परिवहन, बस अड्डा" भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के

अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

अनु0वि0सं0 : 1 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकृत एव लाइसेन्स हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर शासनादेश संख्या 5873/आठ–1–05/34विविध/03टीसी–1लखनऊ दिनांक 12.01.06 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

निर्णय : इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत दो विकासकर्ताओं मे0 ईमार–एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0 लि0 व मे0 एल्डिको प्रा0लि0 के लाइसेंस हेतु एवं अन्य दो विकासकर्ताओ मेसर्स ओमेक्स प्रा0लि0 एवं मे0 शिप्रा इस्टेट लि0 के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इन्टीग्रेटेड टानशिप नीति में किये गये संशोधन से सम्बन्धित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1859/आठ–1–07–33विविध/2008 दिनांक 27.08.08 के कम में अग्रिम निर्णय हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए।

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(चन्द्र भानु)
प्रभारी–आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
प्रभारी अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।